खण्ड-230, अंक-3
सोमवार, 17 वैशाख, शक संवत् 1884
(7 मई, 1962 ई0)

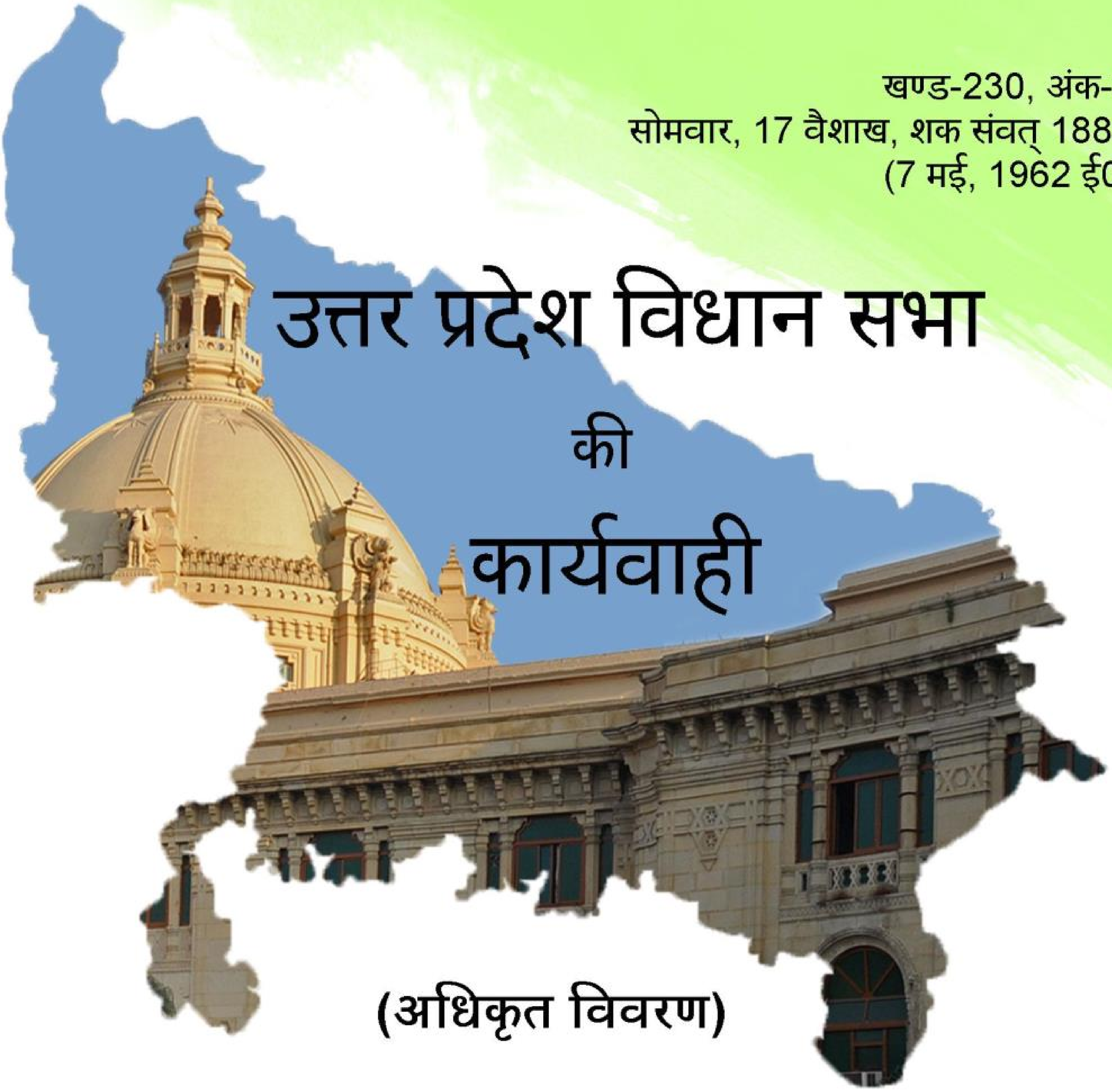

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 230 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१४९–१५३
प्रश्नोत्तर	१५३–१७२
४ मई, १९६२ के भाषण में भूतपूर्व जज, श्री मुल्ला के निर्णय में पुलिस विभाग के विरुद्ध की गयी आलोचनाओं से असहमति प्रकट करने पर मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	१७२–१७६
कार्य-स्थगन तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ..	१७६
जे० जे० आर० इण्डस्ट्रीज, दुलहीपुर, वाराणसी में हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१७७–१७८
गन्ना सहकारी समिति, बढ़नी, जिला बस्ती, के गन्ने को मिल मालिकों द्वारा न लेने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१७८–१८२
गन्ने का मूल्य उससे निकलने वाली चीनी के अनुपात पर कम करने के केन्द्रीय सरकार के आदेश के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१८२–१८६
शनिवार, २६ मई, १९६२ को सदन की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	१८६–१८७
१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य—अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ४९—सिंचाई के निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (जारी)	१८७–२३४
नत्थियां	२३५–२४३

संसद प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ७ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७०

अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
रतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंह नारायण, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री

नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल, गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलसिंह, श्री (देवरिया)
मंगलसिंह, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महवीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री

रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफीखां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—वन मंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ७ मई, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फजल मंजिल, लखनऊ में श्री मुहम्मद इब्राहीम बेग का कत्ल

**१—श्री रामपाल त्रिवेदी (जिला लखनऊ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १४ अप्रैल, १९६१ की रात को फजल मंजिल, लाटूश रोड, पुलिस थाना आलमबाग, लखनऊ में मुहम्मद इब्राहीम बेग नामक व्यक्ति का कत्ल हुआ था? यदि हां, तो पुलिस ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—जी हां। पुलिस ने मामले में विवेचना की, परन्तु सबूत के अभाव में केस चालान नहीं किया जा सका और फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई।

श्री रामपाल त्रिवेदी—क्या सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई गयी?

श्री नवल किशोर—जी नहीं।

श्री रामपाल त्रिवेदी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सिविल पुलिस जब नाकामयाब हो गयी तो सी० आई० डी० द्वारा जांच क्यों नहीं कराई गयी ?

श्री अध्यक्ष—उसमें तो फाइनल रिपोर्ट लग गयी और सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने के लिये तो उन्होंने कह दिया कि नहीं कराई गयी।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाने के पहले किन-किन व्यक्तियों का बयान लिया ?

श्री नवलकिशोर—यदि आज्ञा हो मान्यवर, तो मैं थोड़ा सा किस्सा बतला दूं। किस्सा यह है कि एक इब्राहीम बेग साहब सुल्तानपुर से तशरीफ लाये थे और यहां आकर फजल मंजिल, लाटूश रोड पर टिके थे। वहां उनका मर्डर हो गया। रिपोर्ट लिखायी गयी और उसमें कहा गया कि किन्हीं दो आदमियों को भागते देखा गया है। लेकिन किसी ने यह नहीं बतलाया कि वे कौन साहब थे। तफतीश के दौरान में दो साहबान को गिरफ्तार किया गया और उनको कोर्ट में भेजा भी गया लेकिन ए० डी० एम०, (जे०), के यहां से धारा १६९ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद इन्वेस्टीगेशन चलती रही, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला और इसलिये फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी।

श्री नरसिंहनारायण—क्या पुलिस मंत्री जी बतलायेंगे कि फजल मंजिल में इस प्रकार के कत्ल हमेशा हुआ करते हैं इसलिये पुलिस इस बारे में क्या कोई विशेष प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—मेरा प्रश्न थोड़ा अटपटा है लेकिन अर्थ रखता है, श्रीमन्, वह यह कि कत्ल करने वाले का पता लगाने की जिम्मेदारी सरकार पर है अथवा किसी दूसरे पर ?

श्री अध्यक्ष—यह तो सरकार की जिम्मेदारी है।

कुंवर श्रीपाल—तो फाइनल रिपोर्ट में क्या लिखा गया कि पता नहीं चला या क्या लिख दिया गया ?

श्री नवलकिशोर—मैंने अर्ज किया था कि काफी छानबीन की गयी और जब कोई क्लू नहीं मिला तो फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—इस कत्ल की जांच रेगुलर पुलिस द्वारा कराई गयी अथवा सी० आई० डी० द्वारा कराई गयी ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है

प्रासीक्युशन, अग्निशमन सेवा तथा पुलिस वायरलेस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

****२—श्री डूंगरसिंह** (जिला हमीरपुर)—क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि Wireless, Fire Brigade, A.P.P. तथा B. P. P. के कर्मचारियों के वेतन का Revised scale पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री नवलकिशोर—जी हां, पुलिस आयोग १९६० की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने प्रासीक्यूशन, अग्निशमन सेवा और पुलिस वायरलेस के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का जो निर्णय लिया है वह यह है —

	रु०
असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर	२००—३००
पब्लिक प्रासीक्यूटर	२२०—४००
फायर स्टेशन आफिसर	२००—४००
फायर स्टेशन सेकेंड आफिसर	१५०—२५०
लीडिंग फायरमैन	६५—९०
फायरमैन	४५—७०
असिस्टेंट रेडियो आपरेटर	७५—१०५
हेड रेडियो आपरेटर	१००—२००

श्री अध्यक्ष—(श्री नवलकिशोर से) फायर स्टेशन सेकेंड आफिसर का ग्रेड १००–२५० है या १५०–२५० है ?

श्री नवलकिशोर—१५०—२५० है।

श्री डूंगरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन नये स्केलों से प्रति वर्ष कितना रुपया अधिक सरकार को खर्च करना पड़ेगा और कितने कर्मचारियों को लाभ होगा ?

श्री नवलकिशोर—इसकी संख्या तो नहीं जोड़ी है मगर अन्दाज यह है कि जो पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स हैं उन पर सरकार का ४२ हजार रुपया सालाना अधिक खर्च होगा, इसी तरह से फायर आफिसर्स पर १० हजार रुपया ज्यादा खर्चा होगा और जो वायरलेस स्टाफ है उस पर एक लाख ८० हजार सालाना ज्यादा खर्चा होगा।

कुंवर श्रीपाल—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त व्यक्तियों को ये स्केल्स कब से दिये जाने वाले हैं ?

श्री नवलकिशोर—सरकार का खयाल है कि उनको भी १–१–६२ से दिया जाय।

श्री डूंगरसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इससे कितने कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा ?

श्री नवलकिशोर—हमारे यहां करीब ४४० असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर्स हैं उनको फायदा होगा, ७० पब्लिक प्रासीक्यूटर्स हैं और इसी तरह से दूसरों की संख्या है, मैंने गिना नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर व सरकार के बीच इकरारनामे तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट के पत्र पर विचार

*१—**श्री बेदराम** (जिला एटा), **श्री श्रीराम** (जिला बिजनौर) तथा **श्री बसन्तसिंह** (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या वन मंत्री, सरकार और स्टार पेपरमिल के बीच हुये इकरारनामे की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये बतायेंगे कि उक्त कम्पनी को अब तक सालाना कितनी-कितनी लकड़ी किस-किस दर पर दी गई है ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—स्टार पेपर मिल, सहारनपुर तथा सरकार के बीच होने वाले इकरारनामे का आलेख्य अभी सरकार के विचाराधीन है परन्तु सरकार द्वारा अब तक लिये गये निर्णयों के अनुसार इस मिल को फरवरी, १९६२ तक कुल ९,९२,०७३ घनफुट लकड़ी निम्नलिखित दरों पर दी गई है:—

वर्ष	मात्रा	दर
१९५७–५८ ..	१,०८,४६४ घनफुट	.. १ आ० प्रति घनफुट
१९५८–५९ ..	२,०८,४९० घनफुट	.. २ आ० प्रति घनफुट
१९५९–६० ..	१,८८,८४६ घनफुट	.. २ आ० प्रति घनफुट
१९६०–६१ ..	२,८७,५३० घनफुट	.. २ आ० प्रति घनफुट
१९६१–६२ ..	१,५१,३२१ घनफुट	.. २ आ० प्रति घनफुट
(फरवरी, १९६२ तक)	४७,४२२ घनफुट	.. ४० न० पै० प्रति घनफुट
कुल योग ..	९,९२,०७३ घनफुट	

*२—**श्री बेदराम, श्री श्रीराम, श्री बसन्तसिंह** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सन् १९६१–६२ में कम्पनी को धौलछीना, बिनसर, जिला अल्मोड़ा आदि जंगलों में खड़े चीड़ के पेड़ दिये गये हैं, जिनमें अधिकांश पेड़ इमारती लकड़ी के काम के लायक हैं, ऐसी कितनी लकड़ी किस कीमत पर दी गई है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां, सन् १९६१–६२ में बिनसर आदि जंगलों में से फरवरी, १९६२ तक कुल ४७,४२२ घनफुट लकड़ी खड़े चीड़ के पेड़ों के रूप में ४० नये पैसे प्रति घनफुट की दर पर स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को दी गई, परन्तु इमारती लकड़ी के काम लायक कोई भी खड़े चीड़ के पेड़ उक्त मिल को नहीं दिये गये। धौलछीना कम्पार्टमेंट से कोई भी खड़े पेड़ इस मिल को नहीं दिये गये।

*३—**श्री बेदराम, श्री श्रीराम तथा श्री बसन्तसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार को श्री गोविन्द सिंह बिष्ट, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा का कोई पत्र बनों के सम्बन्ध में मार्च, १९६२ में मिला है ? अगर हां, तो वह क्या है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां, श्री गोविन्दसिंह बिष्ट का पत्र दिनांक ५ मार्च, १९६२ सरकार को मिला है। उक्त पत्र खड़े चीड़ के पेड़ों को स्टार मिल सहारनपुर को देने, स्थानीय फ्यूल डिपो को खराब लकड़ी मिलने, कुमायूं के निवासियों के हक-हकूक की सुरक्षा तथा कुमाऊं बन तथ्य शोधक समिति की रिपोर्ट के बारे में है। इस पत्र पर विचार हो रहा है।

वाराणसी जिले को गैलवेनाइज्ड आयरन का कोटा

*४—**श्री गिरधारीलाल** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर तथा जिला को सन् १९५९–६०, ६०–६१ तथा १९६१–६२ में कितने गैलवेनाइज्ड आइरन शीट का कोटा दिया गया ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—आंकड़े निम्नलिखित हैं।

	टन	किलोग्राम
१९५९–६० ..	१३०	३७०
१९६०–६१ ..	३५३	१२८
१९६१–६२	३४२	२५२

*५—श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित)—१९६१-६२ में उक्त कोटे के लिये कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये ? उनमें कुल कितने लोगों को परमिट मिले ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सन् १९६१-६२ में उक्त कोटे के लिये कुल १,८२७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये उनमें से कुल १,२९४ लोगों को परमिट दिये गये।

*६—श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित)—क्या रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वर्षों में कितना स्टाक समय से वितरण न होने से स्टाकिस्ट को फ्री सेल के लिये रिलीज हो गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उक्त वर्षों में गैलवेनाइज्ड आयरन शीट का कोई भी स्टाक फ्री सेल के लिये स्टाकिस्ट को रिलीज नहीं किया गया।

अध्यक्ष, नगरपालिका, झांसी द्वारा स्वीकृति के बिना धन का व्यय

*७—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा कितने हजार रुपये का काम बिना बोर्ड की स्वीकृति के अमानी पर १ जनवरी, १९६० से २५ मार्च, सन् १९६२ तक कराया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—झांसी नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा ७,३४५ रु० ९१ नये पैसे का काम बिना बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के अमानी पर १-१-६० से २५-३-६२ तक कराया गया जिसमें से ५४०२ रु० ११ नये पैसे के काम की कार्योत्तर स्वीकृति बोर्ड अथवा निर्माण समिति ने दे दी है। इस सम्बन्ध में जांच की गयी थी और मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका झांसी के अध्यक्ष को सिर्फ ५० रु० तक खर्च करने का अधिकार है तो उन्होंनें ७,३४५ रुपये बिना बोर्ड की स्वीकृति के खर्च किये, इस मामले में अब तक कोई कदम न उठाने का क्या कारण है और जांच कब समाप्त हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जिस समय सरकार के पास इसकी इत्तला आई, सरकार ने उचित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और उससे मालूम हुआ कि २४ ऐसे कार्य हैं जिनकी वहां के बोर्ड और विकास सिमिति से स्वीकृति ली जा चुकी थी, केवल चार ऐसे कार्य हैं जो कि बोर्ड की जानकारी में तो हुये किन्तु नियमानुकूल बोर्ड से परमीशन नहीं ली गयी इसलिये वह सरकार के विचाराधीन है।

श्री लखपतराम शर्मा—श्रीमन्, मेरा यह प्रश्न है कि आपको यह शिकायत कब मिली और आप की जांच कब समाप्त हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसकी शिकायत ६-३-६१ को प्राप्त हुई।

श्री नरसिंहनारायण—क्या माननीय स्वायत शासन मंत्री बतायेंगे कि उन्होंने वाकफियत दी कि २४ ऐसे कार्य हुये हैं जिनके बारे में बोर्ड की स्वीकृति मिल गयी है और ४ में स्वीकृति नहीं मिली है। तो यह जो १,३४५ रुपये के कार्य बिना स्वीकृति के हुए हैं उनमें क्या २४ कार्य भी सम्मिलित हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—यह मामला सरकार के विचाराधीन है इसलिये अधिक विवरण देना उचित नहीं होगा।

श्री लखपतराम शर्मा—मैंने यह निवेदन किया कि इंक्वायरी कब समाप्त हुई और उस पर अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि अभी इन्क्वायरी समाप्त नहीं हुई। चार मामले, जो सरकार को मालूम हुये हैं, उनमें अभी इंन्क्वायरी हो रही है।

श्री लखपतराम शर्मा—जो मामले बोर्ड में स्वीकृत हो चुके हैं, उनकी स्वीकृति कब हुई इसका उत्तर नहीं दिया गया।

श्रीमती तारा अग्रवाल—मान्यवर, प्रश्न कर्ता का जो प्रश्न है, इसकी इत्तला मुझे इस समय नहीं है, मंगा कर दी जा सकती है।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—क्या माननीय स्वायत शासन मंत्री बतायेंगे कि विचाराधीन क्या है? बिना स्वीकृति के जो यह धन अध्यक्ष ने स्वीकृत किया है उसका क्या दंड दिया जाय, यह विचारधीन है अथवा अनधिकृत रूप से जो खर्चा हुआ है, यह विचाराधीन है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, जब कोई अध्यक्ष पहले गलती करता है तो संबन्धित स्वायत्त शासन संस्था का यह कर्तव्य है कि वह उसका जवाब तलब करें और उस पर ऐक्शन ले लेकिन उन्होंने किया नहीं। अब उन्होंने कुछ खर्चा किया कि उसकी स्वीकृति मिल जायगी। कुछ आइटम्स की स्वीकृति उनको दे भी दी गयी है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से। थोड़ी-सी रकम इसमें और बची है। खबर है कि कुछ और रकम इन्होंने बिना स्वीकृति के खर्च की है। इसलिये जब तक मामले की पूरी जांच न हो जाय, कोई ऐक्शन लेना उचित नहीं होता। इसके अलावा बाद में बोर्ड और स्वीकृति दे देते हैं तो सरकार का ऐक्शन बेकार हो जाता है।

श्री लखपतराम, शर्मा—क्या इस प्रकार की शिकायत पर अध्यक्ष को मुअत्तिल किया जायगा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने निवेदन किया कि बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है इसलिये मुअत्तिल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—जो रकम बिना स्वीकृति के खर्च की गयी है वह कौन-सी मद पर खर्च की गयी है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—फर्श और नाली पर।

नगरपालिका, फतेहपुर द्वारा वसूल किये गये टैक्स की वापसी का मतालबा

*८—**श्री रक्षपालसिंह** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका फतेहपुर ने जो हाउस टैक्स लगाये थे तथा जो सन् १९६१ में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिये गये हैं उनकी वसूल की गयी रकम को सम्बन्धित नागरिकों को वापस करने की नगरपालिका या सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस विषय में सरकार तथा नगरपालिका ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश अपने फैसले में नहीं दिया है और न सरकार अथवा नगरपालिका ऐसी किसी कार्यवाही के लिये बाध्य थे।

गाजीपुर तथा राज्य के अन्य जिलों में कोयले का वितरण

*९—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के लिये कोयला कहाँ से आता है और कहां-कहां बटवारे के लिये इकट्ठा किया जाता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उत्तर प्रदेश के लिये कोयला बंगाल, बिहार तथा आसाम की खदानों से आता है। बटवारे के लिये कहीं इकट्ठा नहीं किया जाता ।

*१०—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कोयले के कौन-कौन लाइसेंसी हैं और उनको कोयला कहां से दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—गाजीपुर जिले में जो कोयले के लाइसेन्सी हैं उनकी सूची संलग्न है। उनको कोयला जिले में जो कोयला आता है उसमें से दिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३५ पर)

*११—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जिलेवार कितना कोयला प्रतिवर्ष चार वर्षों में दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३६–२४२ पर)

श्री कमलासिंह यादव—क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में रेट सिस्टम से कोयला डिस्ट्रीब्यूशन होने से डाइरेक्ट लायसेंसी को कोयला नहीं दिया जाता है जिससे कोयला मंहगा पड़ता है और लाइसेंसीज को बड़ी कठिनाई होती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जब कोयले की कमी हुई तो केन्द्रीय सरकार ने यह सलाह दी कि स्लैक सीजन में यानी जुलाई से अक्टूबर तक जब कि रेल वैगन्स खाली रहते हैं उस वक्त डम्प बनाकर कोयला इकट्ठा कर लिया जाय क्योंकि बाद में तो गन्ने वगैरह में ही वैगन्स लगे रहते हैं कुछ एक्स कोटा आना था और उसके लिये डम्प ६–७ जगहों में मुकर्रर किये थे लेकिन कोयला इतना आया नहीं जिससे डम्प स्कीम कोई खासतौर पर कामयाब होती और जब रेगुलर कोटा आता नहीं था तो एक्स कोटा कहां से आता । अब ६-७ जिलों में जो डम्प बने है उन में थोड़ा-सा कोयला आया, किन्तु लोकल डिमान्ड ही इतनी ज्यादा होती है कि आते ही वहीं बंट जाता है और डम्प में जमा करने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिये उसको फिर दूसरी जगह बांटने का भी प्रश्न नहीं उठता ।

जहां तक पूर्वी जिलों का सवाल है, खासतौर पर गाजीपुर वगैरह का, अब एक बात सोची गयी है कि बरौनी तक कोयले को रोड से लाया जाय और उसके बाद मीटर गेज रेलवे द्वारा उसे अन्य स्थानों को भेज दिया जाय, इससे काफी सहूलियत हो जायगी ।

श्री कमलासिंह यादव—क्या यह सही है कि गाजीपुर के लिये ट्रांशिपमेन्ट वाराणसी के थ्रू होता है और फिर गाजीपुर से औड़िहार और औड़िहार से गाजीपुर जाने में लाइसेंसी का दुगुना खर्च होता है, इस तरह से जमानिया में बड़ी लाइन है जहां से गाजीपुर को छोटी लाइन जाती है और उसमें भी डबल खर्च होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ये सुझाव जो आपने दिये हैं यदि आप लिखकर दे दें तो उस पर विचार किया जायगा कि कहां तक वह सम्भव हो सकता है ।

श्री रामायण—मान्यवर, कोयले की समस्या की कठिनाई को देखते हुए गत वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि रेलवे अधिकारियों से वे बात कर रहे है और इस सम्बन्ध में काफी सफलता मिली है । फिर भी पिछले वर्ष से यह समस्या अधिक जटिल हो गयी इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जटिल तो नहीं हुई है लगभग वैसी ही है । गत वर्ष वह कोटा कागजी था रियलिस्टिक नहीं था । अब उन्होंने नया प्लान किया है उसमें रियलिस्टिक बना दिया है । पहले जितना कोटा था उतना देते नहीं थे लेकिन अब जितना एलाटमेन्ट है उतना तो देंगे ही । पहले केवल कागजी कोटे की बात थी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि जहां मीटर गेज है वहां मुकाबलतन दूसरी जगहों से कठिनाई है ? यदि हां, तो सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या उपाय सोच रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने अभी बतलाया कि कोयला कंट्रोलर ने एक आल्टरनेटिव तरीका यह दिया है कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जहां कि मीटर गेज है पहले बरौनी तक रोड से कोयला लाया जाय और फिर नार्थ इस्टर्न रेलवे द्वारा उसे छंटे हुए स्थानों पर भेज दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलों को कोयला देने का उन का आधार क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह देखा जाता है कि वहां की आबादी कितनी है और वहां के शहर किस प्रकार के हैं, कितनी वहां की आवश्यकता है जहां कि कोयला इस्तेमाल होता है; वहां के लोगों की आदत का भी खयाल किया जाता है ।

श्री गेंदासिंह—यह एन० ई० आर० की जो छोटी लाइन है उसके अधिकारियों से मंत्री जी ने बात की कि बरौनी तक रोड से कोयला आ जाय और उसके बाद उसको मीटर गेज से भेजने की व्यवस्था हो जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मेरी स्वयं बात नहीं हुई, लेकिन एक कांफ्रेंस हुई थी; आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन वह करते कुछ नहीं हैं । अब उनसे लिख कर पूछा है कि क्या वह बरौनी तक रोड से लायेंगे और बाद में सब जगह रेल से भेजेंगे ।

श्री गेंदासिंह—क्या इस बात को देखते हुये कि पूरे प्रदेश में कोयले का बहुत बड़ा संकट है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि वह स्वयं मई के पहले सप्ताह में केन्द्रीय सरकार से इस विषय में बातचीत करेंगे, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने संकट को हल करने के लिये कोई बातचीत की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुझे सूचना मिली है कि कांफ्रेंस हो रही है और हमारे डिप्टी सेक्रेटरी उस कांफ्रेंस में गये थे क्योंकि वह कांफ्रेंस अफसरों के लेविल पर हो रही थी । सम्भवतः माननीय मुख्य मंत्री जी तो वहां नहीं जा पाये हैं, लेकिन बात किसी से भी की जाय, वैगन्स की कमी को वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वैगन्स की दिक्कत है । जहां तक दूसरे रिसोर्सेज की बात है, अभी सोच रहे हैं कि पानी से लाने का इंतजाम किया जाय और कोई दूसरा तरीका नहीं है । डर यह भी रहता है कि कहीं और कम न हो जाय, इसलिये सब सोच समझ कर करना होता है । जहां तक वैगन्स की बात है, मुमकिन है कि नये रेल मंत्री कोई तरीका निकाल सकें बाकी कोशिश तो रोजमर्रा हो रही है और इंतजाम हो रहा है ।

श्री कमलासिंह यादव—भारत सरकार ने गंगा नदी के द्वारा पटने से इलाहाबाद का स्टीमर ट्रैफिक का सर्वे कराया है ? तो क्या सरकार पटने से इलाहाबाद तक वाटर ट्रान्सपोर्ट द्वारा इस चीज को चालू करने के लिये भारत सरकार को लिखेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने खुद कहा है कि वाटर ट्रान्सपोर्ट द्वारा इस चीज को लाने की स्कीम बन रही है ।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी इस तालिका को देखेंगे जो माननीय सदस्य को प्रेषित की गई है ? इसके अनुसार आजमगढ़ को अभी तक केवल ५ वैगन्स भेजे गये हैं जबकि पिछले साल २७२ गये थे तो पिछले साल के मुकाबले में इतनी कमी का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—और जिलों का मालूम कीजिये तो कहीं बढ़ गये होंगे कहीं घटे हैं, बात बराबर हो गई ।

श्री नरसिंहनारायण—यह कहा गया कि कोयले की कमी है, मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछले साल से इस साल कोयले की कितनी कमी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वैसे तो ठीक फिगर्स के लिये सूचना की आवश्यकता होगी। पिछले साल ज्यादा आया था और इस साल अभी तक लगभग उसका आधा आया है।

श्री रामायण—छपरा जिला जो कि छोटी लाइन पर है वहां इफरात से कोयला मिल रहा है और पिछले साल भी मैंने सुझाव दिया था, कोयला ट्रक्स द्वारा मंगाने में क्या कठिनाई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं तो कई बार कह चुका हूं कि पूरी इजाजत है, लेकिन उस तरीके से कोयला लाने में कीमत उसकी बहुत बढ़ जाती है।

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न पिछली बार पूछे जा चुके हैं वही फिर पूछे जा रहे हैं, ऐसा न होना चाहिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या मंत्री जी अपनी सूची को देखेंगे जिसमें वाराणसी के बारे में कहा गया है कि वहां सब जगह ५० प्रतिशत कोयला दिया गया है, लेकिन वहां मुश्किल से २५ प्रतिशत कोटा पूरा हुआ है ? इस का कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि हर जिले को एक सा नहीं पहुंचा है, वह वैगन्स के मूवमेंन्ट के मुताबिक पहुंचा है; कहीं ज्यादा पहुंच गया, पिछले साल कम गया होगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोयले के संकट को बढ़ाने में पाकिस्तान को जो कोयला जा रहा है वह भी एक कारण है संकट का, तो क्या मंत्री जी इस संबंध में भारत सरकार से बातचीत करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अब पाकिस्तान जाने की वजह से कमी है, या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। रेलवे वैगन्स की कमी है। कोयला हमारे पास बहुत है लेकिन लाने की दिक्कत है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—विरोधी दल के जिन माननीय सदस्यों को आप क्वेश्चन आवर में मौका देते हैं और उनका नाम बुलाते है उनमें कुछ को बारबार खड़ा होने पर भी मौका नहीं मिलता है। तो क्या आप उनका नाम नहीं जानते या कुछ अन्य कठिनाई है जिसकी वजह से आप उनको मौका नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष—जिनका नाम मैं नहीं जानता उनसे पूछ लेता हूं। यह मेरी आंख का कसूर है, मेरे दिल का नहीं है।

गाजियाबाद नगरपालिका का चुनाव न होना

*१२—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास गाजियाबाद के नागरिकों की ओर से इस बात की मांग पहुंची है कि गाजियाबाद नगरपालिका के चुनाव फिर से कराये जायें क्योंकि बोर्ड के भंग रखने से लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—केवल एक ऐसी मांग १९६० के दिसम्बर मास में प्राप्त हुई थी।

श्री तेजसिंह—क्या सरकार बतलायेगी कि निश्चय क्या किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—निर्णय यह किया गया कि चुनाव न कराये जायें।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—गाजियाबाद नगरपालिका को कितने दिनों से भंग किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शायद दो साल हो चुके हैं ।

श्री तेजसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वहां पर कब तक चुनाव कराने का विचार सरकार का है? यदि जल्दी कराने का विचार नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर को सलाह-मशिवरा देने के लिये कुछ व्यक्तियों की कमेटी मुकर्रर करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी चुनाव कराने का विचार तो है नहीं । फिलहाल कुछ दिनों तक वहां पर मास्टर प्लान चलाया जा रहा है और सरकार का ऐसा खयाल है कि चुनाव करा देंगे तो मास्टर प्लान को कार्यान्वित करने में काफी दिक्कतें पैदा होंगी । अभी तक गाजियाबाद से पब्लिक के नाम से जो लोग मिलने आये हैं उन्होंने ऐसी शिकायतें कीं जिससे अन्देशा यही होता है कि मास्टर प्लान के बनने में दिक्कत होगी । अगर मास्टर प्लान के बनने में दिक्कत पैदा न हो तो विचार किया जा सकता है कि एक एडहाक कमेटी बना दी जाय ।

श्री चन्द्रजीत—मास्टर प्लान कार्यान्वित करना है इसलिये सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है । तो क्या दूसरे नगरों में भी मास्टर प्लान बनाये जायेंगे तो सरकार वहां की नगरपालिकाओं को भंग कर देगी मास्टर प्लान को कार्यान्वित करने के लिये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार के सामने सचमुच बड़ा विकट प्रश्न है । जो डेवलपमेंट का काम है उसको साधारणतया स्वायत्त शासन संस्थाओं पर छोड़ने में बहुत दिक्कत और देरी होती है । तो यह प्रश्न है क्यों न जो पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बने थे उनको फिर से कायम किया जाय और वह काम अच्छी तरह से चल सकें? जो यह प्रश्न विचाराधीन है कि नगरपालिका को काम दिया जाय तो उनके काम की गति बहुत धीमी होती है । लिहाजा यह प्रश्न विचाराधीन है कि जब सब काम हो जाय तो उसको कायम किया जाय ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री कैबिनेट को यह सलाह देंगे कि जब तक फाइव-ईयर प्लान चलता रहे तब तक चुनाव न करायें जायं ताकि इसकी गति तेज हो जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री ऊदल—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां मास्टर प्लान कराया जा रहा है इसलिये चुनाव कराने का इरादा नहीं है । मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में भी विकास के बहुत काम हो रहे हैं तो क्या मौजूदा सरकार भारत सरकार से सिफारिश करेगी कि उत्तर प्रदेश की असेम्बली को भंग किया जाय और यहां का मंत्रि परिषद् भी भंग कर दिया जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामसुन्दर—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद नगरपालिका भंग करने का कारण क्या था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उसका कारण तो कुप्रबन्ध था, लेकिन मैं एक गलतफहमी दूर कर दूं कि गाजियाबाद शहर अपनी पापुलेशन के हिसाब से तिगुना, चौगुना और पचगुना बढ़ने वाला है । इसलिये वास्तव में जो वहां के परमानेन्ट लोग हैं उनके अधिकार इतने नहीं छिन रहे हैं बल्कि जो लाखों आदमी वहां आ कर बसेंगे उनके अधिकारों की थोड़ी सुरक्षा की जा रही है ।

कुंवर श्रीपाल—माननीय मंत्री जी कब तक उम्मीद करते हैं कि वहां चुनाव हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—यह तो अभी बताया उन्होंने । उन्होंने कहा था कि यह अभी नहीं बता सकते ।

वाराणसी नगर महापालिका के लिय कथित मास्टर प्लान

*१३—श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगरमहापालिका ने नगर के सुधार के लिये कोई मास्टर प्लान तैयार किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वाराणसी नगरपालिका या नगर महापालिका ने अभी तक नगर के सुधार के हेतु कोई मास्टर प्लान नहीं तैयार किया है ।

*१४—श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्लान को पूरा करने का कोई समय निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो मास्टर प्लान में पड़ने वाले क्षेत्र के नागरिकों को गृह निर्माण तथा मकान मरम्मत आदि की इजाजत नगरमहापालिका क्यों नहीं देती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसी दशा में यह प्रश्न नहीं उठता ।

[७ मई, १९६२ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने की सिफारिश

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, १९६२ को महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकारी कर्मचारियों को पांच रुपये महीने बढ़ाने का जो आदेश दिया था तो क्या वह महापालिका के कर्मचारियों के ऊपर लागू किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं, वे आदेश केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं । स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतनों पर उसका असर नहीं पड़ता ।

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो सुविधायें दवाई, पेन्शन की सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं वह महापालिका के कर्मचारियों को नहीं दी जातीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—नहीं दी जातीं, क्योंकि महापालिका के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तें सरकारी कर्मचारियों से भिन्न हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब महापालिका अर्द्ध सरकारी संस्था मानी जाती है तो उसको वही महंगाई भत्ता देने में क्या आपत्ति है जो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, आपत्ति मौलिक है । सरकार के सामने यह कठिनाई है कि पैसा कहां से आये और इन संस्थाओं को स्वायत्त संस्था बनाने में इनके ऊपर भी जिम्मेदारी डालने की जरूरत है ताकि वे भी कोशिश करें और सरकार का हाथ बटायें ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों और महापालिका के कर्मचारियों की नौकरी में क्या अन्तर है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ठीक तो प्रश्न में समझा नहीं, लेकिन अन्तर एक है कि एक सरकारी नौकर हैं और दूसरे महापालिका के नौकर हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्वायत्त शासन और सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में इसके पूर्व क्या अन्तर था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना की जरूरत होगी ।

श्री रामायण—महापालिकाओं के कर्मचारियों के कम वेतन को देखते हुये, उनको अधिक वेतन मिल सके इसके लिये सरकार कोई प्रयास करने जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसीलिये नगर महापालिकाओं को जन्म दिया था कि वे उनके नजदीक रहेंगी, उनकी जरूरत को ज्यादा समझ सकेंगी और उनकी तकलीफ को हटा सकेंगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि महापालिकाओं के कर्मचारियों की यूनियन ने कोई मांग सरकार के पास भेजी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसके लिये सूचना की जरूरत होगी ।

नगरपालिकाओं व महानगरपालिकाओं को आवास तथा गन्दी बस्तियां हटाने के लिये अनुदान

*३—**श्री चन्द्रजीत**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१–६२ के बजट साल में राज्य के किन-किन महापालिकाओं और नगरपालिकाओं को आवास हेतु कितना-कितना धन दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में नगरपालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं को आवास हेतु अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना (Low Income Group Housing Scheme) के अन्तर्गत कुल १७,२६,४०० रु०, मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना (Middle Income Group Housing Scheme) के अन्तर्गत कुल २३,८०,००० रु० तथा गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना (Slum Clearance Scheme) के अन्तर्गत कुल ३९,९१,२५० रु० दिया गया जिसका पूरा विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४३ पर)

*४—**श्री चन्द्रजीत**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त कार्य के लिये १९६१–६२ के बजट वर्ष में केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार ने कितने धन की सहायता की मांग की थी और उसे कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—१९६१–६२ में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अल्प वर्ग गृह निर्माण योजना (Low Income Group Housing Scheme) के अन्तर्गत ४८ लाख, मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना (Middle Income Group Housing Scheme) के अन्तर्गत १७ लाख तथा गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना (Slum Clearance Scheme) के अन्तर्गत ५५ लाख रुपये की मांग की थी । केन्द्रीय सरकार ने मांग स्वीकार करके सारा रुपया दे दिया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक योजना के अन्तर्गत हुये वास्तविक व्यय के आंकड़ों की जांच के उपरान्त केन्द्रीय सरकार शेष रुपया देगी ।

*५—**श्री चन्द्रजीत**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने महानगरपालिकाओं के अन्दर रहने वाले अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के लिये आवास निर्माण हेतु विशेष योजना बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं । ऐसा कोई पत्र केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन अनुरोध करता हूं कि इनका उत्तर मेरे पास पहुंचा नहीं है और मैंने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था कि रायल होटल के आस-पास जो विधायक निवास बने हैं वहां नोटिस आफिस न होने से एजेंडा और पत्र आदि ठीक समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने इसकी व्यवस्था के लिये कहा था परन्तु नहीं हो सकी। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि भविष्य में इसकी व्यवस्था कर दें।

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से स्लम दूर करने के लिये ५५ लाख रुपया जो मिला है, उसमें कानपुर में बड़े पैमाने पर स्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिये राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है ताकि तत्काल उनको दूर किया जा सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—श्रीमन्, कवाल टाउन्स के लिये विधान परिषद् से एक बिल पारित हो चुका है और वह शीघ्र ही विधान सभा में आयेगा और कवाल टाउन्स में कानपुर भी निहित है।

श्री चन्द्रजीत—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो रुपया महापालिका के अल्प भोगी और मध्यम वर्ग के लिये दिया जाता है, उसके लिये सरकार ने कोई आधार नियत किया है कि किस आधार पर दिया जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, ऐसा कोई आधार नहीं है। जहां से मांग आती है वहां दिया जाता है। लेकिन बड़े शहरों में जहां ज्यादा डिफिकल्टी है वहां प्रायमिकता दी जाती है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी बताया कि केन्द्रीय सरकार से पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार कोई इस प्रकार की योजना बना रही है कि महापालिका के छोटे कर्मचारियों के कुछ घरों का निर्माण किया जाय और केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगने के लिये कोई योजना भेज रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी आवश्यकता नहीं है, जो लो इन्कम ग्रुप की स्कीम है उसमें से कर्मचारियों को आवास बनाने के लिये पैसे दे सकती है।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, मंत्री जी ने बताया कि इस संबंध में विधेयक पेंडिंग है और उसके पारित होने में समय लग सकता है, तो जो ५ नगर महापालिकायें हैं वहां के कर्मचारियों की दिक्कत को दूर करने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, उसके लिये ही यह योजना बन रही है स्लम क्लियरेंस की और जितना पैसा मिल सकता है उसके लिये योजनायें बनायी जाती हैं। सारे हिन्दुस्तान में यह रुपया बंटता है। इतना रुपया नहीं है कि जितना हम मांगें उतना मिल सके। इसलिये धीरे-धीरे जितनी जमीन मिल जाती है, जितना प्रबन्ध हम कर सकते हैं, और केन्द्र से जितना रुपया मिल जाता है, इन तीनों बातों को देखते हुये यह कार्य हो रहा है। पैसे की कमी की वजह से ज्यादा पैसा हमें नहीं मिल रहा है।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, जो ५५ लाख रुपया सरकार को केन्द्रीय सरकार से मिला है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस रुपये के इस्तेमाल के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है ताकि उसका इस्तेमाल किया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, उसी के आधार पर तो रुपया मांगा गया था।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, मैंने पूछा था कि क्या सरकार ने कोई योजना उसके लिये बनायी है ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है, मंत्री जी, कि कोई योजना उस सम्बन्ध में बनी है ? अगर बनी है तो वह क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—योजनायें एक नहीं होती हैं । बहुत-सी योजनायें बनानी होती हैं । जहां इस तरह की गन्दी बस्तियां होती हैं, उनको हटाकर दूसरी बसानी होती हैं । इस तरह अनेक योजनायें बनानी होती हैं । कुछ को कार्यान्वित कर दिया जाता है, कुछ के लिये नोटिफिकेशन होता है, और फिर उसके लिये जमीन वगैरह ऐक्वायर होती है । इस तरह से यह एक कांटीन्यूड प्रोसेस है ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में जिस वक्त प्रधान मंत्री जी गये थे उस वक्त इन स्लम्स को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि इनमें आग लगा दी जाय, तो उनको तो इतनी तकलीफ थी, तो इस कार्य में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, कहीं आग लगाने की भी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—विलम्ब हो रहा है, यह आप पूछ लें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, प्रधान मंत्री जी ने क्या कहा यह तो जिम्मेदारी उनकी है । लेकिन अगर हमको पूरा रुपया मिल सके और जमीन वगैरह एक्वायर करने की दिक्कत न हो तो हम और फौरी योजनायें बना सकते हैं । इसके अलावा इसमें २५ प्रतिशत रुपया यहां की सरकार को देना पड़ता है । उस पैसे को पूरा करना बहुत आसान नहीं है । इसलिये यह दिक्कत इसमें है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६१–६२ में ५५ लाख रुपया जो केन्द्रीय सराकार ने दिया उसमें से अब तक उस योजना में कितना रुपया खर्च किया गया और कितना बाकी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—मान्यवर, उसकी तो सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री रामायण—माननीय मंत्री जी केवल यही बताने की कृपा करें कि क्या जो योजनायें इस रुपये से चलाई जा रही हैं उसमें कानपुर में कोई योजना है या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—मान्यवर, योजना को पूरे तौर से बताना तो जरा असम्भव होगा । उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । किन्तु जहां तक कानपुर नगर का प्रश्न है, उसमें इतना मैं बता सकती हूं कि कानपुर नगर महापालिका ने बहुत-सी बस्तियों का निर्माण कर दिया है, बहुत-सी गन्दी बस्तियां हटा दी हैं और बहुत-सी योजनायें उसके सामने हैं जो कि निर्माण कार्य को प्रारम्भ कर रही हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये विचाराधीन रख छोड़ा गया है उसके लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न व्यावहारिकता से परे है । जहां निर्माण का प्रश्न आता है वहीं जो विस्थापित होते हैं उनका प्रश्न सामने आता है । यह इतना आसान नहीं होता है कि पहले के रहने वालों को एकदम से हटा दिया जाय और दूसरों को बसा दिया जाय । इसलिये इस कार्य में कुछ देर जरूर लग रही है ।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितना रुपया सरकार को इस सम्बन्ध में मिला था उसमें से कितना रुपया खर्च हुआ और कितना अभी तक बाकी है और जो बाकी है वह क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—२४ लाख रुपया इलाहाबाद को स्वीकृत है जिसमें से २० लाख रुपया जा चुका है । १८ लाख ११ हजार रुपया गन्दी बस्तियों के लिये कानपुर को जा चुका है । अब और के लिये सूचना की आवश्यकता होगी । मैं अपनी जानकारी से बता सकता हूं कि सैकड़ों, हजारों मकान बन चुके हैं, फिरोजाबाद में बन चुके हैं, बनारस में बन चुके हैं, कानपुर में बन चुके हैं । सूचना मिलने पर लिस्ट दे दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष—अब माननीय सदस्य सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी इतना आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि स्लम के लिये जो यह ५५ लाख रुपया आया है, वह इस वर्ष में खर्च हो जायगा, लैप्स नहीं होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जिन बस्तियों को हम हटाना चाहते हैं वहां पर पजेशन लेने में कठिनाई होती है और इस सदन के सदस्य और आम जनता के प्रमुख आदमी आ-आकर जोर डालते हैं कि इस जमीन को न लिया जाय, इसको छोड़ दिया जाय । यह दिक्कत अगर न हो तो करीब-करीब सारा रुपया खर्च हो सकता है।

जिला पूर्ति अधिकारी, वाराणसी, के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

*६—**श्री गिरधारीलाल** (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी पूर्ति कार्यालय एवं रेन्ट कन्ट्रोल कार्यालय एक ही इमारत में स्थित हैं तथा दोनों कार्यालयों में भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां ।

जिला पूर्ति अधिकारी, वाराणसी, के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र कुछ समय पूर्व प्राप्त हुआ था और उस पर आवश्यक जांच की जा रही है।

*७—**श्री गिरधारीलाल** (अनुपस्थित)—क्या माननीय मन्त्री जी रेंट कन्ट्रोल कार्यालय को पूर्ति कार्यालय से अलग करके वाराणसी कोर्ट में चले जाने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ताकि नागरिकों को सुविधा हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

इस विषय में जिलाधीश, वाराणसी, आवश्यक प्रबन्ध कर रहे हैं।

जंगलों के निकट खेतों की रक्षा के लिये प्रार्थना

*८—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) तथा **श्री मुन्नूसिंह** (जिला बहराइच)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी जंगलों के निकट किसानों को अपने खेत में जंगली जानवरों को जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, मारने या पकड़ने की आज्ञा है या नहीं ?

वन मंत्री के सभासचिव (श्री हरीदत्त)—वाइल्ड बर्ड्स एन्ड एनीमल्स प्रोटेक्शन (यू० पी० अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९३४ की धारा ८ के अन्तर्गत हर एक व्यक्ति को अपनी जान व माल की रक्षा के हेतु किसी भी जंगली जानवर को मारने व पकड़ने का अधिकार है।

*९—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री मुन्नूसिंह**—यदि नहीं, तो उनकी फसल की क्षति पूर्ति तथा बचाने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री हरीदत्त—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि यह नियम होते हुये भी किसानों के खेत में जो जंगली जानवर जाते हैं, अगर उनको पकड़ते हैं तो जंगल वाले उनके साथ ज्यादती करते हैं और तंग करते हैं ?

श्री हरीदत्त—सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि निघासन क्षेत्र में फारेस्ट के किनारे एक चीतल खेत में मारने से उन लोगों से १,७०० रुपया लिया गया है, इसकी सूचना सरकार को है ?

श्री हरीदत्त—इस प्रकार की कोई सूचना सरकार को नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण—इस बात को सूचना मानकर कि जंगल के किनारे बहुधा जंगली जानवर आकर किसानों के खेतों को चरते हैं और उससे किसानों को प्रतिवर्ष इस प्रदेश में करोड़ों रुपये की हानि होती है, कोई योजना, उन जंगली जानवरों के सम्बन्ध में घेर कर तार आदि लगाने की, बनाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री हरीदत्त—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि कहीं पर मास स्केल पर ऐसा नुकसान होता है। जहां पर सरकार को इस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो उनको तार वगैरह से घेरकर बचाने का प्रयत्न किया जायगा। जहां तक निजी माल की रक्षा करने का प्रश्न है वह उनको अधिकार है ही।

श्री रामायण—मान्यवर, यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून के रहते हुये जंगल के किनारे जो काश्तकार हैं उनकी फसलों को जंगली जानवर क्षति न पहुंचायें, इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—उनको अधिकार दिया गया है कि अपने खेतों की रक्षा के लिये जानवरों को पकड़ें। इतने वाइड पावर्स उनको हैं और सरकार क्या करे ?

*१०—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री मुन्नूसिंह—[२८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

वाराणसी नगरमहापालिका में चुंगी की नई सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता

*११—श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि वाराणसी नगर महापालिका में चुंगी के दफ्तर नई सीमा पर नहीं ले जाये गये हैं जिसकी वजह से नई सीमा के अन्दर रहने वालों से भी चुंगी वसूल की जाती है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—नगर महापालिका वाराणसी बनने से पूर्व भी चुंगी के दफ्तर नगरपालिका की सीमा के अन्दर थे। इसका कारण यह था कि नगर पालिका की सीमा में कुछ ऐसे बड़े ग्रामीण क्षेत्र शामिल थे जिनमें आबादी बहुत थोड़ी थी। इससे यह कठिनाई पैदा होती थी कि नगरपालिका वाराणसी को उक्त क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में चुंगी चौकियां स्थापित करनी पड़तीं, जिनके स्टाफ पर काफी धन व्यय होता जो कि उक्त चौकियों से होने वाली आय के अनुपात में बहुत अधिक होता। यह परिस्थिति वाराणसी के नगर महापालिका बनने के पश्चात् भी है। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझती।

श्री ऊदल—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मौजूबीर, शिवपुर, पांडेपुर तथा महुआडीह इन स्थानों में चौकी चुंगी हैं और क्या इनकी सीमा निर्धारित करने के लिये कोई प्रस्ताव आया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—नगरमहापालिका से अभी तक कोई प्रस्ताव चुंगी की नई सीमा निर्धारित करने के लिये या पुरानी सीमा को हटा कर के नयी बनाने के लिये नहीं आया है।

श्री ऊदल—नगरमहापालिका बन जाने के बाद अब चुंगियां २, ३ मील दूर हैं तो उन चुंगियों को हटाने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है?

श्री अध्यक्ष—जवाब यह है कि उनके पास इस सम्बन्ध में सूचना नहीं आयी है कि सीमा बढ़ा दी जाय।

श्री ऊदल—मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सीमा बढ़ायी गई है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सीमा बढ़ायी गई है किन्तु सरकार हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती।

श्री ऊदल—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि जो लोग सीमा के अन्दर आ गये हैं उन से भी चुंगी वसूल हो रही है, वह उनसे वसूल न की जाय?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—चुंगी सीमा के अन्दर जहां सैकड़ों हजारों रुपयों का माल चुंगी के अन्दर आता है, वहां चुंगी के अलावा भी बहुत सा माल आता है और इस तरह से उनको नुकसान भी है और फायदा भी।

श्री अध्यक्ष—मन्त्री महोदय, ऊदल जी का कहना यह है कि महापालिका की सीमा के अन्दर अब वे व्यक्ति रहते हैं उनके ऊपर चुंगी नहीं लगनी चाहिये। इस शिकायत के बारे में आपको कोई सूचना है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, इसी का उत्तर तो दिया है कि कानून के मुताबिक यह जरूरी नहीं है कि चुंगी और महापालिका की सीमा एक ही हो। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

श्री ऊदल—श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। मेरा प्रश्न सीधा-सादा यह है कि जो लोग सीमा के अन्दर आ गये हैं उनसे आज वहां चुंगी वसूल की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाया।

श्री अध्यक्ष—जो उत्तर उन्होंने दिया है उसको आप पढ़ लीजियेगा और अगर फिर भी कोई बात होगी तो आप साफ कर लीजियेगा।

वाराणसी नगरमहापालिका में गृह निर्माणार्थ दिये गये धन का उचित प्रयोग न होने की शिकायत

*१२—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी नगर महापालिका को जब से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम हुआ है तब से अब तक कितना रुपया आवास गृहों के लिये दिया गया, उस रुपये को नगरमहापालिका ने किन-किन लोगों को दिया तथा उससे कितने मकान बने, कितने नहीं बने?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना से अब तक नगरमहापालिका, वाराणसी को, जिसमें भूतपूर्व नगरपालिका तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट दोनों सम्मिलित हैं, अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना (Low Income Group Housing Scheme) के अन्तर्गत कुल ४४ लाख रुपया तथा मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना (Middle Income Group Housing Scheme) के अन्तर्गत कुल ८ लाख रुपया आवास गृहों के निर्माण के लिये दिया गया।

अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत नगर महापालिका, वाराणसी, ने कुल ६४३ व्यक्तियों को गृह निर्माण हेतु ऋण दिया। इनमें से ४४४ ने निर्माण पूरा कर लिया, १७४ व्यक्तियों के मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा २५ व्यक्तियों ने अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।

मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत नगर महापालिका ने स्वयं ५० आवास गृहों के निर्माण हेतु ऋण लिया है, जिनमें से २० आवास गृहों का निर्माण जारी है तथा शेष आवास गृहों के निर्माण की परियोजना बनाई जा रही है।

जिन व्यक्तियों को महापालिका ने आवास गृह के हेतु ऋण दिये हैं उनकी वर्षवार † सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग वालों ने जो रुपया मकान निर्माण के लिये लिया है, उससे आज तक मकान नहीं बनाये हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमान्, बहुत पहले श्री ऊदल से ही एक शिकायत मिली थी, उसके बारे में इंक्वायरी की गई थी तो यह मालूम हुआ था कि कुछ लोगों ने मकान बना लिये हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मकान नहीं बनाये हैं और न उन लोगों का इरादा ही अब मकान बनाने का है, क्योंकि रुपये उन लोगों ने खर्च कर दिये हैं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी पुनः एक बार इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे और इस बात की इंक्वायरी करायेंगे कि बहुत से लोगों ने मकान निर्माण के लिये रुपया लिया और मकान नहीं बनवाये हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमान, इस सम्बन्ध में यदि ऊदल जी हमारी सहायता करेंगे और हमें सहयोग देंगे तो जांच जरूर करायी जायगी।

श्री रामायण—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ऊंची आय वालों के मुकाबले में मध्यम और निम्न वर्ग की आय वालों को मकान निर्माण के लिये रुपया कम दिया गया है, क्या उन लोगों की कम दरख्वास्तें आई हैं, या कोई और कारण है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आप प्रश्न को फिर दोहरा दें।

श्री रामायण—ऊंची आमदनी वालों के मुकाबले में मध्यम और निम्न वर्ग की आय वालों को कम सहायता दी गई है, इसका क्या कारण है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह रुपया मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की आय वालों को दिया गया है, ऊंची आय वालों को कुछ नहीं दिया गया है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिन लोगों को दो-तीन साल पहले मकान निर्माण के लिये रुपया दिया गया था, लेकिन अभी तक उन लोगों ने मकान नहीं बनवाये हैं, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऊदल जी ऐसे व्यक्ति यदि पता बतायेंगे और हमारी सहायता करेंगे तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जायगी।

*१३—**श्री ऊदल**—[२८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

---

†सूची छापी नहीं गई।

*१४—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—[११ मई, १९६२ के लिये प्रश्न ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१५—श्री धूमप्रसाद—[२८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१६—श्री लखपतराम शर्मा—[२८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१७-१९—श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—[१० मई, १९६२ के लिये प्रश्न ८४-८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२०—श्री ऊदल तथा श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—[३ मई, १९६२ के प्रश्न ८२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

फतेहपुर नगरपालिका का वर्गोत्थान करने की प्रार्थना

*२१—श्री रघुवीरसहाय (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि फतेहपुर नगरपालिका की सालाना आमदनी क्या है और उस आमदनी के अनुसार उसका classification क्यों नहीं किया जाता ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका, फतेहपुर की वार्षिक औसत आय लगभग ३.०१ लाख है परन्तु उसके व्यय के आंकड़े देखने के पश्चात नगरपालिका की आर्थिक स्थिति के सन्तोषजनक न होने के कारण उसका वर्गोत्थान करना उचित नहीं है ।

जलालपुर टाउन एरिया में जल-कल व्यवस्था के लिये प्रार्थना

*२२—श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले की जलालपुर टाउन एरिया में जनता को पीने के पानी की सप्लाई की जल-कल व्यवस्था कब तक हो जायगी ? सफाई एवं गलियों की दुर्व्यवस्था के कारण वहां लोग संक्रामक रोगों से पीड़ित रहते हैं, क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—फैजाबाद जिले की जलालपुर टाउन एरिया कमेटी में जल-वितरण व्यवस्था के लिये पूर्वानुमान २.०५४ लाख रुपये का स्वायत शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्माण किया गया था । टाऊन एरिया कमेटी से प्रार्थना की गई थी कि यदि कमेटी बृहत योजना निर्माण करना चाहती है तो योजना निर्माणार्थ मुख्य अभियन्ता का शुल्क ३,६३५ रुपया अग्रिम जमा करें । परन्तु कमेटी अभी तक रुपये नहीं जमा कर सकी है । अतः योजना निर्माण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है ।

सफाई का समुचित प्रबन्ध है । इस टाउन एरिया में संक्रामक रोगों की रोक-थाम की व्यवस्था है ।

*२३-२४—श्री शुगनचन्द शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—[२८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

नवाबगंज-हरीडीह सड़क बनाने की प्रार्थना

*२५—श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—क्या वन मन्त्री बहराइच जिले में नवाबगंज से हरीडीह जाने वाली सड़क पर जंगल की सड़कों को बनवाने की व्यवस्था तृतीय पंचवर्षीय योजना में करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस सड़क के बनवाने की कोई व्यवस्था वन विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है । बाकी प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जिले के लिए टिन की स्वीकृति

*२६—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के सप्लाई विभाग द्वारा गतवर्ष १९६१–६२ में कितने indent पनारीदार सफेद टिन के लिये भेजे गये, कितने टन टिन की मांग उन indents में की गई और सरकार द्वारा कितना टिन स्वीकार किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना एकत्र की जा रही है।

---

४ मई, १९६२ के भाषण में भूतपूर्व जज, श्री मुल्ला के निर्णय में पुलिस विभाग के विरुद्ध की गई आलोचनाओं से असहमति प्रकट करने पर मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आयी हैं। एक तो श्री नरसिंह नारायण पांडेय की है और दूसरी श्री चन्द्रजीत यादव की है। मैं इनको पढ़ रहा हूं, उससे आपको जाहिर हो जायगा कि इनका विषय क्या है।

"मैं, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय प्रदान करने की कृपा करेंगे।

विधान सभा तथा उसकी समिति और सदस्यों के विशेषाधिकार वे ही हैं जो ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के अथवा उसकी समिति व सदस्यों के हैं। अनुच्छेद १९४(३) भारतीय संविधान।

सदन के नियमों की अवहेलना उसके विशेषाधिकार की अवहेलना है। नियम २८९ (२) (ख) के अन्तर्गत किसी ऐसे तथ्य पर जो न्यायालय के विचाराधीन हो कोई माननीय सदस्य न विचार प्रकट करेगा और न आलोचना करेगा। किन्तु माननीय चन्द्रभानु गुप्त जो इस सदन के सदस्य हैं उन्होंने ४ मई, १९६२ को विधान सभा की बैठक में पुलिस अनुदान पर भाषण देते समय एक ऐसे मामले पर अर्थात इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व जज श्री मुल्ला के उस फैसले पर जिसमें उन्होंने पुलिस दल के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां की थीं और जिनके विरुद्ध अपील राज्य सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में कर रक्खी हैं और जो अभी विचाराधीन है, उस पर विचार प्रकट किये तथा आलोचना की। इस प्रकार उन्होंने सदन के नियमों की अवहेलना की।"

दूसरा श्री चन्द्रजीत यादव का है। उनका कहना यह है कि यह सदन का अवमान है तथा इसका कारण देते हुये इस पर लिखा है :

चूंकि मुख्य मन्त्री ने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की आलोचना करके भारतीय संविधान की धारा २११ का उल्लंघन किया है :

चूंकि मुख्य मन्त्री ने ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचाराधीन है, अपना मत प्रकट किया है जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की धारा २८९ (२) (ख) के विरुद्ध है।

चूंकि मुख्य मन्त्री ने सन्सदीय परम्पराओं की अवहेलना की है।

चूंकि मुख्य मंत्री की सरकार ने उस निर्णय के विरुद्ध जिसकी उन्होंने सदन में चर्चा किया है, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है और मुख्य मन्त्री की जानकारी में यह बात थी फिर भी उन्होंने उस पर अपना मत यहां प्रकट किया है।

चूंकि मुख्य मन्त्री द्वारा की जाने वाली आलोचना से सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची है, आदि, आदि।"

जैसा मैंने परसों निवेदन किया था सदन के समक्ष में स्वयं इन फैसलों को मंगा रहा हूं जिन फैसलों में जस्टिस मुल्ला ने अपने विचार पुलिस के सम्बन्ध में प्रकट किये हैं। वह अभी मुझे मिले नहीं हैं। आजकल में मिल जायेंगे। इसके अलावा मुझे वह अंश भी माननीय मुख्य मन्त्री जी का देखना है कि उन्होंने किन शब्दों में इस सम्बन्ध में अपने भाषण में उल्लेख किया है। चाहे मैं इस परिणाम पर पहुंचूं कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं उठता है, जो भी हो, दोनों सूरतों में इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को मुझे अवगत कराना है। तो इन दोनों को मैं बाद में लूंगा।

*श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मुझे एक अनुरोध करना है। यह सही है कि यह प्रश्न काफी गम्भीर है, इसलिये आप स्वयं इस बात की जांच कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को मंगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इस में एक बात यह भी है कि अगर हमारे सदन के नियमों की अवहेलना होती है तो वह विशेषाधिकार का प्रश्न होता है या नहीं? श्रीमन्, आप के पहले इस कुर्सी पर हमारे जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था भी दी थी कि इस सदन के नियमों की अवहेलना से विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। मैं उसका कुछ अंश पढ़ देना चाहता हूं जिस से यह बात स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने व्यवस्था देते हुये यह कहा था:

"इसलिये हर बात पर ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल पैदा नहीं होता है। अगर हर बात पर जिसे मैं विवाद करने से रोक दूं तो जितनी बात कह दी गई है उस पर तत्काल ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न लाया जायगा, क्योंकि रूल्स की पाबन्दी न करना और उनको तोड़ना भी ब्रीच आफ प्रिविलेज में शामिल समझा गया है।" तो यह स्पष्ट व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष—इसका रेफरेंस क्या है?

श्री चन्द्रजीत—उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन। खं० १९५ से २०४ तक, ६ अप्रैल, १९५८ से २ अप्रैल, १९५९ तक संकलित। इसके पृष्ठ संख्या ७१ पर यह रूलिंग है।

दूसरे हमारे जो रूल्स हैं उसमें मैंने इसको कोट भी किया है.....

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है।

श्री चन्द्रजीत—तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि न्यायालय में यह प्रश्न विचाराधीन है और इसलिये उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यह तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—इसी वजह से मैंने कहा कि जो प्रश्न उपस्थित हुआ है उसका सन्दर्भ भी देख लूं, उसके शब्द भी देख लूं। यह भी देख लूं कि वे शब्द सन्दर्भ में प्रयोग किये गये हैं और तभी यह स्पष्ट हो सकेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रजीत—एक और प्रार्थना है कि चूंकि यह प्रश्न काफी गम्भीर है और इस सदन में जो कुछ कहा जाय उस पर कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिये सदन स्वयं इस बात का नोटिस ले ताकि प्रदेश में उन परम्पराओं की रक्षा हो सके, जो सन्सदीय हैं और जो देश में जनवाद ठीक ढंग से कायम कर सकें और जुडीशियरी भी ठीक ढंग से फंक्शन कर सके। इसलिये मैं समझता हूं कि आप इस विषय पर कोई निर्णय घोषित करने के पूर्व इस सदन में हम लोगों को सुन लें।

श्री अध्यक्ष—मैंने पहले ही आप से कहा कि मैं किसी भी परिणाम पर पहुंचूं कि अवहेलना हुई, अगर इस परिणाम पर पहुंचा तो मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछूंगा कि उनको क्या कुछ कहना है, और यदि, मैं इस इस परिणाम पर पहुंचा कि अवहेलना नहीं हुई तो मैं आप से पूछूंगा। यह तो मैंने पहले ही कह दिया कि जो कुछ भी निर्णय मैं करूं, मैं अपने विचार आपके सामने रखने के पूर्व आप की बात सुनूंगा कि आपको जो कुछ कहना हो, कह दें, ताकि मैं समझ लूं और अन्त में अपना निर्णय दे सकूं।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—आप इसके पहले कि किसी नतीजे पर पहुंचें, मैं समझता हूं कि मैंने जो आपके सामने विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया है उस में मैंने साफ जिक्र किया है कि हाउस आफ कामन्स की पद्धति क्या है....

श्री अध्यक्ष—जो कुछ आपने लिखा है वह मैंने पढ़ कर सुना दिया। मैंने यह भी कहा कि अन्तिम निर्णय नहीं दूंगा बिना आपको सुने। इस पर भी अब आप क्या बहस कर रहे हैं?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा एक निवेदन सुन लिया जाय। जब मुख्य मन्त्री जी मुल्ला जी के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे तो उस समय आपने भी एक व्यवस्था दी थी। मेरा निवेदन है कि जब आप अन्य प्रश्नों पर विचार करें तो उस समय अपनी व्यवस्था पर भी पुनर्विचार कर लें, यह मेरा नम्र निवेदन आपकी सेवा में है।

श्री अध्यक्ष—यदि मुझे अपनी रूलिंग पर अड़े ही रहना होता तो आज ही मैं कह देता कि मैं इसे अस्वीकार करता हूं। इतना भी आप नहीं समझते। दूसरी बात यह कि मैंने उस समय जो निर्णय दिया था तब यह दिया था कि अगर कोई आर्बिटर डिक्टा हो तो उस पर कदाचित विचार करना या उसके सम्बन्ध में आलोचना करना नियम विरुद्ध नहीं है। यह मैंने कहा था।

श्री उग्रसेन—आप कार्यवाही देख लें। आपने यह नहीं कहा था। आपने कहा था कि आर्बिटर डिक्टा हो तो उस पर विचार हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें। मैंने परसों या कल ही आपसे कहा कि इस सम्बन्ध में मैं स्वयं सारे तथ्य जजमेंट आदि एकत्रित कर रहा हूं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय उग्रसेन जी क्या सोच रहे हैं और क्या उन्हें उधेड़बुन करने की आवश्यकता है। मोटी सी बात आप नहीं समझते और बहस कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन—मैंने तो श्रीमन् आपका ध्यान दिलाया।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, एक निवेदन यह है कि हमने माननीय मुख्य मन्त्री जी के भाषण की प्रति प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अधीक्षक कार्यवाही ने बतलाया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसे अभी संशोधित कर के नहीं भेजा है, इसलिये वे उसकी प्रति नहीं दे सकते और न आप उसे देख सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि जो नियम है उनके अनुसार २४ घंटे के अन्दर यदि संशोधित भाषण नहीं आता है तो वह संशोधित मान लिया जाता है, उसकी आप व्यवस्था करें और उसकी प्रतिलिपि हमको भी उपलब्ध हो सके ताकि हम भी सही विचार कर सकें।

श्री उग्रसेन—उसकी प्रतियां आप सारे सदन में बटवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये। मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन कर दूं। इस सदन में जो दिन प्रति दिन की कार्यवाही होती है वह मेरे सामने आया करती है और मैं इस बात को अनुभव करता हूं कि मैं दिन प्रति दिन उसको नहीं देख पाता। तो आदरणीय सदस्यों में इस बात की थोड़ी सी सब्र होनी चाहिये कि एक मन्त्री यदि एक दो दिन में नहीं देख पाता तो उसको कुछ समय मिलना चाहिये ताकि वह देख सकें। जहां तक प्रतिलिपि की बात है, उसके नियम मैं नहीं जानता, लेकिन यह कि प्रतिलिपि, जब मैं अपने भाषण को देख लूं, उस वक्त दूं तो ज्यादा ठीक होगा। तो आप जो प्रतिलिपि मांगेंगे वह मिल जायगी, उसमें दिक्कत नहीं होगी। इस सम्बन्ध में जो नियम है उनको मैं स्वयं देख लूंगा।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन निवेदन यह है कि जब एक नियम है २४ घंटे का, वह मन्त्रियों और सदस्यों का कितना काम है इस पर विचार करके ही रखा गया होगा, तो फिर उसका उल्लंघन करना कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष—नियम तो अपने स्थान पर है। लेकिन अगर मैं देर करके भेजता हूं तो आफिस उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर आप २४ घंटे के बाद भेजते हैं तो यह नहीं है कि आफिस उसको फेंक देगा। अगर समय पर पहुंच जाता है तो काम चल जाता है। नियम यह है कि अगर आप २४ घंटे में न भेजें तो आफिस अनुमान करेगा कि जो कुछ रिपोर्ट है वह सही है। इतना है सिर्फ, लेकिन यह कि २४ घंटे के बाद भेज दें तो आफिस रिजेक्ट कर देगा, ऐसा नियम नहीं है।

श्री उग्रसेन—मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है लेकिन वह नहीं पधारे हैं। मेरी जानकारी में है कि वह लखनऊ में हैं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र की बात गलत है। वह नैनीताल गये हैं और वे कहते हैं कि लखनऊ में हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी यहां खड़े होकर ऐसी-ऐसी बातें कह देते हैं, वह शोभा नहीं देता। आप अगर जानकारी प्राप्त कर लें और पूछ लें, फिर कहें तो उचित होगा। यह तीसरी मर्तबा है जब आपने इस किस्म की बात कही है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई माननीय सदस्य सदन में गलत बात कहें तो क्या वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है?

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, साढ़े दस बजे मुख्य मन्त्री जी यहीं थे, मुझे लिफ्ट पर मिले थे, उसके बाद चले गये हों यह मैं नहीं कह सकता।

श्री उग्रसेन—देखिये, एक गवाही हो गई।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री ने प्रश्न उठाया कि अगर कोई सदस्य गलत सूचना सदन में दे तो उससे अवहेलना का प्रश्न उठता है या नहीं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे प्रश्न उठता है। मान लीजिये कि मेरी जानकारी में हो ....

श्री अध्यक्ष—मैं उसको एलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—तो क्या राजस्व मन्त्री जी ने जो प्रश्न उठाया है उसकी नोटिस नहीं ली जायगी ?

श्री अध्यक्ष—अगर वह लिखकर दे देंगे.....

श्री यादवेन्द्रदत्त—वह जबानी भी नोटिस दे सकते हैं....

श्री अध्यक्ष—मैं उसकी नोटिस नहीं ले रहा हूं।

श्री उग्रसेन—व्यवस्था का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य ने अभी गवाही दी है कि वह माननीय मुख्य मन्त्री जी से साढ़े दस बजे मिले थे और मैंने कहा कि वह यहां थे, मुझे इसकी सूचना है, तब माननीय उपनेता सदन ने कैसे कह दिया कि मैं गलत था, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—मैं व्यवस्था दे दूंगा, आप बैठिये।

श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—मुझे आपसे एक निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

कार्य-स्थगन तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक ही मजमून के दो प्रस्ताव आये हैं। किन्तु एक कार्य-स्थगन के लिये आया है और दूसरा नियम ५२ के अन्तर्गत है। दोनों हाथरस, जिला अलीगढ़ में मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में हैं। मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को तो अस्वीकार किया है लेकिन श्री मंगलदेव विशारद ने नियम ५२ के अन्तर्गत जो प्रस्ताव भेजा है उसको मैंने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है—

"हाथरस, जिला अलीगढ़ के मिल में २७ अप्रैल, १९६२ से ३,००० मजदूरों ने हड़ताल किया है। हड़ताल करने के पूर्व मिल मजदूरों के संघों ने प्रादेशिक सरकार तथा मिल मालिकों को उच्च न्यायालय के निर्णय को मान लेने के लिये अनेक बार आवेदन-पत्र दिया किन्तु सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण मिल मालिकों ने उसे नहीं माना जिसके कारण मजदूरों को विवश होकर हड़ताल करनी पड़ी।

मजदूरों की न्यायोचित मांगों को हड़पने के लिये जाब्ता फौजदारी की धारा १४४ लागू कर दी गई, जसके कारण प्रदेश के मजदूर वर्ग तथा हाथरस के नागरिकों में इस प्रकार की कार्यवाही से सरकार के प्रति असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त है तथा शांति भंग की सम्भावना हो गई है।"

इसको मैंने स्वीकार किया है और माननीय सम्बन्धित मन्त्री के पास भेज दिया है। माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कब वक्तव्य देंगे ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—११ तारीख को दे सकूंगी।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, कानपुर जिले में लकड़बग्घा डेढ़ दर्जन बच्चों को उठा ले गया है, उसके बारे में मेरा एक प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष—लकड़बग्घा फिर देखा जायगा।

जे०जे० आर० इन्डस्ट्रीज, दुलहीपुर, वाराणसी में हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—२९ मार्च को जै हिन्द मजदूर सभा, वाराणसी ने जे० जे० आर० इन्डस्ट्रीज, वाराणसी को इस आशय का नोटिस दिया कि यदि प्रबन्धक श्रमिकों की कतिपय मांगें २८ अप्रैल, १९६२ तक पूरी न करेंगे तो श्रमिक २९ अप्रैल, १९६२ से हड़ताल कर देंगे। इन मांगों की संख्या १३ थी, और वे वेतन वृद्धि तथा महंगाई भत्ता, छुट्टी, त्योहारों की छुट्टियां, कुछ श्रमिकों को फिर नौकरी पर रखने, कुछ श्रमिकों को स्थायी करने, मकान के किराये का भत्ता देने आदि के सम्बन्ध में थी। इस हड़ताल की नोटिस के विषय में अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, वाराणसी ने दोनों पक्षों से बातचीत की और समझौता कराने का प्रयत्न किया। परन्तु कोई समझौता न हो सका और श्रमिकों ने २९ अप्रैल, १९६२ से हड़ताल कर दी। ऐसी सूचना मिली है कि अब दोनों पक्षों में एक पारस्परिक समझौता हो गया है और ३ मई, १९६२ से हड़ताल समाप्त हो गई है तथा श्रमिकों ने कार्य आरम्भ कर दिया है।

इसके पूर्व जै हिन्द मजदूर सभा के सेक्रेटरी श्री आदित्य नारायण ने इस प्रतिष्ठान के ३७ श्रमिकों को फिर से काम पर रखने के प्रश्न पर १३ जुलाई, १९६१ से भूख हड़ताल की थी। बाद में सहायक श्रमायुक्त, इलाहाबाद, की मध्यस्थता से यह भूख हड़ताल समाप्त हो गई थी और दोनों पक्ष इस प्रश्न को प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त, इलाहाबाद, श्री के० के० पांडेय के मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजने को राजी हो गये थे। तदनुसार श्रमिकों तथा सेवायोजकों के प्रतिनिधियों ने २७ जुलाई, १९६१ को एक मध्यस्थता करार किया।

मध्यस्थता करार की सूचना मिलने के साथ-साथ सरकार के पास मिल् मालिकों का यह प्रतिवेदन आया कि श्रमिकों ने मध्यस्थता करार के एक प्रमुख भाग को जिसके अनुसार श्रमिकों ने कारखाने में शांतिपूर्ण वातावरण पैदा करने का निश्चय स्वीकार किया था उसे भंग कर दिया है। अस्तु, मालिकों ने सरकार को यह सूचना दी कि वह अब इस मध्यस्थता करार से अपने को पाबन्द नहीं मानते। इस कारण वह मध्यस्थता करार प्रकाशित नहीं किया जा सका।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी ने अभी हाल के जिस समझौते की चर्चा की, उसमें प्रबन्धक वर्ग ने मजदूरों की कौन कौन से मांगें दी हैं ?

श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा—मान्यवर, जैसा कि मैंने बयान से बढ़ा, उनकी तनख्वाह के सम्बन्ध में, उनकी छुट्टी के सम्बन्ध में, स्थायी आदेश लगाने के सम्बन्ध में, बीमारी वगैरह की छुट्टियों के सम्बन्ध में, ये सारी बातें उनमें आपस में तय हुई थीं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों ने पहले समझौते की प्रतिलिपि सरकार के पास नहीं भेजी, जिससे गजट नहीं हो सका और जिसके फलस्वरूप हड़ताल हुई, उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कार्यवाही किसके विरुद्ध की जाय। मजदूरों और मिल मालिकों दोनों को भेजना था। एग्रीमेंट पर सिगनेचरीज दोनों थे, उन लोगों ने नहीं भेजी।

श्री उमाशंकर (वाराणसी)—जब पहले जै हिन्द मजदूर सभा के सेक्रेटरी, श्री आदित्य नारायण ने अनशन किया था तो श्रम आयुक्त की मध्यस्थता से मामला तय हुआ, इसको सूचना मान कर कि दोनों पार्टियों ने पंच निर्णय मानने को कहा था और श्री के० के० पांडेय, श्रमायुक्त उसके लिये मध्यस्थ नियुक्त हुये थे, वे शायद विदेश चले गये जिससे गजट नहीं हो सका, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इस के तीन हिस्से हैं, यह बात सही है कि प्रदेश के संरावन विभाग के हस्तक्षेप से मालिकों और मजदूरों में समझौता हुआ और वह समझौता जो आर्बिट्रेशन के लिये था, अधिनियम के अन्तर्गत नियम व उपनियम के मुताबिक समझौते के फार्म पर दस्तखत भी हुये । यह बात गलत है कि श्री के० के० पांडेय, श्रम आयुक्त के विलायत जाने की वजह से समझौते के कागज सरकार के पास विलम्ब से पहुंचे । नियम के मुताबिक दोनों दलों में से किसी दल को भी समझौते के फार्म की प्रतिलिपि सरकार के पास भेज देनी थी, लेकिन समझौते करार को दोनों में से किसी दल ने नहीं भेजा । इसलिये उनके प्रतिनिधि भी खामोश हो गये ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी, जै हिन्द मजदूर सभा और मिल मालिकों में जो समझौता हुआ था उसको मानने के लिये मिल मालिकों पर दबाव डालने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—दबाव डालने से समझौता नहीं होता, दबाव डालने से उल्टी और बात होती है ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १३ जुलाई को जो भूख हड़ताल हुई थी उसका कारण क्या था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जैसा कि इस स्टेटमेंट में कहा गया है, कुछ मजदूरों को नौकरी से पृथक करने के कारण यूनियन के एक प्रतिनिधि ने भूख हड़ताल की थी ।

श्री नरसिंहनारायण—जिन मजदूरों को अलग करने के कारण यह भूख हड़ताल हुई थी, उन मजदूरों को काम पर रख लिया गया या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, उनके रखने का प्रश्न तो था ही नहीं, उनका ही मामला आर्बिट्रेशन के सामने जाने वाला था लेकिन यूनियन के प्रतिनिधियों ने उसमें कोताही की थी और कानूनी व्यवस्था को अपनाते हुये भी उसे छोड़ दिया, हम लाचार थे, कुछ कर नहीं सके ।

श्री उमाशंकर—जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि हड़ताल समाप्त हो गई और दोनों पार्टियों में समझौता हो गया है । वह समझौते की शर्तें मेरे पास मौजूद हैं इन को देखते हुये मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें एक शर्त यह है कि कुछ मजदूर रख लिये गये थे और कुछ मजदूरों का मसला पुनः पंचनिर्णय के लिये भेज दिया गया है, तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फिर ऐसी कोई कानूनी कमजोरी न रह जाय जिससे फिर हड़ताल करने की नौबत न आ जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह तो फरीकैन पर निर्भर है, मंत्री जी इसमें क्या कर सकते हैं ।

गन्ना सहकारी समिति, बढ़नी, जिला बस्ती के गन्ने को मिल मालिकों द्वारा न लेने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, श्री उग्रसेन द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्तुत ध्यान आकृष्ट करने के प्रस्ताव (calling attention motion) के संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है कि चीनी मिल्स, तुलसीपुर (गोंडा) तथा आनन्दनगर (गोरखपुर) ने गन्ना सहकारी समिति बढ़नी, जिला बस्ती का ९.९० लाख मन गन्ना जो बढ़नी, परसा, शोहरतगढ़, चिल्हिया तथा उसका बाजार क्रय केन्द्रों पर सप्लाई होता है तथा तुलसीपुर यूनियन के पचपेड़वा और मौलापुर क्रय केन्द्रों का १.७० लाख मन गन्ना खरीदना बन्द कर दिया है और इस प्रकार सात हजार गन्ना किसानों का लगभग ३.५० लाख मन गन्ना खेतों में सूख रहा है । वास्तविक स्थिति यह है कि बढ़नी क्षेत्र

तथा तुलसीपुर की गन्ना समिति के पचपेड़वा और कैवापुर न कि मौलापुर क्रय केन्द्रों पर जो गन्ना सप्लाई हो रहा है उस में पर्याप्त मात्रा में अस्वीकृत किस्म (unapproved varietv) का गन्ना भी सम्मिलित है । इस वर्ष ३१ अक्तूबर को गोरखपुर की केन रिजर्वेशन मीटिंग में गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी टिटेरिया किस्म या अन्य अस्वीकृत किस्म का गन्ना इन मिलों को सप्लाई हो रहा है । बढ़नी क्षेत्र का १.५५ लाख मन गन्ना जो १ मई, १९६२ को बिक्री के लिये शेष था उसमें इस अस्वीकृत किस्म के गन्ने की मात्रा लगभग ३४,००० मन सम्मिलित है । इसी प्रकार तुलसीपुर गन्ना समिति के पचपेड़वा और केवापुर केन्द्रों पर जो लगभग १.७५ लाख मन गन्ना ३-५-६२ को पिराई के लिये शेष था उसमें सी० ओ० ३५२ किस्म अर्थात् अस्वीकृत किस्म के गन्ने की लगभग १.५० लाख मन मात्रा भी सम्मिलित है । ये दोनों मिलें अर्थात् आनन्दनगर और तुलसीपुर मिलें निर्दिष्ट सभी केन्द्री से गन्ने की खरीद इस समय भी कर रही हैं । इतना अवश्य है कि इन दिनों चीनी मिलों ने बढ़नी गन्ना समिति के केन्द्रों से १ मई, १९६२ से कुछ खरीद अवश्य घटा दी है । ३० अप्रैल, १९६२ तक ३४ वैगन के स्थान पर अब लगभग ३० वैगन प्रति दिन की खरीद की जा रही है । अतः गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की संबंधित धारा के अन्तर्गत १ मई, १९६२ को इन दोनों मिलों को आदेश दिया है कि वे अपने कोटे का समस्त गन्ना खरीद कर के ही बन्द हों । स्मरण होगा कि इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने गन्ना मिलों का चीनी कोटा निर्धारित कर दिया है और मिलों को अधिक उत्पादन पर पैनल एक्साइज ड्यूटी देनी होगी । तुलसीपुर क्षेत्र के पचपेड़वा और कैवापुर क्रय केन्द्रों में लगभग १.५० लाख मन अस्वीकृत किस्म का गन्ना है । इस क्षेत्र के किसानों की सहकारी समिति के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने तुलसीपुर मिल को चीनी की रिकवरी कम होने से गन्ने की कीमत में ३४ नये पैसे प्रति क्विंटल की दर से कटौती करने की अनुमति दे दी है जिससे वह गन्ना क्रय हो जाय । आशा की जाती है कि दोनों मिलें अपने कोटे तथा अतिरिक्त कोटे का समस्त गन्ना पेर कर इस सीजन में बन्द होंगी" ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—जिस क्षेत्र में पचपेड़वा, तुलसीपुर और कैवापुर का एक लाख ५० हजार मन गन्ना अस्वीकृत किस्म का बताया है वह किस रिसर्च सेन्टर ने उसे टिटेरिया किस्म का घोषित किया है ? क्या यह मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री बनारसीदास—जैसा कि बतलाया जा चुका है जो रिजर्वेशन की नीति थी उसमें फैसला हुआ था कि अच्छे किस्म का गन्ना दिया जायगा । वहां मिल ने इस बात की शिकायत की कि वह गन्ना अनएप्रूवड नेचर का है । यह शिकायत की गन्ना पेरा नहीं जा रहा है और मिल बन्द हो गयी है सही नहीं है । यह आश्वासन वक्तव्य के अन्दर है कि सारा गन्ना पेरा जायगा, केवल कीमत कम हो जायगी ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी महोदय को इस बात की सूचना है कि उन केन्द्रों पर रिजेक्टेड केन नहीं है बल्कि सी० ओ० ८२, ८४ और ८५ किस्म का गन्ना है जिसकी गोरखपुर रिसर्च केन्द्र ने जांच की थी ?

श्री बनारसीदास—मुझे ठीक पता नहीं है कि ८२, ८४ या ८५ किस्म का गन्ना है । मैंने उल्लेख किया है कि टिटेरिया किस्म का गन्ना ज्यादा क्वांटिटी में शामिल है । दूसरे सी० ओ० ३४१ किस्म का गन्ना है जो अनएप्रूव्ड क्वालिटी है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री को इस बात की सूचना है कि तुलसीपुर चीनी मिल और आनन्दनगर फरेरा ये दोनों मिलें नैपाल में कांटा लगा कर टिटेरिया से भी खराब गन्ना चार आने कम कीमत पर खरीद रही है ?

श्री बनारसीदास—इस प्रकार की सरकार को कोई सूचना नहीं है कि वे रिजर्व्ड एरिया से न ले कर वहां से गन्ना खरीद रही है ।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—अनएप्रूव्ड क्वालिटी का गन्ना काश्तकार नहीं देगा ऐसा कोई आश्वासन गोरखपुर की मीटिंग में नहीं दिया गया था, मैं स्वयं उस मीटिंग में था । आश्वासन यह दिया गया था कि भविष्य में वे ऐसा गन्ना नहीं बोयेंगे और इस वर्ष जो गन्ना बोया गया है उसको पेरने का आग्रह किया गया था ।

श्री बनारसीदास—मेरे पास जो सूचना आई है वह तो यही है कि अक्तूबर में मीटिंग हुई उसमें इस किस्म का आश्वासन दिया गया । बहरहाल जो माननीय सदस्य कह रहे हैं इसके बारे में फिर से जानकारी प्राप्त कर ली जायगी ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—यह जो टिटेरिया गन्ना है इसकी खेती वहां किसान कितने दिनों से करते चले आ रहे हैं ? यदि बहुत दिनों से करते चले आये हैं तो क्या कारण है कि इस वर्ष और पिछले वर्ष ही इसका विरोध किया जा रहा है और गन्ना मिलों ने इससे पूर्व कभी कोई आपत्ति नहीं की थी ?

श्री बनारसीदास—कितने वर्ष से किसान इस गन्ने की खेती कर रहे हैं इसके लिये तो सूचना की जरूरत है । मंगवा कर वह सूचना दे दी जायगी, लेकिन जैसा कहा गया गन्ना तो रिजर्व्ड एरिया के अन्दर अस्वीकृत भी लिया जा रहा है । प्रश्न केवल कीमत का है ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—मिलों ने यह शिकायत की कि गन्ने में शुगर का परसेंटेज कम होता है इसलिये वे इस गन्ने को नहीं ले रही हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उसका अब तक क्या परसेंटेज था ?

श्री बनारसीदास—यह तो ठीक मालूम नहीं है । मगर यह प्रश्न पैदा नहीं होता क्योंकि पहली मई के बाद एक नीति घोषित की जा चुकी है कि जिस गन्ने की कीमत ९ परसेंट से कम होगी उसकी कीमत थोड़ी कम दी जायगी ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—उत्तर प्रदेश के मिल मालिक यह कह कर कि रिकवरी कम हो रही है गन्ने की कीमत में कंसेशन कराने की मांग कर रहे हैं, तो क्या सरकार स्वयं अथवा केन्द्रीय सरकार से इस बात की जांच करायेगी कि इसमें वास्तविकता क्या है ?

श्री बनारसीदास—यह तो इस साल नया प्रश्न नहीं है । रिकवरी बेसिस पर मई के बाद में कीमत को लिंग करना करीब करीब १० साल से चल रहा है ।

श्री भानुप्रतापसिंह—गन्ने की रिकवरी जानने के लिये सब मिलों के पास सरकारी साधन हैं अथवा जो मिलें कहती हैं उसी को मान लिया जाता है ।

श्री बनारसीदास—मिलों मे लेबोरेटरीज हैं और केन यूनियन्स भी हैं । वैसे इस प्रश्न पर १० साल से सवाल चल रहा है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या इसकी सूचना माननीय उद्योग मंत्री जी को है कि गन्ना यूनियनों को कोई अधिकार नहीं है कि वे मिल के भीतर जा करके चीनी की मात्रा को जान सकें ? चीनी की मात्रा कम की जा सकती है, बोरे हटाये जा सकते हैं और रिकवरी कम दिखाई जा सकती है ? तो इस इस बात की क्या गारन्टी है कि जितनी चीनी रिकवरी होती है वह सब दिखाई जाती है ?

श्री बनारसीदास—यह तो प्रायः सभी जानते हैं कि गरमी के दिनों में खासतौर से मई और जून के महीनों में रिकवरी कम हो जाती है और हर साल यह प्रश्न रहता है ।

श्री गेंदासिंह—क्या इस बात की कुछ यादगारी माननीय उद्योग मंत्री जी को है कि जब रिकवरी से प्राइज लिंक हुई थी तो नेवली, एटा और सिसवाबाजार, गोरखपुर की फैक्टरियों ने इतनी रिकवरी डाउन की थी कि सारा संसार इस बात पर शुबहा करता था और सरकार ने फिर जांच करवाई थी ? तो इस बार सरकार ने क्या प्रबन्ध किया था है कि गन्ने की रिकवरी बहुत नीचे न दिखाई जाय और जितनी है उतनी ही दिखायी जाय ?

श्री बनारसीदास—अबकी मर्तबा तो यह निश्चय किया जा चुका है कि जब ९ परसेंट से कम रिकवरी होगी तभी प्राइज में कमी की जायगी । तो ९ परसेंट तक तो गारंटी है ही ।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—इस बात को देखते हुये कि रिकवरी कम दिखलाने से ही मिल मालिकों को फायदा होता है क्या सरकार अपनी तरफ से कोई लेबोरेटरी वगैरह कायम करके चीनी की सही रिकवरी जानने का प्रयत्न कर रही है अथवा करने जा रही है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—रिकवरी के बारे में जो मतभेद है सरकार अवश्य विचार करेगी कि कोई ऐसा प्रबन्ध करे कि ऐसे विवादों का निराकरण किया जा सके ।

श्री रामायण—मंत्री जी ने कहा कि ९ परसेंट से जब कम रिकवरी होती है तभी मूल्य में कमी होती है । तो जब ९ परसेंट से ज्यादा रिकवरी होती है तो काश्तकार को ज्यादा मूल्य न देने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—यह तो एक निश्चित रिकवरी की बेसिस पर ही सारे गन्ने और चीनी की कीमत निर्धारित की गयी है । ९ परसेंट से कम पर तो सुविधा की दृष्टि से रखा गया है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि गत वर्ष मेरे ही द्वारा उठाये गये प्रश्न पर गोरखपुर और कानपुर के इंस्टीट्यूट में गन्ने का टेस्ट हुआ और इन दोनों इंस्टीट्यूट ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि यह टिटरही वेरायटी नहीं है बल्कि दूसरी वेरायटी है और इस सम्बन्ध में चार लाख रुपया मिल मालिकों पर किसानों का अब भी देय है और फिर मिल मालिकों ने वही बात शुरू की है, तो क्या गतवर्ष जो टिटरही की जांच हुई उसको देखते हुये सरकार इस बात का प्रबन्ध करायेगी कि गन्ने की सही वेरायटी ही लिखी जाय ?

श्री बनारसीदास—मैं उत्तर दे चुका हूं । अब तो यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि किस किस्म का गन्ना है । अब तो कम रिकवरी की बेसिस पर कीमत में कटौती की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मिल मालिक यह कहते हैं कि ९ परसेंट से कम रिकवरी हो रही है और इनका कहना यह है कि ९ परसेंट से ज्यादा हो रही है और मिल मालिक गलत रिपोर्ट कर रहे हैं । तो इनका प्रश्न यह है कि क्या सरकार इसकी कोई जांच करायेगी कि मिल मालिकों की रिपोर्ट सही है या गलत ?

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं । एक तो यह है कि जो गत साल की कुछ कीमत अभी बाकी है, तो उसको तो मिल मालिकों से अदा कराया जायगा । दूसरा गन्ने की क्वालिटी के बारे में है । तो उसके बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि जो इस प्रकार के विवादग्रस्त प्रश्न हैं उनकी जांच कराने का सरकार अवश्य प्रयत्न करेगी ।

श्री रामायण—श्रीमन्, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—सरकार इस पर विचार करने के लिये तैयार है, यही उत्तर है ।

श्री चन्द्रजीत—अगर सरकार ने जांच कराई और रिकवरी कम न हुई तो जो किसान को कम मूल्य मिल रहा है उसको उसे दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—मैंने अर्ज किया कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है वह सशर्त प्रश्न है और यह तो बराबर चीज होती रहती है ।

गन्ने का मूल्य उससे निकलने वाली चीनी के अनुपात पर कम करने के केन्द्रीय सरकार के आदेश के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, श्री गेंदासिंह द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट करने का प्रस्ताव calling attention motion जो प्रस्तुत किया गया है उसमें इस बात की आशंका प्रकट की गई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा १ मई, १९६२ से गन्ने की कीमत चीनी की रिकवरी के आधार पर किये जाने के आदेश से लगभग १५ लाख क्विंटल गन्ना किसानों को १ मई के बाद प्रतिदिन, लगभग २ लाख रुपये कम कीमत गन्ने की मिलेगी जब कि Driage के कारण गन्ना किसानों को सहायता मिलती थी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय द्वारा भी नियम ४२ के अन्तर्गत इसी विषय पर calling attention motion प्रस्तुत किया गया है जिसमें इस बात की आशंका प्रगट की गई है कि इस नीति से भविष्य में गन्ना तथा चीनी के उत्पादन में कमी हो जायगी ।

इस संबंध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने की कीमत को चीनी की रिकवरी से लिंक करने का निर्णय केवल इस वर्ष ही नहीं लिया गया है किन्तु ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर रिकवरी में काफी कमी हो जाने से गत वर्षों अर्थात् १९५१–५२ से १९५५–५६ सीजन तक १ मई से गन्ने की कीमत को रिकवरी से लिंक किया गया है । १९५६–५७ में ८ मई से गन्ने की कीमत रिकवरी से लिंक हुई थी । १९५७–५८ और १९५८–५९ सीजन छोटे थे और चीनी का भी कम उत्पादन हुआ । १९६०–६१ में चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये मिलों को एक्साइज ड्यूटी तथा गन्ने के क्रय कर (Cess) में रियायतें दी गईं । इस प्रकार गत दस वर्षों में ५ सीजनों में गन्ने की कीमत रिकवरी की कीमत से लिंक की गई । पिछले सीजनों में जब गन्ने की कीमत रिकवरी से लिंक की गई तो लो रिकवरी के कारण उच्चतम कटौती की कोई सीमा निश्चित नहीं थी। अतएव रिकवरी के आधार पर १२ आना या अधिक तक कटौती हुई जब कि १९५२–५३ में गन्ने का न्यूनतम मूल्य गेट के लिये १ रु० ५ आना और रेल सेंटर्स के लिये १ रुपया ३ आना, १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में गेट के लिये १ रुपया ७ आना तथा रेल सेंटर्स के लिये १ रु० ५ आना नियत था । स्मरण होगा कि इस वर्ष चीनी का अधिक उत्पादन होने से तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक मिल का चीनी कोटा निर्धारित कर दिये जाने से मिलें देर में चलीं । इसके अतिरिक्त गन्ने के क्षेत्र का रकबा भी काफी बढ़ गया और गत वर्ष की अपेक्षा साढ़े सात प्रतिशत गन्ना अधिक उत्पन्न हुआ । बाढ़ आदि के कारण प्रदेश के गन्ने की क्वालिटी पर काफी कुप्रभाव इस वर्ष पड़ा जिससे रिकवरी कम हो गई थी ।

३० अप्रैल, तक ३०.५ करोड़ मन गन्ना क्रश हो चुका है जब कि ३४ या ३४.५ करोड़ मन गन्ना क्रश होना है । ७० में से २१ मिलें ३० अप्रैल को अपने क्षेत्र का गन्ना पेर कर बन्द हो चुकी हैं और ३ मई को २ और मिलें बन्द हुई । इस प्रकार २३ मिलों के गन्ना उत्पादकों को गन्ने की पूरी कीमत दी गई । अब केवल ४७ चीनी मिलें चालू हैं और केवल ३.५ करोड़ मन या ४ करोड़ मन गन्ना पेरना शेष है । यह गन्ना देवरिया जिले, नैनीताल, खीरी, पीलीभीत, और सहारनपुर जिले में है ।

अब प्रश्न यह था कि इस गन्ने को नष्ट होने से बचाने के लिये मिलों को इस गन्ने को पेरने के लिये आवश्यक रिआयतें दी जाय । यह भी ध्यान देना था कि गन्ना उत्पादकों

को जहां तक सम्भव हो, हानि न उठानी पड़े। प्रदेशीय सरकार ने १ मई से २ आना प्रति मन के हिसाब से २४ मई तक क्रय कर में छूट घोषित की और उसके बाद २५ मई से क्रय कर में पूर्ण छूट अर्थात् ३ आने प्रति मन के हिसाब से दे दी है। चूंकि रिकवरी काफी गिर गई अतएव यह आवश्यक हो गया कि गन्ना उत्पादकों को १ मई से गन्ने की कीमत रिकवरी के आधार पर भुगतान की जाय। यह भी आवश्यक था कि गन्ना किसानों पर कोई विशेष कुप्रभाव न पड़े इस कारण उच्चतम कटौती की सीमा १९ नया पैसा नियत कर दी गई। पिछले वर्षों में रिकवरी यदि ९.६ प्रतिशत या ९.४ प्रतिशत से कम होती तो रिकवरी के आधार पर गन्ने की कीमत दी जाती किन्तु इस वर्ष ८ प्रतिशत से नीचे ही गन्ने की कीमत रिकवरी से लिंक की जा सकती है।

इस वर्ष १.५ नया पैसा के फ्लैट रेट से प्रत्येक ०.१ प्रतिशत कमी के लिये कटौती होगी जबकि पिछले सीजनों में कटौती की दर अधिक थी और १२ आने प्रतिमन तक हुई थी। इस वर्ष रिकवरी के आधार पर कटौती इस प्रकार होगी :—

रिकवरी प्रतिशत	कटौती नया पैसा
९	कुछ नहीं
८.९	१, १/२
८.५	७, १/२
८	१५
७.७५	१९ उच्चतम सीमा।

इससे यह स्पष्ट है कि किसानों को कोई शेष क्षति होने की आशंका नहीं है। वास्तव में यदि गन्ना पेरा न जाता तो खेतों में ही खड़ा-खड़ा नष्ट हो जाता क्योंकि उसका गुड़ राब बनना सम्भव नहीं है और चीनी मिलों को घाटा उठ कर गन्ना पेरने के लिये कानूनन मजबूर नहीं किया जा सकता। इस दशा में जो व्यवस्था की गई है उससे कृषकों का हित ही होगा क्योंकि वे काफी हद तक हानि से बच जावेंगे। अब कई वर्षों से गन्ना का मूल्य भी गेट के लिये १ रु० १० आना तथा रेल सेंटर्स के लिये १ रु० ८ आना है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि पिछले वर्ष गन्ना मिलों को कुछ करोड़ रुपया इन्सेन्टिव के तौर पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये दिया गया और इसकी जानकारी किसानों को भी हुई। उस जानकारी के आधार पर किसानों ने गन्ना अच्छा बोया उपज भी बढ़ाया और रकबा भी बढ़ाया फिर किसानों के मूल्य में यह कटौती क्यों की जा रही है जबकि उनके गन्ने का वजन घट चुका है और उससे उनको जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है? यह किसकी जिम्मेदारी है जो गन्ना इतना ज्यादा बोया गया और इस तरह जो गन्ने की वृद्धि हुई उसमें अकेले किसानों से ही क्यों उसका जुर्माना वसूल किया जा रहा है?

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, यह तो उत्तर में ही बताया जा चुका है कि गत वर्ष इन्सेन्टिव देने के लिये ही एक्साइज और परचेज टैक्स में सुविधायें मिलमालिकों को दी गई लेकिन दूसरा जो हिस्सा है कि इस इन्सेन्टिव की वजह से उत्पादन गन्ने का बढ़ा तो यह तो केन्द्रीय सरकार ने फैसला किया कि उत्पादन चीनी का कम करना है, और प्रत्येक मिल को कम करना है। यदि कोई मिल ज्यादा उत्पादन करेगी तो उसे एक विशेष एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। उस नीति के अनुसार किसानों को भी मालूम था कि चीनी मिलें इस वर्ष कम गन्ना लेंगी।

श्री गेंदासिंह—दिसम्बर से मार्च तक गन्ना बोने का समय होता है तो पिछले वर्ष इन तीन चार महीनों के भीतर केन्द्रीय सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से क्या किसानों को कोई सूचना दी गई कि गन्ना कम पैदा करो ? अगर कोई ऐसी सूचना सरकार के पास है तो माननीय मंत्री जी उसे सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, यह तो उत्पादन अधिक होने की वजह से, माननीय गेंदा सिंह जी जानते हैं, कि यह घोषणा की गई। लिहाजा सरकार की तरफ से गन्ने से गुड़ और खांड बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया और उसके लिए कोल्हू वगैरह भी लगाने के लिए सरकार की तरफ से सहायता दी गई।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, मेरा प्रश्न स्पष्ट था।

श्री अध्यक्ष—माननीय गेंदा सिंह जी का प्रश्न यह है माननीय मंत्री जी, कि जब गन्ना बोया गया उस समय क्या काश्तकारों को यह सूचना दी गई थी कि इस वर्ष हम कम गन्ना लेंगे। यह प्रश्न है। आपने शायद यह कहा कि केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया कि अबकी मर्तबा कम शक्कर लेंगे। वह पूछते हैं कि क्या काश्तकारों को इस बात की सूचना थी ?

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, यह कैसे सम्भव हो सकता था ? गत वर्ष जब गन्ने की क्रशिंग का सीजन खत्म हुआ तो उससे पहले ही गन्ना बोया जा चुका था। लिहाजा उसके बाद में जो घोषणा की वह उत्पादन के आधार पर की।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, बहुत स्पष्ट आ गया कि गन्ना ज्यादा बोआने की जिम्मेदारी सरकार पर है। फिर ऐसी हालत में इस वक्त जब कि किसानों के गन्ने का काफी वजन वैसे ही घट गया है, इस रिकवरी को लागू करने से उसको और अधिक क्षति होगी, तो उस क्षति को पूरा करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, यह उत्तर में कहा जा चुका है कि जब रिकवरी कम होने की वजह से मिलें क्रशिंग के लिए तैयार नहीं हैं, तो हानि उठाकर उसे पेरने के लिए मिलों को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह १ रुपये १० आने मन की कीमत पर गन्ना लेकर पेरें। तो सरकार ने उचित समझा कि गन्ना नष्ट न हो, इसलिए तीन आने रुपया अधिक से अधिक कटौती उसमें रखी गई है और उसमें पहले वह शुरू होगी जैसा मैंने बताया डेढ़ नया पैसा से। इस तरह उनको १ रुपया ७ आना तो मिल ही जायगा।

श्री गेंदासिंह—यदि १० मन गन्ना खेत में खड़ा रह जाता है तो १६ रुपया किसान का नुकसान होता है और १४ रुपये के लगभग सरकार को टैक्स का नुकसान होता है अगर सरकार को रियायत करना है तो उस १४ रुपये मन टैक्स में छूट देकर किसानों को नुकसान से सरकार क्यों नहीं बचा रही है ?

श्री बनारसीदास—गेंदासिंह जी जानते हैं कि उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि पहली मई से सरकार ने परचेज टैक्स के अन्दर छूट दी है। जहां तक एक्साइज ड्यूटी का सवाल है उसमें प्रान्तीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—प्रश्न यह है कि इस बात का ध्यान रखते हुये कि समय से गन्ने की कटाई न करने के कारण यदि देर से मई या जून में कटाई की जाती है तो फसल के सूख जाने से ४०,५० फीसदी नुकसान उठाना पड़ता है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार से सिफारिश करेगी कि गन्ने का मूल्य कम करने के बजाय जिससे किसानों का और भी अधिक नुकसान होगा एक्साइज ड्यूटी को कम करके फैक्टरियों के नुकसान को पूरा किया जाय ?

श्री बनारसीदास—यह तो माननीय सदस्य की तरफ से नया सुझाव है। अब तो इस प्रकार का विचार नहीं है। जब इसका अवसर आयेगा तब उस वक्त सरकार इस बात पर विचार करेगी।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिकवरी के बारे में जैसा कि इम्पलायर्स एसोसियेशन ने अपनी विज्ञप्ति निकाली है जिसमें हर मिल की रिकवरी दी है और उस रिकवरी को उन्होंने और कम दिखाना शुरू कर दिया है और सरकार भी इस बात को मानती है कि पिछले साल रिकवरी साढ़े ९ प्वाइन्ट और १० प्वाइन्ट थी जिसके ऊपर मजदूरों को बोनस दिया गया और किसानों के गन्ने के दाम भी दिये गये तो इस साल उस रिकवरी को ठीक करने के लिये कोई विशेष टेक्निकल बाडी अप्वाइन्ट करने के लिये सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—श्री गेदासिंह जी का यह प्रश्न नहीं है। वह इस बात को मानते हैं कि रिकवरी कम हो रही है, लेकिन उस रिकवरी के कम होने का कारण वह दूसरा बताते हैं। यहां पर प्रश्न यह है कि एक्साइज ड्यूटी में कुछ करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को उचित समझेंगे कि राज्य सरकार स्वयं अपनी तरफ से केन्द्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश करे कि केन्द्रीय कानून में संशोधन किया जाय जिससे कानून की वजह से किसानों को नुकसान न उठाना पड़े बल्कि मिल मालिकों से किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाय ?

श्री बनारसीदास—जहां तक इसके सोचने का प्रश्न है यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता है। यह एक नया प्रश्न है कि कानून में संशोधन किया जाय या नहीं। इस प्रश्न पर पृथक् से विचार किया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण—चूंकि रिकवरी काफी कम हो गई इसलिये यह आवश्यक हो गया कि गन्ना उत्पादकों को ५ मई से रिकवरी के आधार पर भुगतान किया जाय। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनको यह कैसे ज्ञात हुआ कि रिकवरी कम हो गई ? उनको इसकी सूचना कैसे हुई और मिलों ने अगर सूचना दी तो क्या उन्होंने रिकवरी की भी सूचना दी ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी ने भी यही कहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—यह उनका वक्तव्य उनके जवाब में है।

श्री अध्यक्ष—देखिये यह है "इस समाचार से केन्द्रीय सरकार ने मई सन् १९६२ से गन्ने की कीमत उससे निकाली चीनी के अनुपात पर घटाकर देने का आदेश दिया है"।

श्री नरसिंहनारायण—सेकन्ड पेज पर देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में बीसियों सवाल हो चुके हैं। आपका सवाल सिर्फ यही है कि किसी टेक्निकल ऐडवाइजर को भेजकर जांच करायेंगे और इस सम्बन्ध में वह पहले ही कह चुके हैं कि वहां टेक्निकल चेकिंग होती है और लेबोरेटरी रहती है।

श्री नरसिंहनारायण—हर मिलों को क्या रिकवरी मिली यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न अब हो चुका है।

श्री नरसिंह नारायण---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न उठता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गयी है और ऐसी टेक्निकल बात है कि गन्ने के भाव से सम्बन्ध रखने के कारण २० लाख किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा करायी जाय जिससे यह सफा हो जाय कि क्या स्थिति है। मैंने दफा ५३ में इसलिये सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष---आपने दी है। वह मैं देख रहा हूं।

शनिवार, २६ मई, १९६२ को सदन की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूं कि :---

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार सदन निश्चय करता है कि शनिवार, दिनांक २६ मई, १९६२ को बजट के विचारार्थ सदन की बैठक हो।"

श्रीमन्, मुझे इतना ही कहना है कि कुछ मुसलमान बन्धुओं ने इस बात का आग्रह किया था कि उनका ईद का त्योहार १५ या १६ मई को पड़ता है। १५ मई को तो रात तक खाने पीने में पड़े रहते हैं तो १६ को आने में उन्हें कठिनाई पड़ेगी इसलिये १६ को छुट्टी करदी जाय और काम को पूरा करने के लिये २६ मई, शनिवार, को उसके स्थान पर हम बैठ जायं। आशा है बिना विवाद के यह प्रस्ताव स्वीकार हो जायेगा।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---झारखंडे राय जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह स्वीकार है। यह उचित होगा कि १६ को छुट्टी रहे और २६ को बैठक हो।

श्री अध्यक्ष---आपका मतलब यह है कि १२ से १६ तक छुट्टी रहे ५ दिन की और बजाय १६ के २६ रखा जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि यह सही है कि मुसलमान भाइयों को १६ को आने में कठिनाई होगी इसलिये १६ को तो छुट्टी कर दी जाय लेकिन १२ से लेकर १६ तक ५ दिन की छुट्टी हो जायगी तो प्रदेश के करदाताओं पर भार पड़ेगा। १२ को कोई आवश्यकता भी नहीं है छुट्टी होने की इसलिये १२ को छुट्टी काट दी जाय और सिर्फ १३ से १६ तक छुट्टी रहे। इससे प्रदेश के करदाताओं पर भी भार नहीं पड़ेगा और १६ तारीख को मुसलमान भाइयों को भी सहूलियत मिल जायगी।

श्री अध्यक्ष---जो प्रस्ताव माननीय झारखंडे राय जी ने रखा है अगर वह स्वीकार हो गया तो फिर आपकी बात तो कट जायगी।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार सदन निश्चय करता है कि शनिवार, दिनांक २६ मई, १९६२ को बजट के विचारार्थ सदन की बैठक हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन---और हमारी बात पर तो विचार नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष---वह तो मैं पहले ही कह चुका था।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक सुझाव और है। १७-१८ तारीख को असेम्बली बैठ रही है १६ तक छुट्टी रहेगी। १७-१८ को

असेम्बली होगी और फिर १९ से २२ तक छुट्टी रहेगी। मेरा यह सुझाव है कि इन दो दिनों में असबेम्ली न बैठकर लगातार छुट्टी कर दी जाय और उसके बदले में ४, ५ जून को हम लोग बैठ जायें, जो दो दिन की बजट में कमी पड़ेगी वह पूरी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष—आप यह प्रस्ताव भेज दें, इस पर विचार हो जायेगा।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य—अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ४९—सिंचाई के निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के आय व्ययक पर बहस होगी।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं तीनों अनुदानों को एक साथ ही पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष—आप तीनों साथ ही पेश कर दें।

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,७९,८७,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,८८,०६,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,२४,४०,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायं।

अध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि मैं इन तीनों अनुदानों के बारे में कुछ कहूं मुझे इस बात का खेद है कि विभाग की ओर से एक पुस्तक सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाती है ताकि माननीय सदस्यों को इस विभाग के बारे में तफसील से जानकारी हो जाय। सरकारी प्रेस को इन दिनों में बहुत काम हो जाता है हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह पुस्तिका देर में आयी। कुछ पुस्तकों को कल रात में मैंने बटवाया था और कुछ माननीय सदस्यों के सामने आज प्रस्तुत की गयी है। इस बार एक खास बात यह है कि सन् ६२ के आम चुनाव के बाद इस सदन में बहुत से माननीय सदस्य बिलकुल नये हैं और जिनकी ख्वाहिश होती है कि ब्योरेवार विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मैं श्रीमन्, आप के जरिये से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले वर्ष इस बात का ख्याल रखा जायगा कि बजट से कुछ दिन पहले ही यह तैयार कर ली जाय ताकि कुछ दिक्कत न हो।

[श्री राममूर्ति]

मान्यवर, सिंचाई विभाग का सम्बन्ध खेती करने वाले लोगों से है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। वैसे तो सारे भारत में खेती का काम अधिक होता है लेकिन यहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग खेती करते हैं। इस सदन के माननीय सदस्यों की भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको रिप्रेजेन्ट करते हैं। उन सब को इस बात में खुशी होती है कि कृषि की उन्नति के लिये इस प्रकार के कार्य किये जायें। जो विज्ञान से मालूमात होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाय, खेती के तरीकों को बदला जाय और सबसे बड़ी चीज सिंचाई की सुविधायें प्राप्त करने के लिये किस तरह से कार्य किया जाय और आगे बढ़ा जाय तो यह सही बात है और हम सब को इस बात की खुशी होती है कि हमारे इस प्रदेश के लोग आज इस ओर अग्रसर हैं। हमारे सूबे के ७५ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के हैं और इनके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो कि खेती तो नहीं करते हैं लेकिन उनको भी रोजी के सिलसिले में इन खेती करने वाले लोगों पर आधारित होना पड़ता है। इसके माने यह हैं कि हम खेती में उन्नति के लिये या पैदावार बढ़ाने के साधनों के लिये उचित और अच्छे कार्य कर सकें ताकि हमारा काम पूरा हो और जिस लक्ष्य पर हम पहुंचना चाहते हैं उस तक हम पहुंच सकें। जब से संसार में खेती का काम शुरू हुआ लोग वर्षा पर आश्रित थे। जब वर्षा नहीं होती होगी तो लोगों ने अपने कार्यों को पूरा करने के लिये कुवें खोदे, तालाब बनाये और उनसे पानी निकाल कर अपने खेतों में डाला। तो ये सब शुरू के साधन थे लेकिन ज्यों-ज्यों मनुष्य और मनुष्य समाज का संसार में विकास हुआ है इस बात का प्रयत्न किया गया कि सिंचाई के लिये और उचित साधन निकाले जायें।

१९वीं शताब्दी में शुरू में यहां जब अंग्रेजों का राज्य था तो कहत या अकाल से बचने हेतु सरकार का ध्यान इस ओर गया और विशेषकर उस समय गया जब कि उनके पास इंजीनियरिंग मालूमात बढ़ गई थीं साइंस की तरक्की हुई थी उनकी जानकारी भी ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो यह विचार किया गया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में जहां स्प्रिंग लेविल बहुत नीचा है और कुओं से पानी निकालने में वहां के लोगों को असुविधा होती है, वहां नहरों का निर्माण किया गया। १८३२ में सबसे पहले जमुना नहर निकाली गई, १८५४ में गंगा नहर निकाली गई और १८७४ में आगरा में नहर निकाली गई जिससे मथुरा, आगरा, और गुड़गांव के हिस्सों में पानी की सुविधायें पहुंचाई गई। १८७८ में भी लोअर गंगा कैनाल निकाली गई और बुन्देलखंड के इलाके में जो अकाल होता था वहां के लिये सिंचाई की सुविधायें प्रदान की गई। यह प्रगति बढ़ती रही और २०वीं शताब्दी के शुरू में जब लड़ाई समाप्त हुई थी सिंचाई के कामों में बढ़ी बढ़ोत्तरी हुयी इसके लिये दूसरे क्षेत्रों में भी कार्य किया गया और यह सोचा गया कि किस तरह से दूसरे क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें बढ़ाई जायें। लिहाजा यह जो क्षेत्र हैं इनमें शारदा कैनाल से हमारे यहां की १५ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होती है। इस तरह से हमारे यहां सिंचाई के कार्य बढ़ते रहे हैं और इस बीच में ३६, ३७ करोड़ रुपये का काम सिंचाई विभाग के द्वारा खर्च किया गया जब कि हमारा मुल्क आजाद हुआ और हमें यहां स्वराज्य प्राप्त हुआ हमारा काम और आगे बढ़ा। स्वराज्य होने के बाद एक वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य का एक नया नारा हुआ। यह सही माने में हुआ क्योंकि इस के पश्चात् लोगों की आकांक्षायें भी बढ़ गईं और उनका चारों ओर से विकास हुआ। तो सरकार ने भी यह अपना फर्ज समझा कि इस तरह की चीजों के लिये खासतौर से तवज्जह दी जाय। इस से पहले लड़ाई खत्म हुई थी और आबादी बढ़ी। हमारे मुल्क में खाद्य सामग्री की कमी थी जिसकी वजह से बाहर के मुल्कों से गल्ला मंगाना पड़ा और खासी रकम उस मद में खर्च होती रही। यह विचार सरकार का हुआ कि हम गल्ला पैदा करने की तरफ खासतौर से ध्यान दें। प्लानिंग कमीशन

बैठा और योजनाकाल का प्रारम्भ हुआ। इस बात की कोशिश की गई, आबादी को ध्यान में रखते हुये, और अपने जराये और वसायल का ध्यान रखते हुये कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार गल्ले की बढ़ायी जाय और जो रुपया हम बाहर से गल्ला मंगाने पर खर्च करते हैं उसे रोक कर इंडस्ट्रियलाइजेशन में या दूसरे कामों में खर्च किया जाय। लिहाजा पहली पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई और उसमें करीब ३५ करोड़ रुपया खर्च किया गया। फिर दूसरी योजना में ३६ करोड़ रुपया या ऐसा ही कुछ खर्च हुआ। कुछ रुपया दोनों योजनाओं में ७० या ७१ करोड़ के करीब था जो प्रदेश के विभिन्न भागों में सिंचाई के साधन के लिए दिया गया। एक और भी खयाल पैदा हुआ। पूर्वी जिलों में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी और इंजीनियर्स का बराबर यह ख्याल था कि चूंकि वहां की जमीन समतल है, ज्यादा अच्छा ढाल नहीं है इसलिये अगर वहां नहरें बनायी जायंगी तो वाटर लागिंग हो जायगी, बीमारियां फैलेंगी और उससे लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन यह ख्याल बदला और हमने पूर्वी जिलों में भी सिंचाई के साधन बढ़ाने के प्रयत्न किये और बुन्देलखंड और पहाड़ी जिलों में भी सिंचाई की सुविधा दी गई। इस तरह से हमारे काम का प्रसार हुआ। सन् १९४७ में जब स्वराज्य हुआ, उस समय हमारे पास १७,८२४ मील नहरें थीं और १,८०० ट्यूबवेल थे। इन ट्यूब वेलों को सन् १९३० में चालू किया गया था। उसके पहले हमारे प्रदेश में ट्यूब वेल नहीं थे। यह नलकूप ऐसे समय बनाये गये ताकि अधिक पानी लोगों को मिल सके। इन साधनों से ६८ लाख एकड़ जमीन को सिंचाई की सुविधा थी। पहली योजना में यह नहरें १९,०६८ मील हो गईं, और २,३०५ नलकूप चालू हो गये और सिंचाई का पोटेंशियल ६८ लाख से बढ़ कर ७६.७ लाख एकड़ हो गया।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

पहली योजना के अन्त में २२,१०० मील नहरें हुईं और ट्यूब वेल हुये ४,५१५ और सिंचाई का पोटेंशियल हुआ ९६ लाख ८ हजार एकड़। द्वितीय योजना के अन्त तक नहरों की लम्बाई हुई २६,००० मील, ट्यूब वेल हुये ६,५८९ और सिंचाई का पोटेंशियल हुआ १ करोड़ १८ लाख २ हजार एकड़ और हम आशा करते हैं कि तीसरी योजना के अन्त तक २९ हजार मील लम्बी नहरें हो जायेंगी और ८ हजार ट्यूब वेल हमारे प्रदेश में हो जायेंगे और इरीगेशन का पोटेंशियल १ करोड़ ४५ लाख एकड़ हो जायगा।

यही नहीं, सिंचाई के अलावा बाढ़ की तरफ भी ध्यान दिया गया। प्रकृति के कुछ नियम ऐसे बदले कि पूर्वी जिलों के बजाय पश्चिमी जिलों में ज्यादा बारिश होने लगी और बारिश का स्ट्रक्चर ही बदलने लगा। जलमग्न इलाकों का पानी निकालना, ड्रेन्स बनाना दरियाओं के किनारे बांध बांधना और गांवों को ऊंचा करना आदि इस प्रकार के काम भी हमारे प्रदेश में किये गये और करीब-करीब दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते लगभग १२ करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हुआ। हम आशा करते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना तक यह काम और भी बढ़ेगा क्योंकि तृतीय योजना में ५ करोड़ ७५ लाख रुपया इस बाढ़ द्वारा बचाने के हेतु और दिया गया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस सिलसिले में कि इस योजना के अन्तर्गत सात शहर भी ऐसे हैं जिनको बाढ़ के कटाव से बचाया जा रहा है ताकि लोगों की जान-माल की रक्षा हो सके।

फ्लड्स के कार्य में जो रुपया खर्च किया गया उससे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १० लाख ७० हजार एकड़ जमीन बचाई जा सकी जो खेती के काबिल ठीक हुई तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग ढाई लाख एकड़ जमीन बढ़ जायेगी, जिस पर खेती हो सकेगी।

[श्री राममूर्ति]

एक बात मैं और अर्ज कर दूं। अंग्रेजों के जमाने में सिंचाई विभाग में इस बात का खयाल रखा जाता था कि जितना रुपया लगाया जाय उसका निर्धारित ब्याज भी मिल जाय। लेकिन स्वराज्य होने के बाद विचारधार में तब्दीली हुई क्योंकि कितने ही ऐसे क्षेत्र थे कि जहां पर जो योजना बनाई गई उससे आने वाला सूद निर्धारित मात्रा से कम था और जो नदी घाटियों से अच्छी योजनायें थीं जो फायदा देने वाली थीं वे करीब-करीब बन चुकी थीं। इसके बाद जलाशय वगैराह बनाने में उतने ब्याज का रिटर्न नहीं आया जितना कि खयाल किया जाता था।

तो इस तरह से जो यह कामर्शियल डिपार्टमेंट के नजरिये में काफी तब्दीली हुई है और एक बात और हुई है और वह यह कि कितने ही काम आज हमारे यहां ऐसे हो रहे हैं जिनसे कोई ब्याज मिलने का सवाल ही नहीं है। जैसे बाढ़ का काम है। करीब १२-१३ करोड़ रुपया खर्च हुआ है और उससे कोई सूद नहीं मिलता। जो ५०-६० लाख रुपया सूद का होता है जो विभाग को ही बरदाश्त करना पड़ता है। इसके अलावा उन कामों के रखरखाव में भी काफी पैसा खर्च होता है। यह सब इसी में आता है। इसके अलावा जो कन्सट्रक्शन के काम हो रहे हैं जो कोई २ लाख में, कोई ४ लाख में, और कोई ७ लाख में खत्म होते हैं इससे भी बहुत अधिक धन से और उन कामों के समाप्त होने तक जितना भी रुपया उनमें लगता है उससे कोई आमदनी नहीं होती और जो लागत लगती है उस पर सूद तो विभाग पर ही आता है। तो यह सब रकमें ऐसी हैं जिनसे काफी क्षति विभाग को आती है। अगर इस चीज को इसमें से हम हटा दें, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारा जो प्रोग्राम है वह अच्छी तरह से चल रहा है।

तो कहने का मतलब यह है कि हमारा काम ठीक तरह से चल रहा है। योजना काल में कोई ऐसी बात हर साल नहीं की जाती जिससे लोगों को अचम्भा हो। इस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही है और चौथी के बारे में खोज चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी और चौथी योजना तक हमारी हर नयी स्कीम पूरी हो जायेगी। हमारा यह सब काम बराबर जारी है। हर चीज ब्योरेवार, जो पुस्तक बांटी गई है, उसमें लिख दी गई है। इसमें एक चीज देखने की जरूर है और वह यह कि जो रकम हम एक साल के लिये खर्च के लिये निर्धारित करते हैं और जितना काम किये जाने का अनुमान करते हैं वह उतना काम हमारा पूरा हो जाता है या नहीं। यह चीज जरूर देखने की है।

मुझे यह बताते हुये बहुत खुशी होती है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में या दूसरी योजना के अन्त तक में हमारा काम हुआ उसमें एक खासा काम हमने किया और जो पिछले साल काम हुआ उसमें भी करीब ४०-४५ लाख रुपये को छोड़कर बाकी सब रकम इस्तेमाल हो गई। इसके साथ ही मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि जो समय निर्धारित किया गया है कामों को पूरा करने के लिये, वह भी समय के अन्दर ही पूरा होगा, थोड़े बहुत शार्ट फाल तो वैसे हो ही जाते हैं और वह भी इस वजह से कि कभी हमको जमीन प्राप्त नहीं होती, उसमें समय लग जाता है, कभी फारेन एक्सचेंज की दिक्कत आती है, कभी मैटीरियल मिलने में कठिनाई होती है। जमीन मिलने के बारे में मैं आपको बताऊं कि जंगल विभाग से हमको करीब १४ हजार एकड़ जमीन मिलने वाली थी जिसमें से करीब २०० एकड़ ही जमीन मिली। तो इस कारण भी देर हो जाती है, हमारे सेक्रेटरीज भी बराबर कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, दौड़ते रहते हैं और हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारा काम समय के अन्दर ही पूरा हो और कोई दिक्कत न हो। इन शब्दों के साथ मैं सदन के आदरणीय सदस्यों से यह दरख्वास्त करूंगा कि वे जो भी उपयोगी सुझाव उनकी नजर में हों, उन्हें पेश करें, उन पर गौर किया जायेगा, जो कमियां होंगी उनको दूर किया जायेगा और मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो। हमें सबको इस बात की खुशी है कि हमारी योजनाओं का कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है और

हमारे प्रदेश में प्रगति हो रही है। इन शब्दों के साथ में तीनों अनुदानों को आपके समक्ष पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करने की कृपा करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, आज के अनुदानों के सम्बन्ध में विभाग से जो पुस्तिका बटी है वह हमें आज साढ़े १० बजे मिली है और उसको पढ़ने तक का हमें समय नही मिला। इससे सदस्यों को बड़ी परेशानी है।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न सही है। सरकार को चाहिये कि वह अपने-अपने विभागों को आदेश दे कि पुस्तकें कुछ दिन पूर्व सदस्यों को मिल जाया करें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता और सरकार को मजबूर भी नहीं किया जा सकता। वैसे यह ठीक है कि अगर पुस्तकें पहले से मिल जायं तो माननीय सदस्यों को पढ़ने का अवसर मिल जाता है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने तीनों कटौती के प्रस्ताव एक साथ प्रस्तुत करता हूं। अनुदान संख्या ३१ में मेरा यह प्रस्ताव है कि राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। अनुदान संख्या ३२ में मेरा यह प्रस्ताव है कि सिंचाई अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। अनुदान संख्या ४९ में मेरा यह प्रस्ताव है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यह आपने कौन-कौन से नम्बर के कटौती के प्रस्ताव रखे हैं।

श्री झारखंडे राय—इसमें यह हैं—सिंचाई दरों को कम करना, सिंचाई योजनाओं को पूरा करने में विलम्ब न करना, छोटी सिंचाई योजनाओं व प्राचीन साधनों की सरकार द्वारा उपेक्षा व अन्य सुझाव और शिकायतें। दूसरे का उद्देश्य यह है—सिंचाई संगठन को मजबूत करना, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना व विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाना व अन्य सुझाव और शिकायतें।

श्री उपाध्यक्ष—तीसरी मद का कौन सा-नम्बर है?

श्री झारखंडेराय—यादवेन्द्रदत्त जी के नाम पर जो है उसी को मैंने पढ़ दिया है।

मान्यवर, सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई है, नलकूपों और नहरों की संख्या और उनकी लम्बाई में बढ़ती हुई है और नलकूपों में भी बढ़ती हुई है। कमाण्ड भी बढ़ा है लेकिन हमारे प्रदेश के युगों से प्यासे खेतों की प्यास आज भी समाप्त नहीं हुई है। जो विकास का क्रम है, जो रफ्तार है, सिंचाई साधनों को जिस प्रकार से मुहैया किया जा रहा है उसमें और जनता की इसके प्रति आकांक्षा में जो गैप है, वह बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि बगैर सिंचाई साधनों को मुहैया किये हुये हमारे प्रदेश अथवा देश की उपज नहीं बढ़ सकती जोकि बहुत जरूरी है। आज भी हमारा देश आजादी के १६ वर्ष बाद दूसरे देशों पर अपना पेट पालने के लिये निर्भर रहता है, यह हमारे राष्ट्र के लिये शर्म की बात है। उस कमी को हम पूरा नहीं कर सकते जब तक सिंचाई साधनों की रफ्तार बहुत तेज न हो, इतनी तेज न हो जितनी कि जनता की आकांक्षा और मांग है। मन्त्री जी ने नहरों का इतिहास बतलाया है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहली नहर मुगल सम्राट मुहम्मद शाह के शासन में (१७१८–४९ ई०) एक रूहिल्ला सरदार

[श्री झारखंडेराय]

द्वारा बनवाई गई थी। इस नहर से १७४८ ई० में सहारनपुर के पास तक पानी आना शुरू हो गया था। बाद में १८३२ में इसी नहर की मरम्मत कराकर और इसमें नयी शाखायें जोड़ कर अंग्रेज इन्जीनियरों ने इसका नाम पूर्वी जमुना नहर रख दिया। इसके बाद एक एक करके नहरें बनती रहीं, १८५४ में अपर-गंगा नहर, १८५५ में बेतवा नहर, १८७४ में आगरा नहर, १८७७ में लोअर गंगा नहर, १९०७ में केन नहर, १९११ में धसान नहर, १९१५ में गड़ई नहर, १९१५ में घाघरा नहर और १९२८ में शारदा नहर।

हमारे प्रदेश में विदेशी शासन में नहरों का जाल पश्चिमी यू० पी० में बिछना शुरू हुआ था। यह बात स्मरणीय है कि पश्चिमी यू० पी० में ही अंग्रेजों ने नहरों का श्रीगणेश किया। इसके पीछे कोई मंतव्य वहां के किसानों को सुखी करना नहीं था बल्कि नकदी दाम के कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था, अपने कारखानों के लिये जो हमारे देश या उनके देश में थे, उनके लिये कच्चे माल की खपत करना था, अपने देश के लिये गेहूं यहां से ले जाना था, इसी उद्देश्य से उन्होंने नहरों का जाल पश्चिमी यू० पी० में बिछाया। यह बात भी जांच करने योग्य है कि ६० फीसदी तक नहरें पहले पश्चिम में ही थीं, एक-एक जिले में तीन लाख एकड़ की सिंचाई होती थी, लेकिन हमारे प्रदेश का पूर्वी अंचल जिसने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जबरदस्त टक्करें लीं उसकी उपेक्षा की। पांच फीसदी ही सिंचाई पूर्वी अंचल में अंग्रेजों के जमाने में नहरों से या सरकारी साधनों से होती थी। गत दो योजना काल में सरकार ने, देशी सरकार ने रुपया खर्च किया है। पहली योजना में ३६,५७ लाख और दूसरी योजना में २६ करोड़ यानी कुल मिलाकर ६२ करोड़ ५७ लाख रुपया खर्च किया गया। लेकिन प्रदेश की जनता की आकांक्षा पूरी नहीं हुई। यह बात नोट करने योग्य है कि पहली योजना के मुकाबले में दूसरी योजना में कम रुपया रखा गया। मेरा खयाल है कि भावना यह रही कि कृषि के सम्बन्ध में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर हो जायगा, इस बात पर कुछ दिन पहले दावा भी किया गया था लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। तब तीसरी योजना में इस बार कुछ रकम ज्यादा रखी गई है और इस प्रकार सब मिलाकर तीनों योजनाओं में १२० करोड़ रुपया खर्च करने का विचार रहा है लेकिन अंग्रेजों की तरह से मौजूदा सरकार ने अपनी व्यावसायिक प्रवृति का त्याग नहीं किया है। जैसा कि मन्त्री जी ने स्वयं कबूल किया है कि अंग्रेज लोग व्यावसायिक प्रवृति से काम करते थे, जितना रुपया वे खर्च करते थे, उनका विचार यह रहता था कि उस पर उनको ब्याज पर मुनाफा जरूर मिले। मौजूदा सरकार ने उस प्रवृति को पूरा नहीं छोड़ा है क्योंकि इस सरकार ने सवा तीन करोड़ रुपये सिंचाई टैक्स बढ़ाया है १९४६ के बाद तीसरी बार सिंचाई का लगान बढ़ाया गया है। सदन में और सदन के बाहर बहुत जबरदस्त आन्दोलन और जनभावनाओं के प्रकट होने के बाद सरकार झुकी और कुल मिलाकर कुछ वर्ष पहले ढाई करोड़ रुपये की छूट दी गई, लेकिन पिछले साल उस छूट को भी मन्सूख कर दिया। मैं समझता हूं कि यह प्रवृत्ति कि एक बार जनता के दबाव में झुके और फिर उस टैक्स को बढ़ा दें, उसी साम्राज्यवादी व्यावसायिक मनोवृत्ति का परिचायक है और किसान की टूटी हुई कमर पर एक बोझा और डालना है।

इसका मतलब यह होता है कि कृषि उत्पादनों के दाम बढ़ते हैं और जब उनके दाम बढ़ेंगे तो, जो खरीद कर खाने वाले हैं, उनकी वर्त्तमान क्रयशक्ति घटेगी। इस प्रकार यह एक आर्थिक संकट चक्र पैदा हो जाता है जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से सरकार ने सन् १९४६ के बाद से तीन बार सिंचाई रेट्स को बढ़ा कर तिगुना कर दिया है। अगर इसको कृषि उत्पादन की आमदनी के दृष्टिकोण से देखा जाय तो अधिक से अधिक उसको दुगना होना चाहिये था लेकिन उसको सरकार ने तिगुना कर दिया है। इसलिये इस दृष्टि से भी वह अन्याय मूलक है।

जितने आंकड़े इस पुस्तिका में हैं अथवा माननीय मन्त्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं, उनमें जवाब की कोई बात नहीं है लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि कुल मिलाकर सरकारी साधनों से, जो सिंचाई होती है, वह केवल १६ प्रतिशत है।

तीन योजनाओं के बीत जाने के बाद भी इस पुस्तिका में इस बात का दावा किया गया है कि २५.३ प्रतिशत में वे सिंचाई कर सकेंगे। यानी तीन योजनाओं के बाद भी सरकारी साधनों से केवल चौथाई सिंचाई ही हो सकेगी, यह कोई बहुत बड़ी गौरव की बात नहीं है। जनता की आकांक्षाओं और सरकारी साधनों के बीच में जो चौड़ी खाई है, वह बढ़ती और गहरी होती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ८४ प्रतिशत साधन जनता के अपने हैं। चाहे वे गड़हे हों, कुयें हों अथवा तालाब पाताल हों लेकिन उनकी पुराने सिंचाई साधनों की उपेक्षा करना सरकार की नीति हो गई है। इससे जबरदस्त नुकसान हो रहा है। पुराने तालाब या तो टूट गये हैं या उनमें बहुत थोड़ा पानी रह गया है अथवा जोत लिये गये हैं। पुरानी सामन्ती जमाने की नहरों की भी सरकार ने उपेक्षा की है, नतीजा यह हुआ है कि वे साधन भी समाप्त हो गये हैं अथवा होते जा रहे हैं क्योंकि सरकार ने उनकी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया। सरकार ने नये साधनों का निर्माण तो अवश्य किया लेकिन पुराने साधनों की उपेक्षा की। ७ लाख कुयें इस प्रदेश में खत्म हो गये। वे कुयें या तो भठ गये हैं या भठने के करीब हैं। वे न पानी पीने के लिये हैं और न सिंचाई के लिये ही हैं। तो मेरा सरकार के ऊपर चार्ज है कि पहले के जो बने हुये कुएं या और सिंचाई के साधन थे और जिनसे किसान अपना काम चलाते थे, वे सरकारी उपेक्षानीति से समाप्त हो गये हैं।

नलकूपों के ऊपर सरकार ज्यादा जोर देती है लेकिन नलकूपों की उपादेयता भी आज एक चुनौती का विषय बन चुका है कि क्या नलकूपों के बजाय हम पक्के कुओं पर निर्भर नहीं कर सकते हैं? क्या मौजूदा राष्ट्रीय सरकार इस बात को नहीं कर सकती कि १०–१० एकड़ पर पक्के कुयें बनवा दे और इस प्रकार किसानों को सिंचाई के साधनों की सहायता देकर मजबूती से आगे चलाने की कोशिश करे और बाद में सिंचाई के और साधनों जैसे, बड़ी-बड़ी नहरें आदि बनाने की कोशिश धीरे–धीरे करे? आज बहुत से नलकूप चलते ही नहीं हैं और ऐसे ही बेकार पड़े हुये हैं। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना होगा क्योंकि नलकूपों की उपादेयता देहाती जीवन में इतनी नहीं रही है, जितनी कि सरकार को आशा थी।

सन् १९५९–६० में सरकारी सिंचाई साधनों के निर्माण पर ४५ लाख रुपया कम व्यय किया गया। सरकार की जो योजना है और उसके अन्तर्गत जो उसका टार्गेट है उसको भी वह पूरा नहीं कर पा रही है। सन् १९६१–६२ में सरकार ने इस बात का निश्चय किया था कि ४० प्रतिशत सिंचाई साधन सरकार की तरफ से प्रस्तुत किये जायेंगे लेकिन मुश्किल से १६–१७ प्रतिशत ही प्रस्तुत हो सके और योजना की समाप्ति तक भी बमुश्किल २५ प्रतिशत सिंचाई हो सकेगी।

चौधरी चरण सिंह जी, जो यहां बैठे हुये थे, सन् १९६१ में विधान परिषद् में एक सवाल का जवाब देते हुये उन्होंने कहा था कि योजना बनाते समय सिंचाई के जितने क्षेत्र लिये गये वह भी पूरे नहीं हो पाये, उन्होंने अपनी असफलता की स्वीकृति की थी। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, जिस तरह से ब्रह्म सर्व व्यापक माना जाता है उसी तरह से भ्रष्टाचार भी व्यापक हो गया है। सिंचाई विभाग में भी पी० डब्ल्यू० डी० विभाग से कम भ्रष्टाचार नहीं है। आज यहां के ठेकेदार और इंजीनियर्स मालामाल हो रहे हैं। मध्यम वर्ग की इनकम और निम्न वर्ग की इनकम के बीच की खाई इतनी गहरी और चौड़ी होती जाय, यह समाजवादी संक्रमण मेरी समझ में नहीं आता। सिंचाई विभाग के जितने भी कार्य हैं वे बड़े-बड़े ठेकों द्वारा हो रहे हैं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नये भारत का निर्माण कन्ट्रेक्टर्स द्वारा हो रहा है।

[श्री झारखंडे राय]

इस बात की शिकायत इस सदन में बराबर की गयी है कि सिंचाई के साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। पिछले १० वर्षों में सिंचाई का रेट इतना बढ़ा है कि सिंचाई के साधन रहते हुए भी कोई मामूली आदमी उनका उपयोग नहीं कर पाता। जब समय से पानी नहीं मिलता तो असमय पानी लेने से कौन लाभ है। इसलिये उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। मौके-मौके पर बिजली फेल हो जाती है, कई-कई दिन क्या, हफ्ते हफ्ते तक ट्यूबवेल्स फेल रहते हैं जिससे किसानों की बहुत हानि होती है और वे चाहें भी तो पानी नहीं ले पाते हैं। भ्रष्टाचार भी इसका मुख्य कारण है जिससे सरकार के चाहने पर और किसान के चाहने पर भी वे पानी नहीं ले पाते जब कि नहरों में व ट्यूबवेल्स में पानी मौजूद है।

जहां तक कमांड एरिया की बात है, इसकी बड़ी चर्चा माननीय मंत्री जी ने की और आगे भी करेंगे। लेकिन यह कमांड एरिया शब्द बड़ा ही भ्रामक है। मेरा अपना दावा है कि कमांड एरिया में कोई भी कुलाबा या नलकूप पूरी तरह से अपना काम नहीं करता। २ हजार एकड़ के कमांड एरिया की बात कही जाती है लेकिन बमुश्किल ७००—८०० एकड़ में ही सिंचाई होती है। इस तरह से कमांड एरिया का नाम लेना एक धोखाधड़ी है। इस आंकड़े के जाल से चाहे आप सन्तोष कर लें या हमें चुप करा लें लेकिन अगर इन आंकड़ों का मुकाबला जीवन की वस्तुस्थिति से करते हैं तो जो मालूम होता है वह यह है कि कमांड क्षेत्र ज्यादा दिखाया जाता है और वास्तविक सिंचाई कम होती है। सिंचाई योजनायें बनाने में विदेशी सहायता पर भी हमारी सरकार बहुत निर्भर रही है, विदेशी विशेषज्ञ बुलाये गये और विदेशी कम्पनियों को ठेके दिये गये लेकिन उससे लाभ किस का हुआ? लाभ उनका हुआ जो बाहर से आये थे और लाभ उनका हुआ जिन्होंने ठेके लिये थे, उनका हुआ जो विशेषज्ञ बाहर बड़े-बड़े वेतन लेकर चले गये और लाभ उनका हुआ जिन्होंने गलत नकशे बना कर मुल्क को बरबाद किया और लूटा। हमारी सरकार ने अमरीकन कम्पनियों को और उनकी सहायता से अपने बड़े-बड़े काम चलाने का निर्णय किया, देश के अन्दर बड़ी-बड़ी योजनायें थीं, हमारे यहां पथरी पावर योजना थी और मिर्जापुर का अहरौरा बांध था जिसका नकशा अमेरीकन एक्सपर्ट्स की सहायता से बनाया गया लेकिन वह सन् १९५३ में बना और पानी के एक झटके से उनकी सामर्थ्य के बाहर हो गया और ५० लाख का बांध बह गया। विदेशी कम्पनियों का सहारा लिया गया और कोई लाभ भी न हुआ। मेरे पास तथ्य हैं जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि हमारे सरकारी विभागों ने पंजाब, बिहार और यू० पी० के लिये जो नलकूपों की योजना बनाई और स्वयं कुयें बनाये वह अच्छे और कम व्यय में बने और उस का नतीजा यह हुआ कि उनका सिंचाई रेट भी कम पड़ेगा। सरकार चाहे इस पहलू पर गौर न करें, लेकिन यह विचार करने की बात है। मैं चाहता हूं कि ठेकेदारों और लुटेरों के हाथ में यह काम न देना चाहिये। नवभारत का निर्माण सरकार अपने ऊंचे आदर्शों से कर सकती है, लेकिन ठेकेदार का उद्देश्य तो काफी मुनाफा खाना है, वह निर्माण देश का नहीं कर सकते, वे तो केवल लूट कर सकते हैं और कर रहे हैं।

इन्टरनेशनल बैंक से भी रुपया लोन लिया गया था। उस पर अमरीका की मानोपली (कैपिटेलिस्ट का अधिकार) है उससे रुपया लिया गया। मेरा मतलब यह नहीं है कि हम विदेशों से सहायता न लें, लेकिन वह वहीं लें जहां कि हमारे ऊपर उसके प्रयोग करने में कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो और रुपया भी कम व्यय हो और लाभ अधिक हो। अभी तक हमारी अनेक योजनाओं पर निर्माण अनुमान से अधिक व्यय हुआ है और इस बात की शिकायत बराबर सदन में की जाती रही है और मैं उसको फिर दोहराता हूं कि विभाग की सिंचाई की सभी योजनाओं पर अनुमान से ज्यादा व्यय हुआ है, किसी में दुगुना, किसी में ८० फीसदी, किसी में ६० प्रतिशत और किसी में सवा सौ प्रतिशत ज्यादा तक अधिक व्यय हुआ है, इस तरह की एक भयावह स्थिति है। मैं मांग करूंगा कि इसके लिये माननीय मंत्री जी यहां एक हाई पावर कमीशन नियुक्त करें कि क्यों इन योजनाओं में अनुमानित व्यय से इतना अधिक व्यय बढ़ गया। अनुमान और एक्चुअल आंकड़ों में कुछ तो समन्वय होना ही चाहिये, लाखों और

करोड़ों का अन्तर हो जाय इसके अन्दाजे को हम और जनता का दिमाग ग्रहण नहीं कर सकता। माताटीला की तो एक लम्बी कहानी है। मंत्री जी ने उस पर कमेटी बनाई है, वह क्या कर रही है कुछ पता नहीं, रिपोर्ट मिली या नहीं मिली, वह देखने को मिलेगी या नहीं। मैं चाहता हूं कि दोहरीघाट, टांडा, पथरी, अर्जुन, माताटीला, सपरार और खटीमा आदि के बनने में जो व्यय हुआ है और जो व्यय अनुमान से बढ़ा है उसकी जांच होनी चाहिये, बजाय इसके कि सारे खर्च का बोझ जनता पर हम डाल दें, उसे छूट भी न दें, सिंचाई रेट भी बढ़ायें, मैं समझता हूं कि यह जनरोष को उभारेगा और जनरोष का सामना सरकार को करना पड़ सकता है और जब वह भभकता है तो सरकारें उलट जाती हैं, राज्य खत्म हो जाते हैं, संसार का इतिहास इसका साक्षी है। इसलिये मैं चाहता हूं सरकार प्रदेश के गम्भीर जनरोष को देखे और बढ़ते हुए सिंचाई रेट्स को कम करे, कम से कम इस समय जो रेट है उसका आधा होना चाहिये।

बाढ़ नियंत्रण की बात मंत्री जी ने कही। यह बहुत जरूरी है। जितने गांव ऊंचे किये गये हैं वे बहुत कम हैं। एक स्कीम हमारे प्रदेश में चली थी गांवों को ऊंचा करने की, जिसको माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने शुरू किया था, जिसको हम सब ने स्वीकार किया था और सचमुच जो गांव ठिकाने से पटे हैं वह बाढ़ से तो घिर जाते हैं लेकिन उनके बच्चे, घर, झोपड़ी और जानवर सुरक्षित रहते हैं और नाव से अगर उनको चना-चबेना मिल जाय तो वह हफ्तों जी सकते हैं। लेकिन जो गांव ऊंचे नहीं हुए हैं उनकी क्या गत होती है, जिन्होंने बाढ़ के जमाने में उनकी हालत देखी है, वही अनुमान कर सकते हैं। पश्चिम के भाइयों को इसका अनुमान नहीं था कि गांव कैसे बहते हैं। वे समझते थे कि जैसे नाव चलती है ऐसे ही गांव और घर बहते हैं। लेकिन जब पश्चिम में बाढ़ दुर्भाग्य से आयी और वाटर लागिंग हुआ तो प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि कैसे गांव और घर बहते हैं। वह बाढ़ नियंत्रण की स्कीम में गांव-पटाई या तो मुल्तवी कर दी गई या धीमी कर दी गई। इसलिये मैं चाहूंगा गांवों की पटाई का प्रश्न वार लेविल पर लिया जाय और जितने गांव, नदी-नाले के किनारे हों, एक और इलाका है जो उपेक्षित है वह है तालों के खाता इलाके। हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े ताल हैं जिनके किनारे के लोग उतने ही तबाह होते हैं जितने किसी नदी या नाले के किनारे के, बल्कि किसी माने में उनसे ज्यादा तबाह होते हैं क्योंकि नदी, नाले का पानी तो सप्ताह, दो सप्ताह बाद वापस हो जाता है लेकिन तालों के किनारे के गांवों में यदि वाटर लागिंग एक बार हो गई तो महीनों तक घर, खेत डूबे रहते हैं, रबी नहीं बो पाते हैं और अगर बोते भी हैं तो देर से बोने के कारण फसल कमजोर होती है। इसलिये गांवों की पटाई का काम वार लेविल पर सरकार पुनः अपने हाथ में ले। जिस काम को सरकार ले उसे पूरा कर के दिखा दे ताकि मालूम हो कि वह काम हुआ, उसके बारे में कोई डिसप्यूट न रहे। यह न हो कि आधा काम किया और दूसरा काम ले लिया। कहने को १० काम हो गये मगर पूरा एक भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपना भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री झारखंडेराय—जब आप लाल बत्ती दिखायेंगे वैसे समाप्त कर दूंगा।

अंग्रेजों का नियम था कि सिंचाई कर से जो आय होती थी, व्यावसायिक प्रवृत्ति के कारण, वह अन्य विभागों में खर्च होती थी तथा कुछ कर्जे की किस्त देने में खर्च होती थी। मौजूदा सरकार भी ऐसा ही करती है। मैं चाहूंगा कि सिंचाई कर से जो आय होती है वह पूरी सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने पर खर्च की जाय।

विभागों में जो असिस्टेंट इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा टेम्पोरेरी एवं अनियमित हैं। यह एक बहुत बड़ी जहमत है, सारी जिन्दगी अनिश्चित वातावरण में रहते हैं, उनके अन्दर मुस्तकिल मिजाजी पैदा नहीं होती, मन लगाकर काम नहीं कर सकते। अभी

[श्री झारखंडेराय]

सरकार ने एक जी०ओ० निकाला जिसमें यह है कि जो इंजीनियर ५ से लेकर १०, १२ साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने पुस्तकों को ताख में रख दिया है और जीवन के व्यावहारिक पहलू में घुस आये हैं, प्रेक्टिकल एक्सपीरियेंस कर रहे हैं, अब उनको कम्पटीशन में बैठना पड़ेगा उन लोगों के साथ जो नये-नये अभी कालेजेज से निकल कर आये हैं। सरकार का यह फैसला निहायत गलत है, इसकी जितनी भी निन्दा की जाय बहुत कम है। उसमें एक भी पल्ला प्रेक्टिकल एक्सपीरियंस का नहीं है। ऐसी हालत में थ्योरिटिकल नालेज के साथ जो नये निकले हैं और १२ वर्ष के पुराने एक्सपीरियस वालों में कैसे मुकाबला हो सकता है। एसिस्टेंट इंजीनियर्स जो टेम्पोरेरी हैं उनको लेकर विकास का कार्य हम नहीं कर सकते। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार उनको मुस्तकिल करे ताकि मन लगा कर वे विकास के कामों में जुट सकें।

मेरा एक निवेदन यह है कि लघु सिंचाई की योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय और उन्हें प्राथमिकता दी जाय। मैं चाहता हूं कि उनको प्राथमिकता दी जाय। विदेशी मशीनों पर निर्भर रह कर इस मामले को खटाई में नहीं डाला जा सकता और न इससे कोई लाभ ही है। बल्कि जो सिंचाई की छोटी योजनायें हैं उनको प्राथमिकता दी जाय। बाद में बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया जाय। जो अधूरी योजनायें हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय।

बाढ़ और वाटर लागिंग से जो हानि हो रही है उसके लिये जो रकम रखी गयी है वह बहुत कम है। उसको बढ़ाया जाय। इसको रोकने के लिये सरकार पूरी तौर से तैयारी करे। पूर्वांचल में घाघरा, राप्ती तथा गंडक नदी घाटी की योजना की मांग की जा रही है जिसके बगैर पूर्व का अभिशाप मिट नहीं सकता, ऐसा होने पर पूर्व की गरीबी और बाढ़ की समस्या का हल निकल सकेगा। मैं यह भी चाहूंगा कि सिंचाई तथा विद्युत दोनों के मंत्री एक हों। सेक्रेटरी तो दोनों के एक ही हैं। दोनों के दो मंत्री होने में काम की गति मन्द हो जाती है।

मैं यह भी मांग करूंगा कि सिंचाई रेट आधा किया जाय और जो बढ़ा है उसे समाप्त किया जाय और रेट उस स्तर पर हो जो गरीब से गरीब किसान की पहुंच के अन्दर हो।

अन्त में आजमगढ़ जिले के बारे में कहूंगा। उसमें घोसी और सगड़ी दो तहसीलें हैं। इन दोनों का उत्तरी भाग बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित रहता है। घाघरा का बहाव तथा उसके कटान को रोकने के लिये यहां व्यवस्था होनी चाहिये। काफी जमीन नदी के किनारे कट कट कर नदी के पाट में चली गयी है उसको रोकने के लिये पूरी कोशिश की जाय तभी हम जिले की गरीबी और कठिनाई को दूर कर सकते हैं। अन्त में इस प्रस्ताव पर विचार प्रकट करते हुए मैं यह चाहूंगा कि सरकार जनरोष उभड़ने से पहले सिंचाई के रेट को कम करने के लिये कदम उठाये।

श्री उपाध्यक्ष—बाकी जितने कटौती के प्रस्ताव हैं वे मूव किये समझे जायंगे और जो बहस होगी वह सब कटौती के प्रस्तावों पर तथा अनुदानों पर होगी।

[अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक : ४३, ४४ और ४८—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री यादवेन्द्र दत्त ..	मद—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

[ ] कटौती के प्रस्ताव किये गये माने गये।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
२	श्री राम भजन ..	मद—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सिंचाई विभाग में सक्रियता तथा जागरूकता लाने के लिये सुझाव देना।
३	श्री छेदालाल चौधरी	मद—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सिंचाई सम्बन्धित निर्माण-कार्यों के लिये सुझाव तथा विभाग को सलाह देना।
४	श्री जे० पी० मिश्र ..	मद—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।
५	श्री कृष्ण चन्द्र ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—पिछड़े क्षेत्रों को विशेष कर बुन्देलखंड में सरकार की सिंचाई नीति पर विवाद करना तथा सुझाव देना।
६	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय कार्य के विस्तार एवं सिंचाई कर्मशालाओं के पुनर्गठन का सुझाव देना।
७	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भानु प्रताप सिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री मुन्नू सिंह, श्री प्रेम सिंह, श्री विजय सिंह, श्री बलवीर सिंह, श्री नवरंग सिंह तथा श्री चैतन्य राज सिंह।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
८	श्री शिवदान सिंह ..	मद (क) उत्पादक निर्माण-कार्य—के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—जिला अलीगढ़ में ३४ सहकारी नलकूप जो कई वर्षों से बन्द पड़े हैं उनको सरकार के अधीन किये जाने का सुझाव देना।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
९	श्री होरीलाल यादव	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) लाखू तालाब, जिला फर्रुखाबाद के पानी निकालने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा बारम्बार प्रयास करने पर भी विभाग द्वारा उचित कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में चर्चा करना। (२) सराय मीरा, जिला फर्रुखाबाद में नल न लगाने के सम्बन्ध में देरी।

अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक: ४३, ४४, ९९ व १००—सिंचाई अधिष्ठान

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री यादवेन्द्र दत्त ..	मद—सिंचाई अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
२	श्री रामसुन्दर ..	मद—सामान्य अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सिंचाई रेट कम किया जाय। दोहरी घाट नहर की सिंचाई दर, पूर्वी जिलों की गरीबी का खयाल करके विशेष कम किया जाय, जिससे किसान पानी ले सकें तथा कर का भुगतान भी कर सकें।
३	श्री खुशीराम ..	मद—सिंचाई निर्माण-कार्य के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
४	श्री चन्द्रबली ..	मद—सिंचाई अधिष्ठान—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—वर्तमान बाढ़ निरोधक कार्यवाही को समाप्त कर नये सिरे से पूर्वापर के सम्बन्ध के अनुसार बाढ़ निरोधक कार्य प्रारम्भ किये जायं तथा वर्तमान नव निर्माण योजना में आमूल परिवर्तन किया जाय और अधिष्ठानों के रख-रखाव में अपव्यय को समाप्त किया जाय।
५	श्री उग्रसेन ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभाग में खर्चे की कमी का सुझाव देना।

अ प्रदेश

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
६	श्री रामसुन्दर ..	मद—सिंचाई अधिष्ठान की उपमद (क) निदेशन—के अधीन मांग की राशि में एक रुपया की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—मुख्य अभियन्ता ४ के स्थान पर एक कर दिए जायं और उपमुख्य अभियन्ताओं के जिम्मे सर्किलों का बटवारा करके काम सम्हालने की पूरी जिम्मेदारी दे दी जाय।
७	श्री कृष्ण चन्द ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन के अपव्यय सम्बन्धी प्रश्न को उठाना और विवाद करना तथा सुझाव देना।
८	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भानु प्रताप सिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेम सिंह, श्री मुन्नू सिंह, श्री विजय सिंह, श्री बलवीर सिंह, श्री नवरंग सिंह तथा श्री चैतन्य राज सिंह।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
९	श्री बिपिनबिहारी तिवारी	मद—सिंचाई के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सिंचाई की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण असन्तोष।
१०	श्री रामसुन्दर ..	मद—सामान्य अधिष्ठान की उपमद (ख) कार्यकारी (सामान्य) का भाग (१) अधिकारियों का वेतन—के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—दोहरीघाट नहर से गत वर्ष ईख में पानी पूरा न मिलने पर भी पूरा कर वसूल करना। वाऊडीह, जुड़ेना, करमा, महरूपुर आदि ग्रामों के ६५२ व्यक्तियों की दरख्वास्तों को अनसुनी कर देना। बिना आवश्यकता एवं जनता की मांग बिना जामडीह, सिपाह, पवनी आदि उपशाखाओं को बनाना। फतेहपुर, वाऊडीह आदि उपशाखाओं एवं दोहरी घाट मुख्य नहर के टूटने के कारण हजारों एकड़ फसल पानी से बर्बाद हुई किन्तु किसानों को मुआवजा नहीं मिला। किसानों द्वारा मांग भी की गई।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
११	श्री ऋषि नारायण शास्त्री	मद—आयोजनागत (Plan) के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) मोगल विलर ड्रेन का अन्तिम हिस्सा जहां गंगा में मिलता है, साइफन व मिट्टी से पाटने का काम। (२) लोहना ड्रेन जो वरना में व छेडलीकर फुलवरिया के बीच मिलता है, साइफन व मिट्टी से पाटने का काम। (३) गंगापुर निर्वाचन क्षेत्र के सिंचाई के लिये ट्यूबवेल की मांग, जो लगभग २५ के होगी।

अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ९९—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री जे० पी० मिश्र ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—(१) अधिक धन की मांग करना, (२) विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
२	श्री कृष्ण सिंह ..	मद (क) सिंचाई के निर्माण-कार्य के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
३	श्री उग्रसेन ..	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—बाढ़, कटाव रोकने के सुझाव देना। नैपाल बांध, जलकुंडी, घाघरा कटाव योजना को तृतीय आयोजन में सम्मिलित करने की मांग करना।
४	श्री राज नाथ ..	मद (२) नलकूपों का निर्माण—के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—गाजीपुर जनपद में तहसील सैयदपुर के अन्तर्गत क्षेत्र शादियाबाद में सिंचाई के साधनों का अभाव।
५	श्री राघवेन्द्र प्रताप, श्री भानुप्रताप सिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेम सिंह, श्री मुन्नू सिंह, श्री विजय सिंह, श्री नवरंग सिंह, श्री बलवीर सिंह तथा श्री चिरंजी लाल।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विवाद चल रहा है सब से पूर्व में सिंचाई विभाग में जो अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण कार्य कर रहे हैं इस अवसर पर मैं उनको बधाई देता हूं उस कार्य के लिये, उन महान् कार्यों के लिये, जो कि वे सम्पादित कर रहे हैं इस प्रदेश में ।

श्रीमन्, यह सच है कि सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार है, कहीं-कहीं पर हमारे इंजीनियरों और ठेकेदारों में सांठ-गांठ है जिससे इस प्रदेश को घाटा उठाना पड़ता है । यह भी सच है कि कभी-कभी सिंचाई विभाग ने विदेशी इंजीनियरों की सहायता से बांधों का निर्माण किया जिससे क्षति पहुंची है । यह भी सच है कि सिंचाई विभाग उतना कार्य नहीं कर सका जितना कि उसको करना चाहिये था । किन्तु मैं निहायत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि केवल यही कहानी सिंचाई विभाग की नहीं है । सिंचाई विभाग की दूसरी भी कहानी है जिसको हमें सदैव स्मरण रखने का प्रयत्न करना चाहिये । यह भी सच है कि पिछले दस वर्षों में आजादी प्राप्ति के बाद और बहुत से इंजीनियर्स के विदेश चले जाने के बाद हमारे नौजवान इंजीनियर्स ने जिस तरह से इस देश और प्रदेश में सिंचाई विभाग के कार्य को अपने कंधों पर लिया और जिस बुद्धिमानी, नेकनीयती और ईमानदारी के साथ उन्होंने इस प्रदेश की समस्या को हल करने की कोशिश की है उस सबके लिये वह हमारी बधाई के पात्र हैं । और यदि हमने तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू देखा और दूसरा पहलू नहीं देखा तो मैं यह कहने की धृष्टता करता हूं कि उससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उससे हमारी प्रगति नहीं होगी ।

श्रीमन्, आज भ्रष्टाचार एक सोशल फिनामिना के रूप में हमारे सामने है । लेकिन वह एक दुष्चक्र है । क्या ये बांध और नहरें न बनें जब तक भ्रष्टाचार समाप्त न हो जाय ? जनता इन्तजार नहीं कर सकती । इसलिये इस सोशल फ़िनामिना के रहते भी हमारी प्रगति जारी रहेगी, मंजिल तक पहुंचने के लिये हमारे कदम उठते चले जायंगे और साथ-साथ में भ्रष्टाचार के निवारण के लिये हम जो कर सकते हैं वह करते चले जायंगे ।

श्रीमन्, माताटीला की बात कही गयी । मैं चाहता हूं कि माता टीला की पुनरावृत्ति न हो, मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार न हो, इंजीनियरों और ठेकेदारों का गठबन्धन न हो और इसके लिये सरकार को स्थायी रूप से कोई प्रबन्ध करना चाहिये तथा इसके लिये मैं, माननीय झारखंडे राय जी ने जो सुझाव रखा है, उसका समर्थन करता हूं कि इस तरह की जहां-जहां भी गड़बड़ियां हुई हों, एक हाई पावर कमीशन बिठला कर उनकी जांच करायी जाय । मैं एक कदम इससे और आगे जाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि एक हाई पावर कमेटी बनायी जाय जो स्थायी हो और जो इस बात पर बराबर नजर रखे कि जो हमारे बांधों में जो ५ या १० लाख से ऊपर के बन रहे हैं उनमें गड़बड़ियां न हों । इस कमेटी में रिटायर्ड इंजीनियर्स हों, ऐसे व्यक्ति भी इसके गैरसरकारी सदस्य हों जो इस काम में रुचि रखते हों और समझते हों । स्टेट लेबिल पर एक ऐसी कमेटी बनायी जाय और जिन जिलों में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उन जिलों में भी ऐसी ही एक कमेटी बनायी जाय । इसके सदस्यों का चयन मुश्किल नहीं है । यद्यपि यह टैक्निकल बात है लेकिन सहज बुद्धि की भी बात है और जिस मनुष्य में सहज बुद्धि होगी वह इस बात का पता लगा सकता है कि कहां पर भ्रष्टाचार है, कहां पर अपव्यय हो रहा है । इसलिये इसका एक स्थायी प्रबन्ध होना चाहिये स्टेट लेबिल पर और जहां-जहां प्रोजेक्ट्स खुले हैं उस लेबिल पर ।

दूसरा सुझाव मैं माइनर स्कीम्स के बारे में देना चाहता हूं । माननीय झारखंडे राय जी ने सच कहा कि अंग्रेजों ने जो कार्य किये थे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किये थे । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रति पूर्ण सद्भावना और सौहार्द की भावना रखते हुये भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि जब हम समाजवादी समाज के तहत में एक स्वस्थ समाज का निर्माण

[श्री कृष्णचन्द]

करना चाहते हैं। उन उपेक्षित क्षेत्रों को, जिनको अंग्रेजों ने हिकारत की निगाह से देखा है, उन क्षेत्रों की जनता को सम्पन्न करने के लिये हम सुविधायें देने का प्रयत्न करें।

श्रीमन्, उन क्षेत्रोंमें झांसी जिला भी है जिसका निरन्तर अंग्रेजी काल में निरादर किया गया, उपेक्षा की गई। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस जिले के लिये अवश्य कुछ किया जाय। वैसे माताटीला बांध बना है लेकिन उससे बुन्देलखंड को ज्यादा सुविधा नहीं मिलेगी, दूसरे क्षेत्रों को सुविधा मिलेगी, दूसरे प्रदेशों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार ललितपुर सब-डिवीजन में भी एक ही बांध है जिससे करीब १२/१५ हजार एकड़ में सिंचाई होगी। इसके पहले श्रीमन्, ससिरापुर एक जिला था किन्तु आज उसकी सिंचाई का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि आप छोटी-छोटी योजनायें जैसे तालाब आदि, उनके लिये सर्वे करायें और इन छोटी-छोटी योजनाओं को ही चालू करें यदि बड़ी योजनाएं नहीं हो सकती हैं। श्रीमन्, बुन्देलखंड में बहुत पुराने तालाब हैं जो राजाओं के बनाये हुये हैं। हर तीसरे गांव में एक तालाब है। वे लाखों रुपयों के बने होंगे लेकिन आज वे ध्वस्त पड़े हुये हैं। अगर उनकी मरम्मत की जाय तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनसे सिंचाई हो सकती है लेकिन उनको ठीक कराना होगा।

श्रीमन्, दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जिनकी जमीनें बांध वगैरा बनाने के लिये ली जाती हैं उन जमीनों के कम्पेन्सेशन का एक निश्चित आधार बना देना चाहिये। यह रोज का कार्यक्रम बन गया है और यह लाजमी भी है कि हमारे यहां बांध बनें, नहरें बनें और सड़कें बनें और इनके लिये काश्तकारों से जमीन भी लेनी पड़ेगी। इसलिये यह आवश्यक है कि हमारा मंत्रिमंडल गैर-सरकारी आदमियों की सहायता से पूर्ण रूप से विचार-विनिमय करने के बाद ऐसा शर्तनामा तैयार करे जो किसानों को स्वीकार हो। अभी महरौनी में आपने एक बांध बनाने के लिये किसानों की जमीन ली उससे लोगों में बड़ा भारी असन्तोष है क्योंकि उसका उसूल ठीक नहीं रहा। पहले जो इस कार्य के लिये जमीन ली गई थी वह चन्द भूतपूर्व जमींदारों की थी और थोड़ी-सी ही जमीन काश्त की थी लेकिन बाद को उसे छोड़ दिया गया। मैं नहीं जानता कि उसे क्यों छोड़ दिया गया। उसके बजाय दूसरी जमीन ली जिस पर ज्यादा काश्त होती थी और वह हरिजन, चमार तथा गरीब भाइयों की है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रभु हर जगह पैदा होते रहते हैं इसीलिये मैंने निवेदन किया है कि आप एक उसूल बना लें कि किस तरह से आप जमीन लेंगे, भूमि कैसे लोगों की होगी और उसका कितना मुआवजा देंगे। माताटीला में ली गई जमीन के कम्पेन्सेशन का प्रश्न आया और वहां पर सत्याग्रह की नौबत आ गई। अतः अब समय आ गया है कि आप जब सिंचाई के लिये जमीन लें तो यह निश्चित कर लें कि किन शर्तों पर आप किसानों की जमीन लेना चाहते हैं। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ . .

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। मैं विरोधी दल की ओर से जो कटौती के प्रस्ताव आये हैं उनके समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मंत्री महोदय द्वारा बहुत बड़ी योजनाओं की बात कही गई है। इन योजनाओं को देखा जाय तो बहुत-सी योजनायें ऐसी हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही प्रारम्भ की गई थीं और जिनको पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन के रूप में बाद में लिया जाने वाला था परन्तु उनको प्रारम्भ करने के बाद उनके लिये जो अनुमानित व्यय रखा गया था उससे कहीं ज्यादा व्यय होने के बाद यद्यपि उनसे उतना लाभ जनता को नहीं हो पा रहा है और न सरकार को हो पा रहा है परन्तु तब भी उनके विषय में बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं। हमें इन योजनाओं के विषय में सोचते समय यह देखना पड़ता है कि इनके लिये अनुमानित व्यय जो रखा गया था उससे कहीं ज्यादा रुपया व्यय होने के बाद हम उनसे उतना लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हम दूसरी ओर अपनी दृष्टि डालते हैं

तो हमको यह दिखाई देता है कि रुपया बहुत अधिक व्यय हुआ, परन्तु जनता को लाभ उस अनुपात में नहीं मिल रहा है । आज नहरों के विषय में देखा जाता है कि जब आवश्यकता होती है और अधिक पानी मिलना चाहिये उस समय पर पानी नहीं मिलता है । आज काश्तकार नहरों पर आश्रित हो गया है । उसको पानी नहीं मिलने के कारण उसकी फसल सूख जाती है । उचित जगहों पर , जहां पर उनकी अधिक मांग होती है वहां पर कुलाबे भी नहीं लगते हैं । कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो वह अपने खेतों के पास कुलावे लगवा लेता है । जहां पर पानी का कष्ट होता है और वहां पर वास्तव में पानी की आवश्यकता है वहां पर पानी उपलब्ध नहीं होता है और वहां पर कुलावे नहीं लगते हैं । जहां पर कुलावे लगे भी हैं और काश्तकारों के कहने पर कुलावे लगा भी दिये जाते हैं तो वहा पर यह देखा जाता है कि नहरों की सफाई न होने के कारण वहां कुलावे ठीक से काम नहीं करते हैं । जहां पर झाल होती हैं वहां पर पीछे से कूड़ा आकर इकट्ठा होने के कारण पानी ठीक से पास नहीं होता है । इस वजह से कुलावे ठीक काम नहीं करते हैं । इस कारण काश्तकारों की फसल सूख जाती है ।

जहां पर ट्यूबवेल बनाये गये हैं मैं तो उनके विषय में यह विचार रखता हूं कि उनके ऊपर अत्यधिक रुपया हमारे प्रदेश में लगाया गया है । हमारे उत्तर प्रदेश के ही एक भूतपूर्व पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जब मेरे क्षेत्र में दौरे पर गये तो उन्होंने बतलाया था कि एक ट्युबवेल पर सरकार का ८० हजार रुपया खर्च आता है और यह बिना टंकी का होना है । जिस पर टंकी होती है उस पर करीब १ लाख खर्चा आता है। इतना अधिक रुपया व्यय होने के बाद अब यह देखा जाय कि कितने क्षेत्र में उससे सिंचाई होती है। मेरा कहना यह है कि जो उनका कमान्ड एरिया होता है उसके आधे और चौथाई एरिया में वह पानी नहीं दे पाता । यदि कमान्ड एरिया में दूसरा व्यक्ति कोई अपना प्राइवेट ट्यूब वेल बनाना चाहता है और अपने पास से रुपया लगाकर बनाना चाहता है तो उसको साफ इन्कार कर दिया जाता है । एक ओर तो सरकार हमारे यहां लोगों को यह आश्वासन देती है कि पानी देंगें लेकिन दूसरी तरफ उनको पानी नहीं मिलता है । यदि अपने पास से साधन खड़ा करना चाहता है तो उसको भी ट्यूबवेल बनाने की इजाजत नहीं दी जाती है । जब आप स्वयं पानी नहीं देते तो जो नया ट्यूबवेल बनाना चाहता है, खुद पैसा लगा कर बनाना चाहता है तो उसको भी इनकार कर दिया जाता है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ ट्यूबवेल्स पहले से ही बने हुए हैं लेकिन उनको चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। चाहे दो चार खेतों की वहां पर सिंचाई हो जाय लेकिन तमाम खेतों की सिंचाई नहीं होती है। यदि काश्तकार प्राइवेट ट्यूबवेल से पानी लेना चाहता है तो उस को भी मना किया जाता है। यह ऐसी बात है कि जिससे काश्तकार का नुकसान होता है। सरकार को सिंचाई के ऐसे साधन जुटाने चाहिये जिससे काश्तकार का नुकसान न हो। काश्तकार जहां से पानी लेना चाहते हैं उनको वहां से पानी नहीं दिया जाता है। कई स्थानों पर ऐसा देखा गया है कि सरकार से ऋण लेकर लोगों ने ट्यूबवेल बनाये और उनको भी कमान्ड ऐरिया में आने के बाद चलाने नहीं देते हैं । फरुखाबाद मे अनेक स्थानों पर ट्यूबवेल बने हैं। आस-पास की जमीन बहुत उपजाऊ है। वहां पर हर एक खेत पर पहले से ही कुंये थे और आज सरकार ने अपने ट्यूबवेल्स बनाये हैं । वहां आलू की काश्त होती है । तीसरे-चौथे, पांचवें दिन उसमें पानी की आवश्यकता होती है । परन्तु सरकार उन खेतों को पानी नहीं दे पाती । इसलिये वहां उन ट्यूबवेल्स की कोई उपयोगिता नहीं है । इस क्षेत्र के बजाय ऐसे अनेकों क्षेत्र पड़े हैं जहां ट्यूबवेल्स से अधिक लाभ हो सकता था और वहां के लोगों ने उसकी मांग भी की कि हमारे यहां ट्यूबवेल्स लगने चाहिये । लेकिन सरकार ने देखा कि पता नहीं पानी यहां आसानी से मिले या न मिले, स्ट्रैटा कहां जाकर मिले, तो ऐसी जगह लगाओ जहां आसानी से पानी मिल जाय और यह कहने को भी हो जाय कि हमारी योजना सफल रही। इसलिये यह न देखते हुये कि कहां ट्यबवेल लगाने से अधिक लाभ

[श्री दयाराम]

होगा, कहां उससे लाभ नहीं होगा ऐसे स्थानों पर ट्यूबवेल लगाये गये कि जहां पैसा अधिक लगा और जितने लोगों को उससे पानी मिलना चाहिये था उतने लोगों को पानी भी नहीं मिला।

इसके अलावा इन ट्यूबवेल्स में बड़ी धांधली चलती है। आपरेटर्स बड़ी शैतानी करते हैं। मनचाहे व्यक्तियों को वह पानी देते हैं। उन्होंने अपना रेट बना रखा है। जिससे उन्हें कुछ धन मिल जाता है उसे पानी दे देते हैं, एक दो या तीन रुपया इस तरह कुछ उन्होंने बना रखा है, जब यह उन्हें प्राप्त हो जाता है तभी पानी देते हैं। आज आप उनको देखें और उनके रहन-सहन के स्तर को देखें तो स्पष्ट हो जायगा कि वह व्यक्ति जो ६०, ७० या ८० रुपये पाने वाला है उसके रहन-सहन का स्तर ऐसा है जो गजेटेड अफसर का भी न होगा। यह सब होते हुये भी और अनेक शिकायतें इसकी होने पर भी सरकार की ओर से इसके निराकरण का कोई उपाय नहीं किया जाता। जो साधारण गरीब काश्तकार उनको पैसा नहीं दे पाता उसको पानी नहीं मिलता, चाहे उसकी जमीन ट्यूबवेल के कितने ही पास क्यों न हो, चाहे उसको स्वयं की जमीन ही उसकी नाली में या सड़क में क्यों न चली गई हो, उसको पानी नहीं मिलता और पानी न मिलने की वजह से फसल सूखती रहती है। कई स्थानों पर ऐसा होता है कि जिन काश्तकारों के पास पैसा रिश्वत देने के लिये नहीं होता उनके खेतों तक नालियां नहीं पहुंचतीं। वहां नालियां न ले जाकर ऐसे स्थानों पर ले जायी जाती हैं जहां पर कि काश्तकार अधिक पैसा रिश्वत दे देते हैं। इस तरह अधिकारियों को पैसा देकर उनका सहयोग प्राप्त कर लेते हैं और उनके खेतों तक नालियां पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ जो पैसा नहीं दे पाते, उनके यहां नालियां नहीं पहुंच पातीं। इस तरह जिस उद्देश्य के लिये यह ट्यूबवेल्स बनाये जाते हैं वह उद्देश्य उसका पूरा नहीं होता और अनेकों तरह का भ्रष्टाचार उसमें चलता है।

जैसा विरोधी दल की तरफ से बार-बार कहा गया छोटी-छोटी योजनाओं को नहीं लिया जाता। आज से चार साल पहले माननीय लालबहादुर शास्त्री फर्रुखाबाद आये थे। वहां उन्होंने पब्लिक भाषण में बिलकुल स्पष्ट रूप से मान लिया था कि सरकार ने बड़ी-बड़ी योजनायें अपने हाथ में ले रखी हैं, छोटी-छोटी योजनाओं को वह अपने हाथ में नहीं लेती। छोटी योजनाओं को ले तो उससे ज्यादा लाभ नहीं हो सकता है। छोटे-छोटे ताल, पोखरे वगैरह जिससे कि सिंचाई होती थी यदि उसको सरकार पुनः चालू करे तो एक तो जो बाढ़ें आती हैं, वह कम आवें, सारा बरसात का पानी नदियों में भागता है, वह रुक सकता है, बाढ़ रुक सकती है और दूसरी तरफ जो पानी उनमें इकट्ठा होगा उसे उनके आसपास के खेतों में आसानी से पानी पहुंच सकेगा। ऐसे छोटे-छोटे साधनों में पैसा थोड़ा खर्च होगा और फायदा ज्यादा होगा। इसलिये सरकार को छोटी-छोटी योजनाओं को हाथ में लेना चाहिये और कम पैसा खर्च करके अधिक से अधिक लोगों को सुविधायें देने की कोशिश करनी चाहिये। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है इसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा है मैं तो इसको अपना कर्तव्य समझता हूं कि इस विभाग के इंजीनियर्स और दूसरे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको बधाई दूं। मैं इस बात से आंख बन्द नहीं कर सकता, और हमारे सम्मानित सदस्य भी इस बात को जानते हैं और यही सही बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहिले इस उत्तर प्रदेश के केवल कुछ जिले ऐसे थे जहां पर सिंचाई के साधनों का प्रबन्ध था। प्रान्त में कुछ भाग ऐसे थे जहां सिंचाई के साधनों का नाम तक-नहीं था। मैं अपने पूर्वी जिलों की बात कहता हूं कि जब हम लोग अधिकारियों से इन साधनों के बारे में कहते थे तो वे उत्तर देते थे कि न तो वहां ट्यूबवेल लग सकते हैं, न नहरें बनाई जा सकती हैं। आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं जिलों में नहरें और ट्यूबवेल दोनों चल रहे हैं।

माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम भी मानते हैं लेकिन यह रुके कैसे? हमारे यहां एक मीटिंग हुई थी, यह मैं सम्मानित सदस्यों की जानकारी

के लिये कह रहा हूं। उसमें कहा गया था कि हाहा बांध पर जो आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में है, जिसका कुछ भाग बलिया जिले में है, कर्मचारियों ने हजारों बोरी सीमेंट का ब्लैक किया है। जब फिर पूछा गया तो लोगों ने बतलाया कि बहुत-सी बोरियों का ब्लैक कर लिया गया है। मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी को लिखा और जांच करने के लिये सुपरिन्टेन्डिंग इंजियिनर यहां से भेजे गये। मैं भी उनके साथ-साथ गांव-गांव घूमा और कार्यकर्त्ताओं ने जिन लोगों के नाम दिये कि फलां-फलां आदमी ने ब्लैक से लिया है उनमें से एक भी आदमी नहीं मिला जो यह स्वीकार करे और कहे कि उसने ब्लैक से सीमेंट खरीदी है। मैं सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सदन के अन्दर यह कह करके कि भ्रष्टाचार है हमारे कर्तव्यों की पूर्ति नहीं हो जाती, और क्या यह उनका पुनीत कर्त्तव्य नहीं है कि उन बातों का सही पता लगावें, और जो व्यक्ति ब्लैक मार्केटिंग करता है, अथवा किसी तरह का भ्रष्टाचार करता है उसके विरुद्ध कार्यवाही के लिये लिखें ? कौन इससे इन्कार करेगा कि भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन भ्रष्टाचार का सही पता लगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह व्यक्ति दंडित होगा और लोग दंडित हुये भी हैं। सत्य बात यह है कि सिंचाई विभाग में काफी प्रगति हुई है उसका पता जो यह पुस्तिका, जो हमें दी गयी है उसको देखने से पता चल जाता है। हमारी सिंचाई की योजनाओं में काफी सफलता हुई है। जो भी उसकी शक्ल है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं।

अब मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। मेरे जिले आजमगढ़ में दोहरीघाट और टांडा दो नहरें हैं। दोनों के कमांड में ऐसे क्षेत्र अभी बहुत हैं जिनमें अभी विस्तार की गुंजायश है। शाखायें दर शाखायें खोलने की आवश्यकता है लेकिन नहीं खोली जाती हैं। नहरों से जहां २, ४ फर्लांग की दूरी पर जनता को सिंचाई के साधन दिये जा सकते हैं वे भी नहीं दिये जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात को देखें और इसे ठीक करने का प्रयास करें।

ट्यूबवेल्स के बारे में निवेदन करूंगा। ट्यूबवेल्स हमारे जिले में बने हैं लेकिन कुछ एरिया ऐसा है, जिसका जिक्र माननीय झारखंडे राय जी ने भी किया है, जो कमांड एरिया कहा जाता है लेकिन उस एरिया में सिंचाई का पूरा प्रबन्ध नहीं हो पाया। उन स्थानों पर ट्यूबवेल्स और देने की आवश्यकता है।

ऐसी भी शिकायतें हैं जैसे कई स्थानों पर ट्यूबवेल्स की नालियां पहले थीं और अब वे बन्द कर दी गयी हैं। इस बात का प्रबन्ध होना चाहिये कि वे नालियां खोल दी जायं। इतना ही नहीं जहां-जहां पानी पहुंचाने की सुविधा न हो, जहां ट्यूबवेल्स से ही पहुंचाया जा सके वहां पर नल ट्यूबवेल बनाकर पानी देने का प्रयास होना चाहिये।

एक सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि हमें छोटी योजनाओं को अपनाना होगा। सही बात है कि ट्यूबवेल्स हम कितने बनवा दें लेकिन इतना स्पष्ट है कि ट्यूबवेल्स हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनायेंगे उनसे हम सारे क्षेत्र में सिंचाई नहीं करा सकेंगे। फिर हम क्या करें ? सिंचाई का प्रबन्ध आवश्यक है क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यदि सिंचाई का समुचित प्रबन्ध हो जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारी खेती की समस्या, अन्न के अभाव की समस्या तत्काल हल हो जायेगी, यदि हम इन छोटी छोटी योजनाओं की ओर ध्यान दें। कच्चे कुयें बनाये जायं और पक्के कुयें बनाये जायं। जैसा कि झारखंडे राय जी ने कहा है, वह बिलकुल सही है कि जो पुराने कुयें खराब हो गये हैं, उनकी मरम्मत करानी चाहिये। जिस समय प्लानिंग कमेटी बैठी थी तो उस के सामने यह बात रखी गयी तो उस में कहा गया कि कुंओं की मरम्मत के लिये पैसा नहीं है। श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि जो पुराने कुंयें हैं, उन की मरम्मत अवश्य करायी जाय। जो पुराने सिंचाई के साधन हैं, उन के सुधारने में अधिक से अधिक रुपया खर्च किया जाय। पहले बहुत-सी जगहों पर ताल और बंधिया हुआ करते थे, जिस से पानी एक तरफ को रुक जाता था, जो एक रिजर्वायर का काम देता था। जो बंधियां बांधी जाती थी, उस से

[श्री बृजविहारी]

पानी एक स्थान पर जमा हो जाता था, जो सिंचाई के काम में आता था । आज हम देख रहे हैं कि फसलों को ठीक से पानी न मिलने के कारण खेत सूख रहे हैं, जनता को प्रेरणा मिलनी चाहिये । जनता आज इस काम के लिये श्रमदान करने को तैयार है, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये और साथ ही कुछ रुपया भी उन्हें मिलना चाहिये । मैं समझता हूं कि इस प्रकार से यह काम बहुत आसानी से हो सकता है और हमारी अन्न की समस्या आसानी से हल हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि लाल रोशनी भी सामने हो गयी है, माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें, ताकि यह समस्या शीघ्र हल की जा सके ।

*श्री मुमताजमुहम्मद खां (जिला लन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय झारखंडे राय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और अपने चन्द ख्यालात का इजहार आप की खिदमत में करना चाहता हूं । सिंचाई का मसला हमारे देश में एक बहुत बड़ा मसला है । हमारे देश के किसानों की बहबूदी, खुशहाली का दारोमदार इसी पर निर्भर है । आज अगर हम अपने देश के किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं, उनकी अच्छी हालत देखना चाहते हैं, तो हमें इस मसले पर पूरे तरीके से ध्यान देना होगा । अगर हम इसको भूल जाते हैं और कमियों को दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे किसानों को बहुत हानि पहुंचेगी और उनकी जिन्दगी में वह खुशहाली पैदा नहीं हो सकती है, जिसकी हम सब तमन्ना करते हैं, जिसके लिये हम सब अरमान लिये बैठे हैं । वक्त पर पानी मिलने से किसानों की फसलें लहलहा उठती हैं और फसलों के साथ ही साथ उनके दिल भी लहलहा उठते हैं । मैं समझता हूं कि अगर फसलों को सही वक्त पर और सही तरीके से पानी मिलेगा तो पैदावार अच्छी होगी । किसान बहुत मेहनत करके भी अपनी जमीन को जोतता है, उसमें तरह-तरह की खाद डालता है । अगर उस को समय पर पानी नहीं मिलता है, तो वह बहुत मायूस हो जाता है । जिस वक्त उसको पानी की जरूरत होती है उस वक्त उसको पानी नहीं मिलता है । खेत के पास अगर नहर भी है, यह ट्यूबवेल है, लेकिन किसी से भी वक्त पर पानी नहीं मिलता है । नहरों से ठीक वक्त पर पानी मिलना चाहिये, ताकि पैदावार अच्छी हो । हमारी बड़ी-बड़ी सिंचाई की योजनायें हैं, छोटी-छोटी योजनायें हैं, दरमियानी योजनायें भी हैं । सिंचाई के लिये जो हमारी योजनायें हैं, जब हम उन योजनाओं का खयाल करते हैं, तो हमारा दिल खुश हो जाता है, कि जब इन योजनाओं को सफलता मिलेगी तो बहुत बड़े रकबे को पानी की सुविधा हो जायगी । इस बात को भी देखने की जरूरत है कि जो सिंचाई के साधन हमारे पास इस समय हैं उनका कार्य कैसा है और वह किस तरह से काम कर रहे हैं और किस हालत में हैं, जो सरकारी ट्यूबवेल और नहरें हैं उनकी क्या दशा है । आया जो ट्यूबवेल और नहरें हमारे पास हैं, वे सही तरीके से किसानों को पानी पहुंचा रही हैं या नहीं । इसका जवाब उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास है, आप मेरे साथ गांवों में चलें, वहां के किसानों से पूछें, तो किसान यही कहेंगे कि इन ट्यूबवेल्स से हमारे पास सही तरीके से पानी नहीं पहुंच रहा है, इन नहरों से हमारे पास पानी नहीं पहुंच रहा है और इस तरह से पानी की कमी के कारण हमारे यहां उतनी पैदावार नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिये । यह बड़े दुख की बात है कि आजादी होने के बाद भी हमारी यह हालत है जब कि हमें यह उम्मीद थी कि हमारी नहरें और ट्यूबवेल हमें पानी देंगे और सिंचाई विभाग हमारे साथ पूरी तरह से इंसाफ करेगा । आज इन्साफ नहीं हो रहा है बल्कि नाइन्साफी हो रही है । आज अगर ट्यूबवेल्स को देखें तो पता चलेगा कि हमारे यहां कितने ट्यूबवेल्स खराब हैं जबकि आज हमारे सामने सैकड़ों नये ट्यूबवेल्स बनाने की योजना है, लेकिन हम यह नहीं देख रहे हैं कि हमारे पास पहले जो ट्यूबवेल्स थे, उनमें से कितने खराब हालत में पड़े हैं । कितने ही ट्यूबवेल्स की नालियां टूटी पड़ी हैं, और कितने ही ट्यूबवेल्स की मशीनें जल गई हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह ठीक नहीं हो पाई हैं। कई जगहों पर ट्यूबवेल्स के आपरेटर्स गैरहाजिर रहते हैं, वह बेकार पड़े हुये हैं इसी तरह से कई नहरें हैं जो कि सही तरीके से किसानों को पानी नहीं पहुंचा पाती हैं, वह यदि खराब हो जाती हैं, तो महीने भर तक उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं पहुंचता है। इन नहरों में पानी का रेगुलेशन भी गलत तरीके से होता है, क्योंकि उनमें कोई अधिकारी मेहनत नहीं करता है। उनके लिये सही नक्शा नहीं बनाया जाता है। इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सिंचाई विभाग के उन इन्जीनियर्स पर आती है, जिनका कि इससे ताल्लुक रहता है। अंग्रेजों के जमाने में, जब कि अंग्रेज हाकिम होते थे, तो विदेशी होते हुये भी, वह जब इन नहरों और ट्यूबवेल्स का इंसपेक्शन करते थे, तो अच्छी तरह से इनकी देखभाल कर लेते थे और उसमें जो खामियां रहती थीं, उनको दूर करते थे, लेकिन आज जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे यहां के इंजीनियर्स हैं, वे कोठियों में बैठकर ही अपना दौरा पूरा कर लेते हैं और वहीं से रिपोर्ट लिख देते हैं। उन्हें हमारे यहां के किसानों का कोई खयाल नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपने आराम का खयाल है। वह यह नहीं देखते हैं कि हम किस तरह से अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने यहां के लोगों को गरीब बना रहे हैं, उनको कमजोर बना रहे हैं। वह तो कोठियों के अन्दर बैठ कर हुक्म लिख लेते हैं और यह नहीं देखते हैं कि हमारे यहां के ट्यूबवेल्स और नहरें किस हालत में पड़ी हुई हैं। हमारे यहां जो कुलाबे बने हुये हैं वह या तो बहुत ऊंचे हैं या बहुत नीचे हैं। जब किसान को अपनी सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलता है, तो वह मजबूर होकर दूसरी हरकतें करता है, वह नहरों से पानी चोरी करता है। रबर के पाइप के जरिये से वह पानी की चोरी करता है और मजबूर होकर इसके लिये दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करता है।

इसके साथ-साथ में थोड़ा-सा समय और लेना चाहूंगा और सदन के सामने दो, चार सुझाव रखना चाहता हूं। आज नहर के इंजीनियर्स को सुधारने का प्रश्न हमारे सामने है। उनको चाहिये कि सही तरीके से अपना काम करें जिससे किसानों के पास तक पानी पहुंच सके। इसके साथ ही साथ में कुछ और भी सुझाव देना चाहता हूं। जैसे बहुत से ट्यूबवेल्स के मोटर जल जाते हैं और उनको ठीक होने में १०, १५ दिन लग जाते हैं, तो इतने समय के लिये जो इन्तजाम होना चाहिये उसके लिये मेरा सुझाव है कि कुछ इलेक्ट्रिक मोटरें रिजर्व तौर पर इनको रख लेना चाहिये और यदि कोई मोटर जल जाय, तो उसे तुरन्त बदल दिया जाय जब तक कि वह दुबारा ठीक हो। इससे काम में नुकसान नहीं होगा। इसके साथ मेरा यह भी सुझाव है कि जो कुलाबे लगाये जायें, वे सही तौर से लगाये जायें उनका दबाव सही हो जिससे कि किसानों को ठीक तरह से पानी दिया जा सके।

मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं। चकबन्दी से हमारे यहां के आबपाशी को नुकसान पहुंचा है। चकबन्दी में जो चक बनाये जा रहे हैं, तो कहीं कहीं ऐसा है कि नहर की या ट्यूबवेल की नालियां बीच में निकली हुई हैं और इस तरह जिनके पास, वह चक होते हैं वह उन नालियों को तोड़ देते हैं और इस प्रकार वह नालियाँ खत्म हो जाती हैं। आबपाशी के जराये खत्म हो जाते हैं। सरकार चकबन्दी के मुहकमे से यह गुजारिश करे कि वह ऐसे चक बनायें कि आउटलेट चक की मेड़ पर हो जिससे कि आबपाशी ठीक तरह से हो सके और किसान उन नालियों को न तोड़ सके। इस तरह से मुझे मालूम हुआ कि चकबन्दी की वजह से आबपाशी को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ट्यूबवेल्स के और नहर के दोनों के आउट लेट्स को नुकसान पहुंच रहा है।

इसके अलावा जो नहरों की सर्विस रेट्स हैं उनको पक्का बनाये जाने की योजना बननी चाहिये। उनकी मरम्मत करने में बहुत लागत आती है और जनता के लिये फायदेमन्द साबित नहीं होती। उन पर केवल नहर विभाग के लोग ही चल सकते हैं। अगर पक्का बना कर जनता के लिये खोल दिया जाय तो बहुत से इलाकों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो जायगी और उन्हें नयी जिन्दगी मिल सकती है। नहरों की पटरियों की मरम्मत हर साल

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

होती है और उनमें ओवरसियर और ठेकेदार बहुत सा पैसा खा जाते हैं इसलिये भी पक्का किया जाना चाहिये। इसके साथ-साथ नहर के साथ-साथ जो टेलीग्राफ और टेलीफोन हैं उनको भी जनता के इस्तेमाल के लिये खोल देना चाहिये ताकि जनता उनसे लाभ उठा सके।

*श्री दीनदयाल (जिला बांदा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के विषय में जो साहित्य सरकार की ओर से प्रसारित हुआ है उसे मैंने पढ़ा है। यह ठीक है कि सिंचाई के साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, किन्तु वह वृद्धि उन्हीं स्थानों में हो रही है जहां पर्याप्त बारिश होती है अथवा जहां नहरें अधिक हैं। जहां कुछ नहीं है उन इलाकों पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। प्रकृति कुछ ऐसी है कि बंगाल का मानसून हिमालय से टकरा कर उसकी तराई में बरस जाता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वहां बहुत से स्थान चेरापूंजी और महाबलेश्वर बने हुये हैं और अगर कभी पानी की कमी हुई तो उन स्थानों के लिये पर्याप्त नहरें हैं, लेकिन मैं बांदा जिले के करवी क्षेत्र का निवासी हूं, वहां बारिश बहुत कम होती है इसलिये कि हिमालय से टकरा कर आते-आते मानसून वहां तक समाप्त प्राय हो जाता है। वैसे बुन्देलखंड में बबेरू, नरैनी, बांदा आदि में सिंचाई के साधन हैं, अतर्रा धान की बड़ी मंडी है, लेकिन मेरे क्षेत्र में सब ऊबड़-खाबड़ पड़ा हुआ है। उसी जगह चित्रकूट है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम चन्द्र भगवान ने अपना समय बिताया था, लेकिन वहां किसी प्रकार के सिंचाई के साधन नहीं हैं। रहीमदास जी ने कहा है कि जिस पर विपदा पड़ती है वही चिल्लाता है, लेकिन अगर हमही लोग विपद में पड़े हुये हैं तो हम माननीय सदस्यों का स्वागत कैसे कर सकते हैं? मैं आमन्त्रित करता हूं सदन के अन्य माननीय सदस्यों को वे आकर उस क्षेत्र का अवलोकन करें और मुझे विश्वास है कि उन्हें वहां की दशा देख कर दुख होगा। वहां लोग पुराने कपड़े और गागरें बेच कर अपना किसी प्रकार गुजर-बसर करते हैं और सन १९५८ में जब कहत पड़ा तो यह सही बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि सैकड़ों मन गल्ला बांदा जिले में मौजूद था मगर लोग जो गरीब थे भूखों मर रहे थे और बड़े-बड़े आदमियों को जो एक रुपये का एक रत्ती अनाज खरीद सकते थे उनको पर्याप्त मात्रा में गेहूं मिलता था। गरीब लोगों को एक एक दिन और दो-दो दिन तक रोटी नहीं मिलती थी। मैं माननीय श्री झारखंडेराय तथा शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं उन सुझावों के लिये जो उन्होंने रखे हैं और सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार आदि को रोकने तथा सिंचाई के साधन बढ़ाने के बारे में जो उन्होंने बातें कही हैं उनका मैं आदर करता हूं। मैं कुछ नहीं चाहता, मगर यू० पी० के अन्तर्गत अगर एक प्रतिशत भी हमारे यहां कार्य हो जाय तो उससे हमारे यहां लोगों को काफी राहत मिल सकती है और उत्पादन बढ़ सकता है। हमारे यहां जमीन ऊबड़-खाबड़ होने के कारण और सिंचाई के साधन न होने के कारण उत्पादन बहुत कम है और अगर उस ओर ध्यान दिया जाय तो उत्पादन काफी बढ़ सकता है।

इसके लिये मैं यह सुझाव दूंगा कि मेरे यहां देवांगना बांध अवश्य बना दिया जाय। वह एक भारी तीर्थ-स्थान है और वहां पर बांध बनने से हमारी काफी परेशानी दूर हो सकती है। बहुत-सी इमारतें होने के कारण वह एक रमणीक स्थान बना हुआ है। यहां पर बांध काफी सस्ते में बन जायगा क्योंकि वहां पर दो ओर तो दीवारें प्राकृतिक ही हैं।

श्रीमन्, मैं इस बात के लिये सिंचाई मन्त्री का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कहा है कि वे चल कर उस स्थान को वहां देखेंगे। यह मेरा अहोभाग्य होगा यदि वे वहां चलें और उसको देखें। मैं यह भी बताऊं कि अनुसूया बांध भी बनाया जा रहा था और उसकी स्कीम स्वीकार हो गई थी, किन्तु दुर्भाग्य है कि उसे फिर बन्द कर दिया गया। किन्तु मैं चाहूंगा कि सरकार देवांगना बांध बनाने के लिये अवश्य अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि मेरे क्षेत्र में अधिकांश गांव जलमग्न हो रहे हैं और लोगों की जमीन डूब रही है। वहां के लोगों को उचित मुआवजा देकर सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिये।

एक सुझाव और है मेरा और वह यह कि हमारे यहां गणेशबाग एक ऐसा स्थान है जहां पर काफी प्राकृतिक जल है और वहां पर एक छोटा-सा इंजन लगा दिया जाय तो उससे काफी सिंचाई हो सकती है। वहां बाउली ऐसी बनी है कि उसके ७ खंड हैं और काफी वहां पानी है, वहां बड़ी-बड़ी स्कीमें आप बनाते हैं, उसे मैं नहीं मानता।

इसलिये माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा के सुझावों पर ध्यान दिया जाय और ऐसे अधिकारियों को शामिल किया जाय जो इन बातों की रोक-थाम कर सकें। सीमेंट-बालू का एक और तीन का रेशियो होता है, अगर एक और दस का रेशियो कर दिया जाय, तो शीघ्र ही वह चीज टूट जाती है। इन शब्दों को रखते हुये मैं आशा करूंगा कि करवी का क्षेत्र जहां कि लोग दुखी जीवन बिता रहे हैं, उसकी ओर सक्रिय कदम उठाये जायंगे।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सिलसिले में जो बहस इस आदरणीय सदन में चल रही है उससे ऐसा लगा कि केवल एक ही जिले में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अनेक ऐसे जिले हैं जहां पर सिंचाई की जो व्यवस्था या नीति अपनाई गई है, नलकूपों या नहरों के सिलसिले में उसमें पक्षपात ज्यादा होता है। कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिलों के सम्बन्ध में नलकूपों की व्यवस्था की बाबत यहां पर जिक्र किया और यह कहा कि नलकूप उन स्थानों पर बनाये गये हैं जहां पर सिंचाई की कोई जरूरत नहीं थी और उन स्थानों पर आजतक नलकूप नहीं बनाये गये जहां पर सिंचाई की बहुत अधिक जरूरत थी। अगर इस बात पर ध्यान दिया जाय तो मालूम होता कि इस सम्बन्ध में सरकारी नीति या बनाने वाले इंजीनियरों की नीति पक्षपातपूर्ण रही है। इसी सिलसिले में मैं बलिया जिले का जिक्र करता हूं जहां पर कि एक बलिया-बैरिया बांध बना है। अगर इंजीनियरिंग नजरिये से देखा जाय तो उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके बनने से एक तरफ के रहने वाले करीब-करीब दो लाख की आबादी बाढ़ में जलमग्न हो जाती है और उसकी दूसरी तरफ ७-८ नलकूप बने हुये हैं, उससे एक बीघे की भी सिंचाई नहीं होती। वह बिल्कुल बेकार पड़े हुये हैं आजतक। यदि उसकी जांच करा ली जाय तो माननीय मन्त्री जी और सिंचाई विभाग के लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं कि उनसे आजतक सरकार को कितनी रकम प्राप्त हुई है। उसी तरीके से उस जिले के दूसरे क्षेत्र में आप देखें जहां पर सिंचाई की अधिक जरूरत है अगर वहां पर साधन मुहैया किये जांय तो पैदावार बढ़ सकती है। रेवती क्षेत्र और सरजू का इलाका है जहां पर सिंचाई साधनों के उपलब्ध करने से पैदावार बढ़ाई जा सकती है परन्तु वहां पर एक भी नलकूप या नहर की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही साथ नलकूप ऐसी जगहों पर बनाये गये हैं जहां पर पानी का चढ़ाव आस-पास की जगहों पर नहीं हो पाता। इससे मालूम होता है कि वहां के स्थिर स्वार्थ के लोगों ने सिंचाई विभाग में सिफारिश करके कि मेरे गांव के पास नलकूप बना दिया जाय भले ही वह नीची जमीन क्यों न हो। और अगर इंजीनियर के पास शिकायत की जाती है कि इसका पानी आस-पास की जगहों पर नहीं जाता, हमारे यहां दो तीन नलकूप सुनौली-जगदीशपुर में ऊपर पानी नहीं जाता, केवल दस-पन्द्रह एकड़ में ही रह जाता है, नाली से पानी ऊपर चढ़ नहीं पाता। साथ ही साथ नलकूपों की नालियां इस ढंग से बनाई गईं जिससे आज दो-तीन साल के बाद वह बेकार हो गईं क्योंकि उनमें भ्रष्टाचार और चोरी का सिलसिला रहा। सीमेंट चोर बाजार में बेच दी गई। पक्की नालियां बनीं वह उखड़ कर नष्टभ्रष्ट हो गईं। सरकारी पक्ष से बोलते हुये माननीय मिश्र जी ने कहा कि सिंचाई में भ्रष्टाचार है, इसकी जिम्मेदारी

[श्री काशीनाथ]

किस पर है? कौन भ्रष्टाचार करता है? मैं बहुत ही सफाई के साथ आदरणीय सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार के अन्दर भ्रष्टाचार चल रहा है उसका केवल एक ही सिद्धान्त है कि जो जितनी ही बड़ी कुर्सी पर है वह उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार चला रहा है। यहां पर मन्त्रिगण के यहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है, पक्षपात और सिफारिशें शुरू होती हैं। ऐसी जगहों पर ऐसे नलकूप क्यों बनाये जा रहे हैं? ८-८,१०-१० नलकूप बने हैं, लेकिन एक से भी सिंचाई नहीं होती है। इसके माने यह हैं कि भ्रष्टाचार सरकार से शुरू होता है, इसकी जिम्मेदारी साधारण लोगों पर नहीं है। जो जितना ऊंचा अधिकारी है वह उतना ही अधिक भ्रष्टाचारी है।

इस रिपोर्ट में मथुरा जिले के माठ क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। इसकी खबर बिल्कुल गलत है। रिपोर्ट में ९० कुओं का जिक्र किया गया है। लेकिन अगर जांच की जाय तो एक कुआं भी बना हुआ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से सरकार के पास जिस प्रकार के आंकड़े आते हैं वे ठीक नहीं होते। सारे भारतवर्ष में कुल कृषि भूमि के पांचवें भाग में ही सिंचाई है। इसी प्रकार से भारतवर्ष में ३० करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती है जिसमें से केवल ५ करोड़ एकड़ ही सिंचित है यानी २५ करोड़ असिंचित है। उत्तर प्रदेश में लगभग ५ करोड़ एकड़ भूमि में केवल १ १/२ करोड़ पर सिंचाई हो पायेगी यदि तृतीय पंचवर्षीय योजना सिंचाई पर पूरी हो गई।

हमारे यहां आजकल कोई बड़ी-बड़ी नहरें नहीं बनीं। अंग्रेजों के जमाने में बड़ी-बड़ी नहरें बनीं थीं। आजकल तो केवल नहरों की बच्चियां बनाते हैं। इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। आजमगढ़ में दोहरी कैनाल की शाखा है जिससे आजमगढ़ और बलिया में सिंचाई होती है। उसका आखिरी सिरा बलिया में है वहां पानी नहीं पहुंचता। बलिया में सुरहा ताल से कैनाल निकल सकती है, लेकिन उससे भी किसानों को पानी अभी नहीं मिल पाता। इसलिये सरकार को ठीक प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिये।

बहुत से ऐसे नलकूप हैं जिनको १-२ साल भी नहीं हुये लेकिन बन्द पड़े हैं और नीचे धंस रहे हैं, दरारें उनमें पड़ गई हैं। जो नलकूप बेकार हैं उनको वहां से उखाड़ कर उन जगहों पर लगा देना चाहिये जहां उनकी अधिक आवश्यकता है। इनके ऊपर जो ७०—७५ करोड़ रुपया खर्च हुआ अगर उतना ही रुपया छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया जाता तो ४०—४५ प्रतिशत भूमि में सिंचाई हो जाती। इसके अलावा पीने के पानी का काम भी इन नलकूपों से नहीं लिया गया है। हर नलकूप पर एक टंकी बना कर गांव-गांव में आपको पीने का पानी देना चाहिये। इससे पीने के पानी का सवाल हल भी हो जाता। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस योजना को लागू करे और पीने के पानी का प्रबन्ध करे। जहां नलकूपों की आवश्यकता नहीं है वहां के लिये एक जांच कमेटी बैठायी जाय और वहां से उखाड़ कर आवश्यकता के स्थान पर उनको लगाया जाय। ऐसा मालूम होता है कि सिंचाई विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है, ऊपर से लेकर नीचे तक। किसानों का गला काटा जाता है। पतरौल, आपरेटर तक बिना पैसे के किसान से बातें नहीं करता। हर कदम पर इस विभाग में उच्छृंखलता बढ़ गई है और मैं आपसे यह भी अर्ज कर दूं कि अगर सिंचाई मन्त्री जी इस विभाग की तरफ ध्यान दें तो वे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पूरी तरह से सारे प्रदेश की जो सिंचाई योजनायें हैं उनमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है और बड़े-बड़े बांध व बड़ी-बड़ी योजनाओं के बजाय हिन्दुस्तान के गांव-गांव को सिंचित करने के लिये एक-एक इंच भूमि को पानी पहुंचाने के लिये छोटी-छोटी योजनाओं को कार्यान्वित करना बहुत आवश्यक है। गांव-गांव में कुयें बनवाने की व्यवस्था की जाय, साथ ही नहरें व छोटे-छोटे तालाब बनवाने की व्यवस्था की जाय।

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री महावीरसिंह का नाम पुकारा। उनके न खड़े होने पर श्री राजनारायण का नाम पुकारा गया।)

श्री राजनारायण (जिला मिर्जापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके विरोध में बोल रहा हूं। श्रीमन, मुझे यह सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ जब कि माननीय झारखंडे राय जी ने कहा कि अहरौरा बांध बह गया..

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—श्रीमन, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। आपने माननीय महावीर सिंह जी का नाम पुकारा और वे माइक पर आ भी गये, फिर भी आपने उनको बोलने नहीं दिया। एक तो यह कि श्री महावीर सिंह का नाम आपको कैसे मालूम हुआ और दूसरी बात यह है कि जब आपने उनका नाम लेकर पुकारा तो फिर आपने उनको सदन के अन्दर क्यों नहीं बोलने दिया? इसपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—बात यह है कि श्री महावीर सिंह जी मेरे पास आये थे तो मैंने उनका नाम लेकर पुकारा, लेकिन वे माइक पर आये नहीं इसलिये मैंने दूसरे का नाम लिया। अगर वे माइक पर आये तो उन्होंने बतलाया ही नहीं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—जब वे माइक पर आये नहीं और खड़े नहीं हुये तो आपकी आंख उन्होंने कैंच कैसे की?

श्री महावीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—श्रीमन्, मैं तो उपस्थित हो गया था, लेकिन मुझे खेद है.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसको साफ कर दूं। यह बात सही है और मैं इसको छिपाना नहीं चाहता हूं कि मैं सब लोगों से परिचित नहीं हूं लिहाजा जब श्री महावीर सिंह मेरे पास आये थे तो मैंने उनको टाइम दिया था इसलिये मैंने उनको पुकारा लेकिन जब मैंने देखा कि वे बोलना शुरू नहीं कर रहे हैं और वे हैं नहीं इसलिये मैंने दूसरे साहब को मौका दिया उनके बोलने के बाद आपको भी मौका मिलेगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—इससे इस प्रश्न का समाधान नहीं होता। मुख्य प्रश्न यह है कि आपकी आई ने कैसे कैंच कर लिया। वे आपके पास आये या नहीं आये, इससे हमें कोई मतलब रहता नहीं, हमें तो मतलब नियमों से है।

श्री उपाध्यक्ष—तो ठीक बात है नियमों से ही तो मैं कहता हूं कि १०–१५ रोज के बाद जब मैं माननीय सदस्यों को जानने लगूंगा तो ऐसी बात नहीं होने पावेगी।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—जब आपने उनको देखा ही नहीं तो उन्होंने आपकी आई कैसे कैंच कर ली जो आपने उनको बोलने के लिये पुकारा?

श्री महावीरसिंह—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उपस्थित हो गया था और माइक पर भी आ गया था।

श्री उपाध्यक्ष—यह हो सकता मैं नहीं देख पाया।

श्री मैनेजर—एक बात मैं निवेदन पर दूं कि अभी हम लोगों को श्रीमान् पहचानते नहीं हैं और विरोधी दल के लोग भी ऐसे बदकिस्मत हैं कि वे श्रीमान् को नहीं पहचानते। तो पहले परिचय हो जाय उसके बाद कार्यवाही प्रारम्भ की जाय ताकि हम एक दूसरे को पहचान जाय।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। आपकी आंख हमेशा विरोधी दल की तरफ रहती है। अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ ही आपकी कुर्सी भी सीधी कर दी जाय तो हम लोगों की तरफ आपकी निगाह पड़ सकती है। ऐसे उधर ही आपकी निगाह ज्यादा रहती है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर एक तरफ से एक साहब बोलते और फिर दूसरी तरफ से दूसरे साहब बोलते तो यह सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी तरफ की कोई बात नहीं है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—माननीय सदस्य यह क्या कह रहे हैं कि श्रीमान की आंख विरोधियों पर रहती है?

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान जो सिंचाई के मुताल्लिक पेश हुआ है उसका अनुमोदन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय सदस्य श्री झारखंडेराय ने भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुये कहा कि अहरोरा बांध बह गया। मुझे अफसोस है उन्होंने जो कुछ कहा उससे मालूम होता है कि उन को वहां की स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं था और इसी वजह से उन्होंने यह शिकायत की उस साल वहां पर लगातार ३ दिन-रात असाधारण बारिश हुई और उस बांध से पानी न रुक सका, क्योंकि नदियों के द्वारा यकायक तमाम पानी वहां पहुंच गया जो पहाड़ पर से आता था उससे थोड़ा बहुत नुकसान उस बांध को जरूर पहुंचा लेकिन वह नगण्य था उसी वक्त जहां बांध का मुहाना था वह खोल दिया गया ताकि बांध को अधिक नुकसान न पहुंच सके। मुझे खेद और ताज्जुब हुआ कि उस मामूली चीज का जिस को अखबारों ने भी छाप दिया था और जिस के बारे में सदन में प्रश्न भी पूछे गये थे तो साफ कर दिया गया था कि नुकसान बहुत कम हुआ है लेकिन उस चीज को आज भ्रष्टाचार के साथ सम्बद्ध करना उचित नहीं है। मैं ने अहरोरा बांध को, जिरगो बांध को और रिहन्द बांध को बंधते हुये देखा और मुझे सब जगह जाने का मौका मिला है। मुझे देखकर ताज्जुब होता था कि किस तरह से दो-दो, तीन-तीन शिफ्ट में रात-दिन लगातार मजदूर और वहां के वर्कर्स और इंन्जीनियर्स सतत प्रयत्न करते थे कि किसी तरह से कार्य कम पैसे में और समय जो निर्धारित था उसके भीतर पूरा हो जाय। आज बजाय इस के कि हम उनकी तारीफ करें और उन को प्रोत्साहन दें उनकी उनको भ्रष्टाचार से सम्बद्ध करते हैं, यह देखकर और सुनकर मुझे दुख और ताज्जुब हुआ।

यह भी कहा गया कि बड़ी-बड़ी योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है और छोटी-छोटी योजनाओं की तरफ तवज्जह नहीं की जाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सरकार ने दोनों ओर बराबर ध्यान दिया है, जहां बड़ी योजनायें कार्यान्वित नहीं हो सकती वहां पर छोटी योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है। बारिश के कारण जहां प्राकृतिक सुविधायें हैं और पानी अधिक है पहाड़ियों से पानी बहता है और एक बड़ा जल भंडार समुद्र मे बिना इस्तेमाल किये हुये बेकार चला जाता है तो क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि ऐसे पानी को सरकार बांधे और उसका प्रयोग सिंचाई के लिये करे। मिर्जापुर में ऐसी प्राकृतिक सुविधायें हैं और वहां का पानी बनारस में और इलाहाबाद मे प्रयोग किया गया है अगर उसको बड़ी-बड़ी योजनाओं पर व्यय न किया जाय तो वह समुद्र में बेकार बह कर पहुंच जायगा, उसको रोक कर जहां जल की सुविधा नहीं है वहां जल देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं अधिक न कह कर अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ बातें सुझाव के रूप में मंत्री जी के सम्मुख रखना चाहता हूं। जिरगो जलाशय से ६४ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है, लेकिन उससे मिर्जापुर में खुद कम लाभ हुआ है और बनारस में ज्यादा लाभ हुआ है। मैं अनुरोध करूंगा कि उसमें से एक माइनर निकाली जाय जो कि जरगो के ११ वें मील से निकाली जा सकती है। इससे ३५ सौ बीघे को जल की आवश्यकता पूरी हो सकती है और २५-३० गांवों को लाभ पहुंच सकता है। यह ३ मील लम्बी नहर बनाई जा सकती है। इसके अलावा धानापुर रजबहे से राल्हपुर माइनर निकाली जा सकती है। अगर्चे यह माइनर १½ मील ४

फर्लांग से ३ मील ४ फर्लांग तक निकाली जा सकती है इससे उस तमाम गांव की आबपाशी हो सकती है। घुरहा नाले में उस माइनर का टेल मिलाया जा सकता है।

एक पथरौरा माइनर है। एक मील उसका क्षेत्र और बढ़ा दिया जाय तो १,६०० बीघे की आबपाशी हो सकती है। इसी तरह से भगवत माइनर है। मिलिटरी रोड़ और रेलवे क्रासिंग से हो कर नहर निकाली जाय तो कम से कम ३० गांवों की आबपाशी हो सकती है। रेलवे क्रासिंग को क्रास न किया जा सके और मिलिटरी रोड को क्रास न किया जा सके तो चुनार से लेकर नारायणपुर तक और रेलवे लाइन और गंगा नदी के बीच मे जितने गांव पड़ते हैं जिनकी बड़ी जरखेज जमीन है वहां पर ट्यूबबेल बनाये जा सकते हैं। पहली योजना में निश्चित परगना में २० ट्यूबबेल तक इन्तजाम किया गया था। लेकिन अब तक केवल ६ ट्यूबबेल बन चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम ९ ट्यूबबेल और लिये जांय।

इसी तरह से कुडवा ताल भुरली परगना क्षेत्र में वाटरलागिंग की समस्या है। गुडई नदी से पानी की निकासी होती है। घुरहा नाला जो गंगा जी में गिरता है उसे कुडवा ताल से कनेक्ट कर दिया जाय। इस तरह से वहां की जो जरखेज जमीन है जिसमें अभी तक ३ मन फसल होती है उसका आउटलेट बन जाने पर १५ से २० मन तक पैदावार बढ़ सकती है। इस तरह से अगर थोड़ा सा रुपया खर्च करने से ७० गांवों का फायदा होता है तो सरकार को अवश्य इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—श्री लोकपाल सिंह....

एक सदस्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि प्रारम्भ से जब से राज्यपाल महोदय का संभाषण हुआ तब से अब तक मैं बराबर अपने विचार व्यक्त करने के लिये उठता बैठता रहा लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं दिया गया। इसलिये आज मैं सदन का त्याग करता हूं।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—एक माननीय सदस्य भाषण करके चले गये तो उनके भाषण के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय को क्या कहना है?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने जिनका नाम लिया है वही तो भाषण देंगे।

श्री लोकपालसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के अनुदान पर कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूं। एक विद्वान का कथन है कि कार्य सम्पादन की शक्ति सामग्री में नहीं मस्तिष्क में होती है। वास्तव में यह बात बिलकुल सही है। बड़े-बड़े चक्रवर्तियों का मुकुट सर्वदा बुद्धिमानों के चरणों पर टिकता रहा और टिकता रहेगा। बुद्धि का मूल्य सामग्री से अधिक है। मैं इस बात को सहर्ष मानने को तैयार हूं कि सरकार के पास सामग्री की कमी नहीं है। सामग्री के आधार पर योजना पर योजना का विस्तार कर रखा है बुद्धि की कमी के कारण। परन्तु वे योजनायें निराधार हैं, मैं सिद्ध करूंगा, विशेषकर सिंचाई की योजनायें। इन योजनाओं का प्रतिफल यह निकला कि देश ऋण से दब गया क्योंकि इन योजनाओं की पूर्ति के लिये हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार को ऋण लेना पड़ा विदेशी सरकारों से और प्रजा सरकार के ऋण से दब गयी है। ऋण से कोई सुखी नहीं हो सकता। घाघ कवि ने कहा है "उधार काढ़ ब्यौहार चलावे छप्पर डारै तारो, सारे के संग बहिनी पठवै तीनों को मुह कारो"। सरकार का ऐसा रवैया चल पड़ा है हर काम को करने का। उसने यह नहीं सोचा कि इसका प्रतिफल क्या निकलेगा। सरकार ने नहरों, बांधों तथा ट्यूबबेल का विस्तार

[श्री लोकपालसिंह—]

किया तभी से नदियों में बाढ़ें आने लगीं। सरकार ने यह नही सोचा कि ऐसा क्यों होता है। केवल बुद्धि की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। जितने तालाब हैं, ट्यूबवेलों के कारण उनका पानी प्रयोग में नही आता। पहले जब तालाबों का पानी सिंचाई के लिये काम में लिया जाता था खाली तालाब वर्षा के दो, तीन पानी रोक लेते थे, वह नदियों में नहीं जा पाता था। लेकिन अब वे बेकार पड़े हुए हैं। यदि इन तालबों का पानी समाप्त हो जाता तो वर्षा के प्रारम्भिक पानी को वह देहात के तालाब अवश्य रोक लेते। अतः जब तक गांवों के तालाबों का पानी समाप्त नही होगा बाढ़ नहीं रुक सकती। इस पानी से गांव वालों को क्या नुकसान है? तालाब में पानी भरा रह जाने से गांव वालों को किसी प्रकार की मिट्टी नहीं मिल पाती, उनके मकानों की लीपा-पोती नहीं हो पाती यही कारण है कि देहात के मकान गिर रहे हैं। छोटे-छोटे तालाबों में मछलियां डालने से गर्मियों में जब उनका पानी उबाल खाता है तो वे मरने लगती हैं और मर कर सड़ने लगती हैं उनकी वजह से जो जानवर उसका पानी पीते हैं उनमें बीमारी फैलती है। हमारी योजनायें शेखचिल्लियों जैसी योजनायें हैं। मुझे पंचतन्त्र की एक कहानी याद आती है। एक सिंहनी के दो बच्चे थे, शिकार में वह एक सरकटे के बच्चे को ले आयी और अपने बच्चे से कहा कि यह तुम्हारा भाई है। जब वह बड़े हुए तो तीनों शिकार मार कर लाने लगे हिरन का और बड़े हुए तो हाथी का शिकार करने चले तो दोनों बच्चों ने कहा, तुम को अब हम साथ नहीं ले जायेगें। उसने कहा क्यों नहीं ले जाओगे? तो सिंहनी ने कहा तुम शूरवीर हो लेकिन उस घर में पैदा नहीं हुये जहां हाथी पछाड़े जाते हैं। वास्तव में यह बुद्धि का काम है। बुद्धि शुद्ध धान्य खाने से होती है वरना सब योजनायें ऐसे ही विफल रहेंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार सिंचाई-भार बढ़ रहा है यह अवश्य आधा कर दिया जाय और इन योजनाओं को सही तरह से पूरा किया जाय।

श्री महावीरसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आखिर आपने मुझे समय दे ही दिया। इस सदन के सम्मुख हमारे सिंचाई मंत्री द्वारा जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में और विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं।

मंत्री महोदय ने आपके सम्मुख अनुदान प्रस्तुत करते हुये एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन पिछली गतिविधियों का किया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने किस-किस स्थान पर सिंचाई का कार्य किया और इस समय क्या किया जा रहा है। मैं आप के द्वारा सदन के सम्मुख अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट करना चाहता हूं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इसमें किसानों की सहूलियत के लिये जितना भी अधिक किया जाय वही हमारे प्रदेश के लिए बेहतर होगा। यदि किसान की हालत सुधरेगी तो हमारे प्रदेश की हालत सुधरेगी। किसान उन चीजों को पैदा करता है जिनके द्वारा हमको केवल खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध नहीं हो पाते, बल्कि वे पदार्थ भी उपलब्ध होते हैं जिनके जरिये हमारे कारखाने और उद्योग-धंधे चलाये जाते हैं। यदि कृषि का कार्य पिछड़ जाता है तो हमारे खाद्य पदार्थों में ही कमी नहीं आ जाती बल्कि हमारे उद्योग धंधों के चलाने में भी कठिनाइयां हो सकती हैं। अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारा किसान जिन आवश्यक पदार्थों को पैदा करता है उनके उत्पादन कराने की ओर हमारी सरकार का विशेष ध्यान हो। यह सभी जानते हैं कि किसान के द्वारा पैदा की हुई चीजों से ही हमारे जीवन का आधार चलता है। यदि खाद्य पदार्थ किसानों के द्वारा पैदा न हों तो चाहे दफ्तरों में काम करने वाले हों, चाहे फौजों में या अन्य स्थानों में काम करने वाले हों खाने का जरिया प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में इस कार्य के लिये किसानों को सिंचाई के पर्याप्त साधन देना अति आवश्यक है।

हां, यह जरूर है कि कुछ आवश्यकताएं विदेशों से चीजें मंगाकर पूरी की जाती हैं, परन्तु केवल विदेशों के ऊपर ही निर्भर रहना कोई आर्थिक नीति का अच्छा संचालन नहीं समझा जायगा। मैं मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करता हूं लेकिन उनके विभाग में बहुत सीकमियां हैं जो माननीय सदस्यों ने पेश की हैं। भ्रष्टाचार के संबंध में ठेकेदार और

ओवरसियरों की बातें कही गई हैं । यह सत्य है कि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है । जितना रुपया इस विभाग को दिया जाता है वह सब हमारे यहां खर्च किया जाय तो काफी उन्नति हो सकती है । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितना रुपया इस विभाग को दिया जाता है उसका बहुत कुछ भाग बीच में ही न जाने कहां चला जाता है ।

श्रीमान् हमारे जिले में एक ट्यूबवेल डिवीजन बुलन्दशहर के नाम से बना हुआ था । उसमें से ३१३ ट्यूब वेल निकाल कर अलीगढ में एक नया डिवीजन खोला जा रहा है । उसका हेड क्वार्टर भी वहीं अलीगढ में बनाया जा रहा है । मैं आप से कहना चाहता हूं कि ४५० ट्यूबेलों में से ३१३ बुलंदशहर में स्थित हैं और उनकी दूरी अलीगढ़ से ७०-८० मील पड़ेगी और बुलन्दशहर से १८-२० मील पड़ती है । इससे सरकारी रुपये का व्यर्थ में अपव्यय होगा । मैंने प्राइवेट तौर पर मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिला दिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है । पुनः आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस मामले को देखें । इससे खर्चा ही नहीं बढ़ेगा बल्कि दिक्कत भी किसानों को होगी । अगर मोटर खराब हो गई तो ८०—९० मील से मोटर जायेगी । इससे बड़ी दिक्कत होगी इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

एक बात की ओर मैं विशेष रूप से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां पर प्राइवेट ट्यूबवेल लगाये जाते हैं तो उसके लिये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो—आब्जेक्शन सर्टीफिकेट लेना पड़ता है । उसके प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत होती है । वे कहते हैं कि उसका रकबा फलां ट्यूबवेल के कमांड में आता है । श्रीमन्, १०-१५ साल ट्यूबवेलों को लगे हुये हो गये और उसके द्वारा एक बीघा जमीन भी नहीं सींची गई । मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ट्यूबवेल के कमांड में ऐसी जमीन को रखने से क्या लाभ है जब कि वहां पर पानी पहुंच ही नहीं सकता है । तो ऐसी सूरत में जो—आब्जेक्शन सर्टीफिकेट देने में क्या हानि हो सकती है अतः नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट उनको मिल जाना चाहिये, ताकि जिन खेतों की आबपाशी पहले नहीं हो पाती थी उनकी आबपाशी आसानी से हो सके ।

दूसरी बात श्रीमान् मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि नालियां जो बनायी जाती हैं वह ऐसी बनायी जाती हैं कि एक-एक साल के अन्दर ही उसकी सीमेंट वगैरह सब वह जाती है और फिर दुबारा उन काश्तकारों की मांग होती है इन नालियों से पानी नहीं लिया जा सकता । उसकी सुनवाई में फिर दो-दो साल लग जाते हैं । नतीजा यह होता है कि वहां उस मात्रा में उससे लाभ नहीं होता जिस मात्रा में कि होना चाहिये । इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी का ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित करते हुए इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अभी माननीय रघुबीर सहाय जी ने इसलिये सदन का त्याग किया कि जबसे यह सदन शुरू हुआ तब से बार-बार उनके उठने पर भी आज तक उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया । तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आप क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और जिनको कि आज तक समय नहीं मिल सका है उन्हें समय मिले ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रयत्न किया जायगा कि जो साहब नहीं बोले हैं उनको पहले मौका दें ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—माननीय मंत्री जी ने सिंचाई विभाग के सिलसिले में जो पुस्तिका प्रस्तुत की है उसको देखने से पता चला कि सिंचाई के लिये जो नहरें

[श्री होरीलाल यादव--]

बनाई गई हैं उनकी लम्बाई बढ़ी है और उनसे जो सिंचित रकबा है वह भी बढ़ा है। परन्तु यह बहुत अच्छा होता अगर माननीय मंत्री जी उस रिपोर्ट में इस बात को बतला देते कि जो सिंचाई का रकबा है उसमें कितने रकबे की फर्स्ट वाटरिंग हुई है कितने की सेकेंड और कितने की थर्ड वाटरिंग हुई है? इससे पता लगाया जा सकता था कि सिंचित रकबा जो बढ़ा है उससे किसान को कितना फायदा हो सका है।

बड़ी-बड़ी योजनायें जो बन रही हैं वह तो बहुत अर्से में और देर में बनकर तैयार होंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मौजूदा पानी के साधन हैं उन साधनों का भी ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जो नहरें और ट्यूबवेल्स हैं उनसे जो पानी मिलता है उसको भी ठीक ढंग से काश्तकार इस्तेमाल नहीं कर पाता है। उसका कारण यह है कि गलत ढंग से नालियों का निर्माण होता है और इसके अलावा जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कुलाबे गलत ढंग से लगाये जाते हैं। कहीं पर तो ऊंचे सतह पर वह लगाये जाते हैं और कहीं पर इतने नीचे रकबे पर लगाये जाते हैं कि जिससे ठीक से पानी कुलावों में नहीं पहुंच पाता है। दूसरा कारण यह है कि ठीक समय पर गूलों और नहर के रजबहों की सफाई नहीं हो पाती है। उसकी वजह यह है कि ठेकेदारों को इसका ठेका देते समय उनके लिये जो वर्क आर्डर होता है उसकी नकल उनको नहीं दी जाती जिससे कि ठेकेदार ओवरसियर और दूसरे अधिकारियों के दबाव के अन्दर रहें और उससे वह मनमाना पैसा वसूल कर सकें। तो माननीय मंत्री जी अपने अधिकारियों को सख्त ताकीद करें कि जो वर्क आर्डर हो उसकी नकल ठीक वक्त पर ठेकेदार को दी जाय जिससे कि काम को पूरा करने में किसी प्रकार की देरी न हो सके और न उनके ऊपर ओवरसियर वगैरह का जो नाजायज दबाव होता है वह भी न हो सके।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सर्विस रोड के सिलसिले में जो कानून बना हुआ है उस कानून पर आज नये ढंग से विचार करना चाहिये। जो एग्जीक्यूटिव विभाग है उसको रेवेन्यू विभाग से अलग होना चाहिये। एग्जीक्यूटिव विभाग ही चालान करता है और वही उसका फैसला करता है। इसलिये कानून में अब मंत्री महोदय, कुछ ऐसे तरीके का परिवर्तन करने की जरूर कुछ कोशिश करें।

वाटर लागिंग के जो एरिया हैं उनमें कारण यह है कि बरसात में नालों से पानी निकलने के जो रास्ते हैं उनकी सफाई नहीं होती है। समयाभाव के कारण मैं अब अपने क्षेत्र की ही बात मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा। पिछले समय में जब मैं इस सदन का मेम्बर था तो मैंने कई बार इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि उस लाख तालाब की तरफ ध्यान दिया जाय जिसका पानी बरसात में फैल जाता है और उससे बहुत नुकसान होता है। डिवीजन के इंजीनियर से भी मैंने इस विषय में निवेदन किया था, नैनीताल में मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो नाला पानी ड्रेन आउट करता है उसको रिमाडेल किया जायगा। सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर को वह स्कीम भेजी गई है और मैंने पुनः उनको जब पत्र लिखा तब कहा गया कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर मौके को देखना चाहते हैं। मैंने लिखा कि जब वह आयें तो मुझको भी मौका दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक उस ड्रेन का मुआयना नहीं किया जा सका और पिछले वर्ष वाटर लागिंग की वजह से ही वह मौजा पूरा का पूरा तबाह हो गया और आज भी वह समस्या ज्यों का त्यों बनी हुई है। जो रिगार्डलिंग का आश्वासन दिया गया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारियों से आग्रह करेंगे कि इस बरसात के पहले उसका कुछ प्रबन्ध कर दिया जाय ताकि वह मौजा वाटर लागिंग से बचाया जा सके।

दूसरी बात जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि प्रयास करने पर पिछले वर्ष स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सराय मीरा जो कीच के पास बसा हुआ है वहां के लिये एक पानी पीने का नल लगाने का रुपया मन्जूर किया गया था और उसका रुपया सिंचाई विभाग के इंजीनियर

को दे दिया गया था परन्तु वहां पर आज कल एक ओवरसियर है, उसकी गांव के सभापति से किसी खास वजह से, नाइत्तफाकी हो गयी है । उन्होंने इस बात का एलान वहां पर कर दिया है कि जब तक मैं यहां रहूंगा मैं इस नल को नहीं लगने दूंगा । इसलिये मेरा निवेदन मंत्री महोदय से यह है कि बहुत जल्द उसको लगाने के लिये तथा उनके नलकूप से पानी लेने का सैंक्शन दें ताकि वह नलकूप वहां पर बन सके और गांव की कठिनाई दूर हो सके ।

सर्विस रोड के विषय में जो हमारे मित्र ने कहा कि सर्विस रोड के इस्तेमाल का हक जनता को मिलना चाहिये मैं उससे सहमत हूं । सरकार उनके पक्का करने के सवाल पर विचार करे, जनता भी उसके लिये अपना सहयोग दे सकती है लेकिन मेरा सुझाव यह है कि सर्विस रोड के इस्तेमाल का हक कम से कम विकास के कामों के मुताल्लिक मैटीरियल ले जाने के लिये व लाने के लिये गांव सभाओं को जरूर मिलना चाहिये । सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिये जो नलकूप या कूप बनाने का सवाल है उसके मैटीरियल के लिये ईट, लोहा और कोयला को ले जाने की इजाजत उन सड़कों से होनी चाहिये । मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपने अधिकारियों को आगाह कर दें कि इसके लिये इजाजत जरूर दी जाय ताकि सिंचाई के साधनों की बढ़ोत्तरी में सहूलियत मिल सके । मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें ।

***श्री रामचन्द्र विकल**—उपाध्यक्ष महोदय, आप ने इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये जो मुझे समय दिया उसके लिये मैं बहुत आभारी हूं । जो सिंचाई विभाग का बजट माननीय सिंचाई मंत्री ने प्रस्तुत किया है मैं उनको धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने इस सवाल पर अभी कुछ माननीय सदस्यों के विचार सुने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का काम ज्यादा किया गया ब मुकाबले दूसरे और हिस्सों के । मैं इस सवाल पर इस दृष्टि से तो नहीं कि हम प्रदेश के किसी भी हिस्से को विकसित होना नहीं देखना चाहते, लेकिन एक सवाल जरूर है जिसको मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को आपके, द्वारा, और इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि यह कारण मैं आज तक नहीं समझ पाया कई बार सवाल करने के बावजूद और लिखने के बावजूद भी कि प्रदेश के पश्चिमी जिलों में सिंचाई की दर पूर्वी जिलों से चौगुनी और बुंदेलखंड से दुगनी क्यों हैं ? यह एक ऐसा सवाल है कि जो जनता के साथ समानता का व्यवहार नहीं कहलाता ।

एक सवाल और भी इसी से सम्बन्धित है । जो नहरें कई वर्षों से मुनाफे पर चल रही हैं, उदाहरण के लिये पूर्वी यमुना कैनाल और गंगा कैनाल और उसकी शाखायें काफी दिनों से बहुत बड़े मुनाफे पर चल रही हैं और जो नहरें मुनाफे में चलें उस क्षेत्र के किसानों की दरें आबपाशी की बढ़ाई जायं यह सवाल भी न्यायोचित नहीं मालूम पड़ता है, इसलिये इस पर इस दृष्टि से विचार किया जाय कि जो नहरें घाटे में नहीं चल रहीं, बल्कि बहुत बड़े मुनाफे पर चल रही हैं उनके किसानों को सिंचाई की दर में राहत मिलनी चाहिये और वह राहत देना एक न्यायोचित कदम होगा ।

साथ ही, मैं माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो पुस्तिका आज सुबह बांटी गयी उसको पूरा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन अपने जिले के बारे में पढ़ा । तो पहली, दूसरी, तीसरी जितनी भी योजनायें बढ़ रही हैं, उनमें हमारे जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ नहीं रहा है जहां बढ़ने की आशा थी वहां कम हो रहा है और मुख्य कारण एक घटना है कि हमारे जिले में माठ के इलाके में माठ फीडर पर नहर में एक ठोकर थी । इस रिपोर्ट में लिखा है कि वहां एक नशेब था जो बहुत बुरा था और उसको बन्द किया गया है, लेकिन असल बात यह है कि वहां एक ठोकर थी, लेकिन नहर का लेविल अब ऊंचा कर दिया गया उसके कारण गांव के गांव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामचन्द्र विकल—]

नशेब में पड़े हुये हैं । माननीय सिंचाई मंत्री ने यहां भी और पब्लिक में कई बार दो वादे किये थे । पहला तो यह था कि जो नहरों से सिंचाई के क्षेत्र हैं वहां हम पानी लाजिमी देंगे और दूसरा यह कि जो नहरी सिंचाई की दर है उस पर देंगे । आपके यह दोनों वादे पूरे नहीं हो सके। ५,६ साल के कार्यकाल में दोनों वादे गलत साबित हुये । न तो उस एरिया को पानी ही दिया गया और न उस रेट पर ही दिया गया, बल्कि इस जिले में एक नया आदेश गया है कि वहां भी जो ट्यूबवेल्स के रेट्स हैं और पश्चिमी जिलों में वह लिया जाय । यह तो है और दूसरी ओर जो नशेब वाली बात इसमें लिखी गयी है वह भी गलत है बल्कि उल्टे वहां माठ फीडर है । वहां नहर के अन्दर उसको एक दीवार लगाकर पानी को रोका गया है और उससे इस जिले में प्यावली, पटाडी, रसूलपुर और देहरा मेरठ जिले का और बहुत से गांव बरबाद हो रहे हैं । वह लोग बीमारी से परेशान हैं । पानी चढ़कर नशेब में आता है और इससे गांवों में तबाही हो रही है । तो इन दोनों बातों की ओर ध्यान देना चाहिये । इस के साथ ही साथ माननीय मंत्री जी को जो बाढ़ क्षेत्र हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिये, चाहे वह पूर्व में हों, चाहे वह पश्चिमी में हों । कुछ गांवों को ऊंचा करने का कार्य भी किया गया , यह एक अच्छा कार्य है, इस से जो गांव के निवासी हैं, उनको बाढ़ के मौके पर अपने गल्ले, चारे और जानवरों की जान बचाने के लिये काफी सुविधा होगी । मैं चाहता हूं कि इस कार्य को और आगे बढ़ाया जाय । बाढ़ क्षेत्र के लोगों को तकलीफ के समय बाहर निकलने के लिये सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिये, इससे वहां की जनता को बहुत अधिक लाभ होगा । यह रिपोर्ट जो हम लोगों को दी गयी है, इसमें घाघरा, गंडक और राप्ती नदियों को बढ़ाने की बहुत चर्चा की गयी है । जमुना नदी जो देहली की सीमा पर है, वहां पर तो बांध बना दिये गये हैं, लेकिन हमारे यहां जब वह बुलन्दशहर में हो कर जाती है, तो उस पर कोई भी बांध नहीं बनाये गये हैं, सरकार को उस ओर भी ध्यान देना चाहिये । बांध बना कर सरकार बाढ़ को रोक सकती है । मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यदि आप किसानों की हालत को अच्छा देखना चाहते हैं, तो सिंचाई के साधनों को बढ़ायें । इसके साथ ही साथ एक बात मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि किसानों को जो पानी दिया जाता है, वह बहुत ही महंगा है । मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि किसानों को सस्ता पानी मिलना चाहिये, उसके रेट्स में कमी करनी चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिन नहरों से आप को बहुत काफी मुनाफा होता है, उनके रेट्स को कम होना चाहिये । किसानों की उन्नति के लिये, देश और प्रदेश की उन्नति के लिये यह जरूरी है कि पानी के रेट्स में कमी होनी चाहिये ।

*श्री रामकिशोर (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम को अपने प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था को ठीक बनाना है ताकि अधिक पैदावार हो सके । हमारे प्रदेश में ८० फीसदी ऐसे लोग हैं, जो या तो खेती करते हैं या उस से सम्बन्ध रखते हैं । आज हम अपने प्रदेश में जो सिंचाई के साधन देख रहे हैं, उससे यह नहीं कह सकते हैं कि प्रदेश में गल्ले का उत्पादन बढ़ेगा । श्रीमन्, हम इस बात को जानते हैं कि खेती की उन्नति के लिये चार बातों की आवश्यकता होती है । पहले पानी की उचित व्यवस्था हो, दूसरे अच्छी खाद मिले, तीसरे अच्छा बीज हो और चौथे अच्छे बैल हों । यदि सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तो दूसरी जो सारी व्यवस्थायें हैं, वे कारगर सिद्ध नहीं होंगी । श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमारे देश और प्रदेश में कई प्रकार से सिंचाई होती है । एक तो बड़ी सिंचाई योजना, दूसरे मध्यम सिंचाई योजना और तीसरे छोटी योजनायें हैं । छोटी योजनाओं में तालाबों को गहरा किया जाता है और कुओं का निर्माण होता है । बड़ी योजना में बांध बनाये जाते हैं । जहां तक मेरा ख्याल है मध्यम योजना में नहरों का निर्माण होता है । जहां तक बांध बनाने का सवाल है, वह तो काफी स्थानों में बन चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं । सरकार ने उसमें काफी प्रयास किया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और उसको काफी सफलता भी मिली है । लेकिन मैं नहरों के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जितना विस्तार होना चाहिये, उतना नहीं हुआ है । सरकार को नहरों को और अधिक बढ़ाना चाहिये । इसके साथ ही साथ एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि सरकार ने तालाबों को गहरा करने और नये कुओं का निर्माण करने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है ।

तो श्रीमान् मैं आप के जरिये से माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यदि नहरें नहीं बढ़ाई जा सकती हैं तो जो हमारे प्रदेश में तालाब हैं, उनको गहरा तो किया जा सकता है । यदि सरकार की ओर से इन तालाबों को गहरा करने की योजना चलाई जाय, तो इसी से इस प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा हित हो सकता है । कुंओं के निर्माण के लिये यद्यपि आज किसानों को सहायता दी जा रही है, लेकिन वह सहायता इतनी अपर्याप्त है कि कुंयें के लगाने में जो लागत लगती है, उससे यहां का साधारण किसान कुआ लगाने में असमर्थ रहता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके लिये किसानों को और अधिक सुविधा दी जाय । कुछ और भी समस्यायें हैं, जैसे पानी की समस्या फतेहपुर जिले में, जहां से चुन कर मैं आया हूं, तो बरसात के दिनों में वहां पर पानी का इतना अधिक भराव हो जाता है कि वहां के गांव के रास्ते बन्द हो जाते हैं और इस तरह से जब सारे के सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं, तो घाटमपुर तहसील और दूसरे गांवों में पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है । जब चकबन्दी की योजना चल रही है, तो उस विभाग से इस तरह की शिकायत की जानी चाहिये कि वहां पर जो नालियां बन रही हैं, इस तरह से बनाई जायं कि बरसात के दिनों में जो भराव रहता है, उससे बचा जा सके और फसल को नुकसान न होने पाये ।

जहां तक सिंचाई का सवाल है, अब हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया है, और सरकार को चाहिये कि किसानों के लिये सिंचाई के साधन बढ़ाये और उनके ऊपर सिंचाई का भार अधिक न पड़ने पाये । पहले सिंचाई की दर कम थी, फिर दुगनी की गयी, बाद में तीन आना रुपया में कम कर दिया गया, लेकिन चुनाव से पहले जो ३ आने की छूट दी गई थी, वह वापस ले ली गई । यह सरकार ने अच्छा नहीं किया, लेकिन इस पर कोई आलोचना नहीं की जा सकती क्योंकि यदि चुनाव के बाद इस तरह से सरकार करती, तो कुछ कहा भी जा सकता था, लेकिन उसने चूंकि चुनाव के पहिले ही दर बढ़ा दी और छूट वापस ले ली, इसलिये इस की आलोचना नही की जा सकती है । अगर आलोचना करेंगे तो सरकार की तरफ से यह जवाब दिया जायेगा कि हमने चुनाव के पहले बढ़ाया है, यदि किसानों को इसमें आपत्ति होती, तो हमें वोट न मिलते लेकिन फिर भी मैं सिंचाई मंत्री जी से कहूंगा कि सिंचाई दर का जो बोझ किसानों पर है, वह कम होना चाहिये । दूसरी तरफ हमारे यहां नहरों से दो प्रकार से सिंचाई की जाती है, तोड़ और डाल के दो तरीके हैं । सिंचाई में तोड़ में जितना पानी लगता है डाल में उतना नहीं लगता है और उसका आधा पानी ही लगता है । तो तोड़ का जो सिंचाई रेट है, वह डाल के मुकाबले में एक चौथाई कर दिया जाय, जब कि आज सिंचाई दर दोनों के लिये बराबर है । डाल के तरीके से सिंचाई रेट्स में कमी आ जाती है क्योंकि पानी कम खर्च होता है, तो यदि डाल के लिये आबपाशी रेट्स कम कर दिये जायं, इससे भी किसानों को सहूलियत हो सकती है ।

पी० एस० पी० के एक सदस्य ने जिक्र किया कि नहरों की पटरियों को पुख्ता कर दिया जाय, इससे काफी सहूलियत हो जायगी । मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं, उसके बारे में कहना चाहता हूं, कि वहां जो बिन्दकी तहसील है और उसके अन्तर्गत गांव हैं तो वहां की पटरियों को और बढ़ा दिया जाय, इससे उस क्षेत्र के रहने वालों को काफी सुविधा मिल जायेगी । वह समृद्ध क्षेत्र है । लेकिन इस तरीके की माइनर जो बिन्दकी तहसील में है, वह यदि ४ फर्लांग और बढ़ा दी जाय, तो उससे बहुत सहूलियत हो जायेगी । इस क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है । इसी तरीके से फतेहपुर तहसील में जो माइनर्स हैं, उनको यदि दो, तीन

[श्री रामकिशोर—]

मील और बढ़ा दिया जाय, तो उस से भी काफी सुविधा हो जायेगी। मैं आशा करता हूं कि उस क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करेंगे। इससे किसानों को काफी सुविधा मिल जायेगी और उनको लाभ होगा।

दूसरी ओर यहां बम्बों के बारे में जिक्र किया गया। इस के लिये जो ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है, उसमें काफी गलतियां होती हैं। लेकिन जब ये बम्बे साफ हो गये और पानी छोड़ दिया गया, तो फिर कोई शिकायत नहीं कर सका और मैं समझता हूं कि इसमें अगर सहकारी समितियों को ठेके दिये जायं तो दो विभागों के बीच में कुछ अच्छा काम हो सकता है। ऐसा होने पर भ्रष्टाचार का मौका भी नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—मान्यवर, मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा सिंचाई विभाग का जो अनुदान प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग विवाद कर रहे हैं, क्योंकि यह विषय उस कृषि विभाग से संबंधित है जिस पर हमारे प्रदेश की ७५ फीसदी जनता निर्भर है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जिस समय हार्ट फेल करने लगता है तो आक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है कि वह रिवाइव हो जाय, पल्सेशन एक्सिलरेट हो जाय। उसी प्रकार जब हम प्रदेश की बैकवर्ड एकानामी की तरफ देखते हैं तो हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है और हम इस सिंचाई विभाग द्वारा रिससिटेशन और पल्सेशन करके इसको एक एडवांस्ड एकोनामी में परिवर्तन करने की सोचते हैं। हमको किसी चीज पर निर्णय करने के पहले देखना पड़ता है कि किस कंटेक्स्ट में हम उस पर विवाद कर रहे हैं। जब हम इतने महत्वपूर्ण विषय पर विवाद करने इकट्ठा हुए हैं तो हमें चाहिये कि हम यह देखें कि इस संबंध में हमारे प्रदेश में १०, ११ वर्ष पूर्व क्या परिस्थिति थी। यदि हम तब के और आज के आंकड़ों का मिलान करें तो एक स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने खिंच जायगी कि हम प्रगति के रास्ते पर हैं। आपको याद होगा कि जिस समय हमारी योजनायें बनी थीं उस समय यह निश्चय हुआ था कि १५, २० वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के ४० फीसदी क्षेत्र को सिंचाई की सुविधायें प्रदान कर दी जायेंगी और ४ करोड़ एकड़ भूमि उन सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी। उस समय ७६ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त थी।

पहली पंचवर्षीय योजना में २० लाख एकड़ भूमि बढ़ायी गयी और १७ फीसदी क्षेत्र को सिंचाई की सुविधायें मिलने लगीं। द्वितीय योजना के अंत में २० फीसदी क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें मिलने लगीं और ११८ लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आयी और तृतीय योजना के आधार पर, यदि हमारी योजना पूरी हो जाती हैं तो यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि २५ फीसदी भूमि को इससे फायदा होगा और हमारा क्षेत्रफल बढ़ कर १४४ लाख एकड़ भूमि का हो जायगा जो कि सिंचाई के अंतर्गत होगा और उससे फायदा उठा सकेगा। यह जानते हुए कि सिंचाई विभाग में विस्तार हुआ है और ज्यादा सुविधाएं प्रदान की गयी हैं, हम जब उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हैं तो यह काम कम माना जाता है। दूसरी चीज यह है कि यह वह प्रदेश है कि जिसमें गंगा बहती हैं और यह बड़ी आयरनी आफ फेट है कि जिस प्रदेश में गंगा बहती हों वहां पानी और बिजली की कमी हो। यदि इसका कारण ढूंढते हैं तो कई चीजें सामने आती हैं। यह बात सही है कि किसी भी योजना को कार्यान्वित करने के पहले हमें कई चीजों की जरूरत पड़ती है। उस के लिये हमको फारेन एक्सचेंज की जरूरत होती है, ट्रेन्ड पर्सोनल की जरूरत होती है, स्टाफ की जरूरत पड़ती है, नहरों आदि के लिये भूमि की एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स में काफी समय लग जाता है, कागजात देखने पड़ते हैं और यह सब दिक्कतें होते हुए हम लोगों की रफ्तार काम की इतनी तेज नहीं रही है कि जितनी होनी चाहिये थी, किन्तु इन सब के साथ एक और भी कारण हो सकता है और वह यह कि

हमारी सिंचाई के रेट्स ज्यादा हैं। रेट्स ज्यादा होने से मेरा मतलब यह है कि जो साधन हमें उपलब्ध हैं, जिस तरह से हमारी नहरों की लम्बाई बढ़ी है, ट्यूब वेल्स जिस तरह से पिछले दस वर्षों में बढ़े हैं, अनेकों डैम बने हैं उनके अनुपात से, कानकामिटेन्ट, वैरियेशन से, हमारे उतने क्षेत्र ने फायदा नहीं उठाया है जितने क्षेत्र को कि उससे फायदा उठाना चाहिये था। जितने अरब रुपया इस सिंचाई पर लगा है उस हिसाब से जितना फायदा लोगों को उठाना चाहिये था वह लोगों ने नहीं उठाया। आपने देखा होगा कि १९४५–४६ में हमारी ५९ लाख ५३ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। १९५१–५२ में ७१ लाख ५हजार हो गयी। १९५३–५४ में ६७ लाख २५ हजार, १९५४- ५५ में ८८ लाख ६ हजार और १९५५–५६ में ६३ लाख ८३ हजार हो गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो फिगर्स हैं यह कम होती चली गई हैं। हमें इसलिये देखना है कि आज आखिर हमारा किसान क्यों हिचकिचाता है? उसका कारण यही है कि आज सिंचाई रेट ज्यादा है और इस प्रश्न पर सरकार को विचार करना होगा ताकि किसान आपकी सिंचाई योजनाओं से पूरा फायदा उठा सकें। इसके पहले आपको रेट कम करना चाहिये। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि हमको इससे कोई मुनाफा कमाना है। आज अंग्रेजों का जमाना नहीं है। उनके जमाने में यह था कि जो चीज भी बनाई जाय उससे फायदा हो। मगर आज तो हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हमारा ध्येय है, हमको ऐसी स्कीमें बनानी हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके जिससे कि हम लोगों में एक नयी स्फूर्ति पैदा कर सकें, उनके जीवन में एक नया जीवन का संचार कर सकें, और उनके जीवन को सुखद बना सकें।

एक बात के लिये मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करूंगी और वह कानपुर से सम्बन्धित है। कानपुर से भी गंगा जी जाती हैं, किन्तु पता नहीं कि गंगा जी क्यों नाराज हो गई हैं कि वह कानपुर को छोड़ कर उन्नाव की तरफ आकर्षित हो गई हैं जिसका परिणाम यह है कि हमारे यहां गर्मी में पानी बहुत कम हो जाता है। पिछले साल तो इतना पानी कम हो गया था कि उसके कारण त्राहि-त्राहि मच गई थी। तो आज हमारे यहां रिवर टेमिंग और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। प्रदेशीय सरकार और महापालिका द्वारा राउन्ड दि क्लाक हमारे यहां कई रोज तक, रात दिन काम हुआ था और बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई गई थीं ताकि वह क्राइसेज पैदा न हो जिससे कि वहां की जनता को तकलीफ हो और फैक्टरीज और मिल तक को बन्द होना पड़े। उस समय तो यह हालत थी कि पीने तक के लिए पानी मिलने में दिक्कत पड़ी। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह रिवर टेमिंग की ओर भी विशेष ध्यान दे और यदि इस ओर अब तक सरकार ने विचार न किया हो तो वह अब विचार करने की कृपा करें।

दूसरी बात और मैं कानपुर से ही सम्बन्धित कहना चाहती हूं वह यह कि कानपुर शहर के बीच से ही एक नहर पास होती है। मेरे क्षेत्र में, गांव में भी नहरें हैं और जब मैं अपने गांव में उनको देखती हूं तो तबियत खुश हो जाती है। वहां पर गांव के बच्चे वगैरह उसमें स्नान भी करते हैं और उसका आनन्द लेते हैं। लेकिन वही नहर जो कानपुर शहर के बीच से होकर गुजरती है वह बड़ी गन्दी है। मैंने देखा कि कई जगह पर उसमें गन्दा पानी भरा हुआ है जिसके कारण वहां की आबहवा बड़ी दूषित हो गई है। आपको विदित है कि कानपुर शहर में इंसिडेंस आफ टी० बी० संसार में सबसे ज्यादा है। अतः वहां की आबहवा साफ होना आवश्यक है। जिस बस्ती से यह नहर गुजरती है वहां घनी आबादी है। जहां पर एक स्वस्थ और अच्छी आबहवा की जरूरत हो, वहां पर जब मैं इस गन्दी नहर को देखती हूं तो बड़ा दुख होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको साफ करवाइये—दोनों तरफ

[श्रीमती सुशीला रोहतगी—]

पटरी पक्की करके फूल पत्ती लगाये जायें और सुशोभित की जायें "A Thing of beauty is a joy for ever" जब वह नहर साफ हो जायेगी, तो उससे वहां की आबहवा भी बड़ी सुन्दर और सुहावनी होगी और वह एक सिंचाई विभाग की अच्छी चीज बन जायगी। वही गन्दी नहर एक ब्लेसिंग इन डिसगाइस हो सकती है।

(लाल बत्ती होने पर)

एक बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में और कहूंगी। हमारे यहां नहर गंग साख फतेहपुर नौरय्या खेड़ा, मील नं० २, फर्लांग नं० ६, दाहनी ओर गोपालपुर के पास एक माइनर होना आवश्यक है। इसके बनाने से करीब २ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और कृषि की पैदावार में भी बढ़ोत्तरी होगी और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

दूसरी बात यह कि पिछली दोनों योजनाओं में यह निश्चय किया गया था कि बिल्हौर और देहरापुर तहसील में कुछ ट्यूबवेल्स लगाये जायेंगे और उन दोनों योजनाओं में १५—१५ ट्यूबवेल्स लगने थे, लेकिन वहां पर केवल ४—४ ट्यूबवेल्स ही अब तक लगे हैं। इस लिये माननीय सिंचाई मन्त्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ में सिंचाई विभाग के अनुदानों का समर्थन करती हूं।

*श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—श्रीमन, आपके सामने मन्त्री जी के अनुदानों पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मन्त्री जी के साथियों ने उनका बड़ा गुणानुवाद किया है। परन्तु जब हम मन्त्रियों तथा उनके सहयोगियों के कारनामे देखते हैं तो हम यह सोचने को मजबूर होते हैं कि जिस उच्छृंखल मन्त्री के खिलाफ उसके भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती के प्रति जनता द्वारा सदन में और बाहर आवाजें आती हैं, उसका गुणानुवाद किया जाय तो यह नहीं समझ में आता है कि मन्त्री ने कानून की अवहेलना की है क्योंकि गुप्ता कमेटी ने उनके किसी खास रिश्तेदार को अधिशासी अभियन्ता नहीं बनाया, तो १५—१६ डिवीजनों को तोड़ दिया जिससे जनता के काम में काफी बाधा पड़ी है। ऐसे मन्त्री के खिलाफ तो मेरी राय में रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाना चाहिये और इनके कामों की जांच करके इनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिये। यह न करके यदि उनका गुणानुवाद किया जाय तो मेरी समझ में यह आता है कि यह गुणानुवाद किसी खास स्वार्थवश किया जा रहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे उच्छृंखल मन्त्री के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिये खुली अदालत में। रिटायर्ड जजों की कमेटी बनानी चाहिये। जिन्होंने कुनबापरस्ती की है और जनता के हित के कार्यों में बाधा डाली है, अपने रिश्तेदार की तरक्की न होने के कारण। मेरा कहना यह है कि ऐसे मन्त्रियों के खिलाफ.. (व्यवधान)

अभी कुछ लोग उम्मीदवार हैं जो सोचते हैं कि ऐसे मन्त्रियों की तारीफ करेंगे तो जो मुख्य मन्त्री जी लम्बी लिस्ट मन्त्रियों की बनाने वाले हैं उसमें उनका भी कहीं नाम आ जाय, इसीलिये उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। अब श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने और उनके सहयोगियों ने जो जनता के कार्य नहीं किये उन बातों को आपके सामने इस सदन में रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पूर्वी जिले हमेशा से उपेक्षित रहे हैं, अंग्रेजी शासन काल में भी और आज के जमाने में भी घाघरा, और राप्ती नदियों में आये दिन बाढ़ आती है, हमारे वाराणसी जिले में बाढ़ आती है लेकिन उसको रोकने की कोई योजना नहीं है। इसी सदन में कई वर्षों से हमारे साथी नेता उग्रसेन जी ने यह सवाल उठाया कि घाघरा, राप्ती नदियों के कटाव को रोकने के लिये कोई योजना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाई जाय परन्तु हम देख रहे हैं कि कोई मुस्तकिल योजना नहीं बनाई गई है। इस गुप्ता सरकार के पहले सम्पूर्णानन्द की सरकार थी उसने बनारस जिले में गंगा से कटाव को रोकने के लिये योजना बनाई थी उसको भी किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया है। तो बाढ़ नियन्त्रण और कटाव के सम्बन्ध में जो पूर्वी जिले उपेक्षित किये गये हैं उसकी तरफ में आपके द्वारा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। साथ ही सिंचाई के सम्बन्ध में भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारे जिले में कांग्रेसी शासन के पहले छोटे छोटे तालाब थे जिनकी मरम्मत अंग्रेजी काल में जमींदार करते थे।

किसानों पर कोई भी सिंचाई रेट उसके लिये नहीं लगाया था, परन्तु जब से जमींदारी समाप्त हुई है, वह बन्धी सरकार के कब्जे में आ गई है और किसानों से बन्धी रेट लिया जा रहा है। इस तरह का एक पचोखर का ताल है और उससे लगे हुये ताल हैं। गांव के वाजिबुलअर्ज में यह लिखा हुआ है कि इन बन्धियों से कोई भी सिंचाई कर नहीं लिया जायगा। परन्तु अब उनसे लिया जा रहा है इस चीज को रोकने के लिये किसानों को अदालत की शरण लेनी पड़ी तो सरकार ने उनकी मरम्मत कराना बन्द कर दिया बावजूद इसके कि वाजिबुलअर्ज में यह भी लिखा हुआ है कि उनकी मरम्मत जमींदार करायेगा। आज जमींदारी तो टूट गई और जो लगान जमींदार वसूल करता था वह सरकार वसूल करती है तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उन बन्धियों की मरम्मत वह कराये। एक तो वह इलाका ऐसा है जहां हर साल बाढ़ आती है और फसल नष्ट हो जाती है दूसरी ओर सरकार बन्धी रेट के रूप में रुपया वसूल करती है।

मिर्जापुर और वाराणसी की सीमा पर ऐसे तालाब हैं जहां बहुत पानी जमा हो जाता है। पूर्व वक्ता श्री राजनारायण जी ने भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। जब सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में मन्त्री जी हमारे जिले में गये थे तब उनसे यह अनुरोध किया गया था कि इन तालों का पानी निकाल दिया जाय क्योंकि हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है मिर्जापुर के उत्तरी हिस्से और चंदौली का वह हिस्सा जो मिर्जापुर से लगा हुआ है, वह तबाह हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सम्पूर्णानन्द जी चले गये आज यहां गुप्ता जी की सरकार है, लेकिन उन तालाबों से पानी की निकासी का कोई उपाय नहीं हो रहा है।

इस योजना की इतनी तारीफ की जाती है लेकिन जहां तक हमारे जिले की योजना का सम्बन्ध है, हम समझते हैं कि उससे अच्छी तो देहात का किसान बना देता। अहरौरा बांध बनाया गया और बनते ही टूट गया। चकिया से फाटा नहर निकली है जिसकी वजह से बनारस में इतनी बाढ़ आई कि जैसी कभी नहीं आई थी। यह वहां के लोगों की गलती नहीं थी बल्कि इंजीनियरों की गलती थी जिन्होंने पानी के निकासी का रास्ता नहीं रखा। इसी प्रकार धानापुर माइनर वहां से होकर जाती है। जिसमें किसानों की बहुत सी जमीन ले ली गई है, लेकिन उन लोगों की सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है बल्कि वहां से पानी दूर को ले जाया जा रहा है। इसलिये हमारा मन्त्री जी से अनुरोध है कि सही मानी में सिंचाई की योजनाओं का विकास करें।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सिंचाई संबंधी अनुदान माननीय सिंचाई मंत्री जी ने उपस्थित किया है, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। यह तो वह मांग है जिस पर सारे देश की जीविका निर्भर है। मैंने अपने विरोधी साथियों के वक्तव्य को भी सुना। श्रीमन्, जहां तक सिंचाई विभाग का संबंध है, किसानों के खेतों के लिये पानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह--]

की आवश्यकता है और यह विभाग इस सरकार के द्वारा काफी उन्नति कर रहा है और किसानों को बराबर पानी देकर खाद्य उत्पादन को बढ़ा रहा है और काफी बढ़ाया है ।

जहां तक सरकारी नौकरियों का संबंध है, यह सब काम हमारी सरकार का है जो उन सब पदों को संभाले हुये हैं और यह उसके देखने की बात है कि उन पदों को रखा जाय या न रखा जाय, लेकिन यह दोषारोपण कहां तक उचित है, यह मेरी समझ में नहीं आता । मैं विरोधी दल के, विशेषकर सोशलिस्ट पार्टी के नेता की तरफ से यह दोषारोपण सुनता रहा हूं और चूंकि इस वक्त मौजूद है इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के गलत आरोप में उनको कभी भी सफलता नहीं प्राप्त हुई है और मैं आशा करता हूं कि हम रहें या न रहें, चाहे उन्हीं का शासन हो, लेकिन इस किस्म का दोषारोपण अपने साथियों पर करना अनुचित है । यदि सरकार उन पदों को रखना उचित समझती है तो उन पदों को रखा जाय और यदि वह उन पदों को रखना अनुचित समझती है तो उन पदों को न रखा जाय । यह कहना कि अपने किसी रिश्तेदार को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार कोई काम करती है उचित नहीं है । इस तरह का दोष किसी को भी सरकार पर या उसके किसी मंत्री पर नहीं लगाना चाहिये । वह भी हमारे उस सिंचाई मंत्री के लिये कहना जो दो दो तीन तीन दिनों तक स्वतंत्रता संग्राम के दिनों मे गरीबों की झोपड़ियों में रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिये अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जो किसानों के हितों का सदा ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर इस तरह का दोषारोपण करना तो अन्याय है । इस प्रदेश की सरकार.....

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, माननीय सदस्य उच्छृंखल हो रहे हैं, इनको रोकिये ।

श्री हरीसिंह--मैं तो आपको सोशलिस्ट पार्टी का नेता मानता हूं और अगर आप मेरे लिये ऐसी बात कहते हैं तो वह आप पर ही लागू होती है ।

श्री उपाध्यक्ष--आप इधर उधर खयाल न करें, बोलें ।

श्री हरीसिंह--जहां तक बाढ़ का संबंध है, सारा रुपया पूर्वी जिलों में ही लगाया गया है । इधर पश्चिमी जिलों में भी बाढ़ें आयी हैं लेकिन उधर कोई गांव ऊंचा नहीं किया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी जिले वहां नहरें होने के बावजूद बराबर घाटे में ही रहे । पश्चिमी जिलों की आय से ही सरकार पूर्वी जिलों का खर्चा पूरा करती है, यह कहां तक उचित है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है । मैं तो अपने सिंचाई मंत्री से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी जिले के किसान जो कठोर परिश्रम करके ज्यादा पैदा करते हैं, उनकी पूरी आय उनके यहां न लगाना जायज नहीं है । पश्चिमी जिलों की सिंचाई की तरफ विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये । इतना करने के बाद पूर्वी जिले वालों को हमारा आभारी होना चाहिये था, सरकार इतना उनके लिये कर रही है, वे सरकार को ही दोष देते हैं ।

ट्यूबवेल्स जो पुराने बनाये गये हैं वे पानी नहीं देते और उनके पानी न देने पर भी कागज में आपके अधिकारी रिपोर्ट पूरा पानी देने की लिख देते हैं । तो सिंचाई मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे अपने अधिकारियों के प्रति जरा कड़ाई करें । आज जनता में इंजीनियर्स की वजह से त्राहि त्राहि मची हुई है और ट्यूबवेल्स जो पानी नहीं देते हैं, उनको भी कागज में पूरा पानी देना लिखा जाता है । यह अन्धेरखाता मेरे यहां है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, यह अन्धेरखाता नहीं होना चाहिये, यह हमारे सामने की बात है और कोई किसान की कही हुई बात नहीं है । इन नलकूपों की मरम्मत नहीं होती । मैं अपने यहां मेरठ के भी और बीसियों उदाहरण दे सकता हूं और इंजीनियरों को और मंत्री जी को चलकर दिखा सकता हूं । एक नम्र निवेदन और है और वह यह है कि जो बाढ़ आती है उस का कारण यह है कि एक गूनगेजा का नाला है जो मेरठ के ४५० सुरक्षित क्षेत्र में है, उस की सफाई भी नहीं हुई है और उस का पेमेन्ट भी हो चुका है और कोई तहकीकात नहीं हुई है, कई कई बार कहा गया लेकिन उसकी सफाई की तरफ कोई

तवज्जह नहीं दी गई है । चार साल से वहां ८-९ गांव तबाह हैं और बहे जा रहे हैं उनमें कोई पैदावार नहीं हुई है । मैं चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी इस तरफ विशेष ध्यान दें कि वह नाला क्यों नहीं तैयार हुआ और क्यों वह गांव तबाह किये जा रहे हैं । मेरा यह भी एक सुझाव है कि हमारे यहां के जो वे ७ नलकूप हैं उन पर फिर से बोरिंग कराया जाय और उन को चालू किया जाय, किसान तबाह हो रहे हैं और उनकी पैदावार भी पानी की कमी से नष्ट हो जाती है । उनका परिश्रम बेकार जाता है इस तरफ ध्यान देने की बड़ी जरूरत है ।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

इधर ध्यान दिया जाय तो तरक्की हो सकती है और किसानों को सुविधा हो सकती है ।

आबपाशी का जहां तक संबंध है वह घटाना उचित समझें तो घटायें और उस को और बढ़ाना ही उचित समझें तो बढ़ा लें, लेकिन पानी किसान को वक्त से मिलना चाहिये, अगर नहीं मिलता है तो खेती को नुकसान होता है । इसके अलावा जो पतरौल और अधिकारी हैं उनकी हालत बहुत ही शोचनीय है । मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपने अधिकारियों की तरफ अधिक ध्यान देकर और जो जनता के चुने हुये नुमाइंदे हैं उनकी बात की और प्रतिष्ठा की ओर ध्यान दें । आज आप के इंजीनियर्स हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते और इसीलिये यह सोशलिस्ट पार्टी के नुमाइन्दे चिल्लाते हैं । मेरा नम्र निवेदन हैं कि उनकी भी जो जायज बातें हैं वह जरूर सुनी जाय ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—अध्यक्ष महोदय, हमारे पहाड़ी जिलों की स्थिति सिंचाई के संबंध में बिलकुल भिन्न है । इसीलिये मैं आपकी सेवा में खड़ा हुआ हूं, यह बताने के लिये कि हमारे यहां सिंचाई की प्रथा और समस्या दूसरी है । हमारे पहाड़ी जिलों में और खास तौर से मेरे लैंसडाउन के क्षेत्र में हमें सिंचाई का प्रबन्ध एक नये तरीके से करना होगा । एक तो यह कि हमारे प्रदेश में जलप्रपात इतने ज्यादा हैं कि थोड़ा ही रुपया खर्च कर के २-४ हजार रुपये से ही बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई का प्रबन्ध हो सकता है । इसी तरह से वहां जो छोटे छोटे नदी नाले हैं वहां बड़े बड़े बांधों या एम्बैंकमेंट्स की जरूरत नहीं है बल्कि जरूरत इस बात की है कि पानी रोक कर छोटे छोटे तालाब बनाकर उन से खेतों की सिंचाई की जाय । हमारी सरकार ने, मुझे याद है, कि पहले एक मरेडा डैम के नाम से एक योजना निकाली थी और कई लाख रुपया उसमें खर्च हुआ था । लेकिन अफसोस है कि कोई नतीजा नहीं निकला और वह योजना ही छोड़नी पड़ी । मुझे तो उस का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं बड़ी योजनाओं का कायल नहीं । और जो छोटे छोटे जल प्रपात हैं उनसे पानी ले कर एक तो सिंचाई की जा सकती है और दूसरे बिजली तैयार हो सकती है । इस किस्म का एक सराहनीय काम मेरी जन्म भूमि चमोली के नजदीक भ्यूतालियां में किया जा रहा है । वहां एक जल प्रपात से, जिसमें सिर्फ पानी के नल लगाये गये हैं, सीमेंट लोहा कुछ नहीं लगा, बिजली तैयार करके वीविंग, ब्लीचिंग, बुनाई-कताई का काम हो रहा है और उसी से बिजली भी तैयार हो रही है । पहाड़ों में इस किस्म के कई जल प्रपात हैं । जिनसे सरकार फायदा उठा सकती है । नदियां इतनी हैं कि अगर बन्ध बना दिये जायं तो सिंचाई काफी हो हो सकती है और जितनी नदियां हैं उन पर बांध बनाये जायं तो नीचे के क्षेत्र में आबपाशी हो सकती है ।

मेरे क्षेत्र में दो बड़ी नदियां हैं, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, उनमें इतना पानी है, और जमीन से ज्यादा नीची भी नहीं है, अगर उनसे काम लिया जाय तो बहुत सी सिंचाई हो सकती है । उन नदियों के संबंध में यह भी कहना है, गो कि उसका आज के अनुदान से कोई संबंध नहीं है, कि उन नदियों पर पुल न होने के कारण अभी दो हफ्ता पहले ऐसी घटना हुई कि एक ही स्थान पर पूर्वी नयार नदी में ६ स्त्रियां उसे पैदल पार करते वक्त डूब कर मर गईं क्योंकि इन

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—]

नदियों पर १०, १५ मील तक पुल नहीं है, जिसकी वहज से लोगों को इधर उधर जाने में बड़ी असुविधा होती है। यदि सरकार थोड़ा रुपया खर्च करके पहाड़ी क्षेत्रों में इन नदियों से काम लेना चाहे तो बहुत सिंचाई हो सकती है और जनता को लाभ हो सकता है। हम लोग अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताने आये हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको सरकार के सामने रखने आये हैं। वह भी जमाना मैंने देखा है जब कि हमारे रोने की कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब तो अपनी सरकार है, मैं अपने ३७, ३८ साल के अनुभव से कह सकता हूं, तब तो सारे प्रान्त का आय-व्यय इस सिंचाई अनुदान की आधा था। अगर हम अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे तो वह उनको पूरा करके जनता को बहुत भला पहुंचा सकेगी।

हां एक बात अवश्य देखने की है कि जो सामान सरकार नहरों के लिये भेजती है उसका इस्तेमाल उस के लिये होता भी है या नहीं। मेरे क्षेत्र में कई छोटी छोटी नहरें ऐसी हैं जो बनी हैं लेकिन सूखी पड़ी हैं क्योंकि जो सीमेंट ठेकेदार को दिया गया वह दूसरों के हाथ ठेकेदार ने बेच दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि उन नहरों में पानी नहीं चल रहा है। इसलिये सिंचाई विभाग के लिये इतना ही काफी नहीं है कि आंकड़े दे दे कि इतनी मील लम्बी नहरें बना दीं, बल्कि उसको यह भी देखना चाहिये कि वे चलती भी हैं कि नहीं, उनसे सिंचाई भी हो रही है कि नहीं।

संरक्षण (देख-रेख) की बड़ी जरूरत है। यह देखा जाय कि विभाग अपना कर्तव्य पालन कर रहा है, नहरों की निगरानी कर रहा है, जो माल दिया जाता है वह ठीक इस्तेमाल हो रहा है। जब ऐसा नहीं किया जायगा जब तक जितना रुपया सरकार खर्च कर रही है वह एक किस्म से वेस्ट है। इसलिये मैं चाहता हूं कि योजनाओं के साथ उन योजनाओं को पूरा करने का भी यत्न किया जाय।

श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का मौका दिया। मुझे इस संबंध में यह कहना है कि हमारे सम्मुख जो अनुदान पेश है उसका मुझे समर्थन करना है। इस विभाग से हमारे प्रदेश को बहुत फायदा हुआ है। खेती में जो दुगनी व तिगुनी तरक्की हुई है वह सिंचाई के ही कारण हुई है। जिन स्थानों पर खाने भर को पैदा नहीं होता था आज वहां सिंचाई की वजह से अच्छी खेती होती दिखाई दे रही है। मेरे क्षेत्र में चेटाघाट से गंगोली तक ७ मील तक चढ़ाई और पानी का नाम तक नहीं था, लेकिन इस विभाग की वजह से पीने के पानी की व्यवस्था हो गयी और सिंचाई का भी बड़ा सुन्दर इंतजाम हो गया। अंग्रेजी शासनकाल से अगर आज की हालत का मुकाबला किया जाय तो उसमें आप धरती व आसमान का फर्क पायेंगे। सिंचाई ऐसी चीज है जैसे प्यासे को पानी मिल जाय उसी तरह से प्यासी भूमि को पानी मिलने से बहुत फायदा होता है। बंधों तथा ट्यूबवेलों से भी बहुत फायदा हुआ है। हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है। ऐसी हालत में इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इससे सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को सबक लेना चाहिये। जो साइकिल चलाना जानता है तो गिरता ही है, लेकिन गिर कर फिर चलाना सीख जाता है।

दो एक सुझाव मुझे देने हैं। पूर्वी अल्मोड़े के चम्पावत क्षेत्र के बारे में मुझे कुछ कहना है। वहां दो योजनयें थीं। एक योजना के संबंध में ८,९ वर्ष से लिखा पढ़ी चल रही है लेकिन वहां पानी का इन्तजाम नहीं हो सका, जिससे पीने के पानी की तथा सिंचाई करने की दिक्कत अभी तक बनी हुई है। अगर वहां पानी पहुंच जाय तो जो कुछ जमीन वहां है इसमें ४, ५ गुनी पैदावार हो सकती है। १५० मावासा वहां हैं, लेकिन पानी की हालत बहुत खराब आजकल हो जाती है। यह योजना २८–२९ हजार की है, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों कार्यान्वित नहीं की जा सकी। उसको फिर से देखा जाय और यह योजना कार्यान्वित की जाय। अगर वहां पानी पहुंच जाय तो सदा के लिये उनका दुख दूर हो जायगा।

मेरा दूसरा सुझाव पिथौरागढ़ जिले के बारे में है। वहां पट्टी रावल में उपरताल और मटियाल नाम के दो गांव हैं। वहां भी दो-तीन सौ एकड़ से कम जमीन नहीं है। पीने के पानी की समस्या तो आदरणीय नरेंद्रसिंह विष्ट जी और हम लोगों ने मिल कर तय कर दी है, लेकिन अगर सिंचाई के लिये भी वहां पानी पहुंच जाय तो वहां के लोगों को बहुत लाभ हो। वहां हरिजन लोग रहते हैं। शायद इसीलिये अभीतक यह समस्या नहीं हल हो पायी, नहीं तो कोई व्यवस्था हो जाती। वहां दो, ढाई मील से पानी आ सकता है, कुछ छेत्र में नल लगाने से और कुछ में नाली बना कर। ये दोनों जगहें मेरी देखी हुई हैं और मेरा वह क्षेत्र है। आजतक मैं नहीं कह पाया, आज प्रार्थना की है। मैं आशा करता हूं कि वहां के गरीबों का दुख दूर किया जायगा, क्योंकि जमीन होते हुये भी वहां भुखमरी है।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने मंत्री जी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने अपने विभाग की प्रगति की बड़ी प्रशंसा की। यह अपनी जगह पर सत्य है कि विभाग में प्रगति हुई और बड़े-बड़े निर्माण कार्य भी हुये। मुझे भी जब मंत्री महोदय ने माताटीला और रिहन्द डैम जैसे बड़े-बड़े बांधों पर मीटिंग की तो देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिये मैं यह नहीं कह सकता कि प्रगति नहीं हुई, परन्तु मुझे खेद है कि इस विभाग के महत्व को देखते हुये इसमें आवश्यकतानुसार प्रगति नहीं हुई, क्योंकि सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका कृषि से बड़ा घनिष्ट संबंध है। यह निर्विवाद बात है कि सिंचाई के माध्यम से ही कृषि में तरक्की हो सकती है। इस बात को हमारे मंत्री महोदय भी अभी अपने भाषण में कह रहे थे लेकिन यह जानते हुये भी इस विभाग की उपेक्षा की गयी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में १५३ करोड़ रुपया, द्वितीय में २५३ करोड़ खर्च हुआ और तृतीय में ५९७ करोड़ खर्च होगा। इस तरह से एक हजार करोड़ रुपये में से केवल १२ फीसदी रुपया ही इस विभाग पर लगाया गया। अगर इसके ऊपर ४० फीसदी रुपया लगाया गया होता तो किसान वर्ग, जिसकी ८० फीसदी संख्या है, उसकी आय में वृद्धि हुई होती।

अब हमें यह देखना है कि इनके इतना रुपया लगाने पर सिंचाई का प्रसार कितना बढ़ा। वह मुझे इन्हीं के विभाग द्वारा दी हुई पुस्तिकाओं से पता चला कि १९६० में सरकारी साधनों से केवल ६,२२३ हजार एकड़ भूमि का सिंचन हुआ। इसका मतलब यह निकलता है कि कृषि भूमि का १६ प्रतिशत सिंचन हुआ जिसमें अंग्रेजी जमाने के साधन भी सम्मिलित हैं। इससे अनुमानतः मैं यह समझ रहा हूं कि इनके कार्यकाल में केवल ४ या ५ प्रतिशत सिंचित भूमि बढ़ी है। यह इस विभाग के लिये बड़ी लज्जा की बात है जिसके लिये हमारे मंत्री जी प्रगति का दावा करते हैं।

दूसरी बात इस विभाग में दोषपूर्ण यह है कि इसके निर्माण के कार्य अव्यवस्थित हैं। इनकी बहुत सी माइनर्स ऐसी हैं जिनका अन्त निचली जमीन में छोड़ दिया गया है, यानी जहां से पानी आगे नहीं बढ़ता है, फलस्वरूप सैकड़ों बीघा जमीन में पानी भरा रहता है। अगर ऐसी माइनर्स को आगे बढ़ा दिया जाय तो हजारों बीघे की आबपाशी हो सकती है। ऐसे मैंने कतिपय अवसरों पर सुझाव भी दिये हैं, लेकिन मैनुअल की कुछ दिक्कतें हमारे सामने रख दी जाती हैं। मैं कहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने के इस मैनुअल को कब तक लागू किया जायगा। मैं चाहता हूं कि मैनुअल में आमूल परिवर्तन किया जाय और इसका सर्वे कराया जाय कि ऐसी माइनर्स से कितना पानी नष्ट होता है।

दूसरा कारण यह है कि आपकी गूलें दो दो, तीन तीन मील लम्बी हैं और जिनकी सफाई का कोई भी प्रबन्ध नहीं है। पहले जमींदार लोग सफाई करा दिया करते थे, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं को विभाग ५०

[श्री रघुवीरसिंह---]

प्रतिशत ग्रांट दे और गांव सभायें अपने पास से बाकी रुपया लगाकर इनकी सफाई करायें। उनके पास ग्राम समाज का रुपया पड़ा हुआ है जो खजाने में सड़ रहा है। अगर यह अपना रुपया विकास कार्यों में नहीं लगा सकते हैं तो उसे इसमें लगा दिया जाय। अगर इनकी सफाई होती रहेगी तो किसानों को पानी मिलता रहेगा और इनका उपयोग ठीक तरह से होता रहेगा।

श्रीमन्, मुझे बड़े संकोच के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने सिंचाई में जो छूट दे रखी थी उसे ज्यों का त्यों कर दिया। यह बड़े अन्याय की बात है। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि इस विभाग की योजनाओं को व्यापारिक दृष्टि से न देखा जाय, बल्कि "अधिक अन्न उपजाओ" की दृष्टि से देखा जाय, जैसा कि इस पुस्तिका में लिखा है कि "सरकार की उपरोक्त नीति में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् परिवर्तन हुआ तथा अब सिंचन योजनाओं को व्यापारिक दृष्टि से न देखकर अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं के रूप में मान लिया जाय। इन योजनाओं को विभिन्न क्षेत्रों में जनता की आय में असमानता को मिटाने का साधनमात्र भी माना गया।" इधर तो यह कहा और उधर पिछले वर्ष मुझे याद है हमारे वित्त मंत्री माननीय हरगोबिन्द सिंह जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि "माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि १९५४-५५ से अनाजों की गिरती हुई कीमतों के कारण सरकार ने सिंचाई की दरों में कुछ छूट देने का आदेश दिया था। किन्तु उस समय की उपेक्षा आजकल सभी अनाजों और कृषि की अन्य चीजों के भाव काफी चढ़ गये हैं और उस समय की विशेष परिस्थितियों में जो छूट दी गई थी उसको अब भी जारी रखना अनुचित होगा। इसलिये सरकार का यह विचार है कि अगले वित्तीय वर्ष से यह छूट न दी जाय। इससे अगले वित्तीय वर्ष में सिंचाई विभाग की राजस्व की प्राप्तियों में २ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी।"

श्रीमन्, इससे मुझे यह पूछना है कि यह छूट की समाप्ति व्यापारिक दृष्टि से हुई या अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की वजह से यह हुआ जबकि इस बजट भाषण से स्पष्ट है कि इससे दो करोड़ रुपये की आमदनी और बढ़ेगी? यह नहीं है कि सिंचाई विभाग को कोई हानि हो रही थी या विभाग सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा था, बल्कि सिंचाई राजस्व में दो करोड़ रुपया की वृद्धि करने के लिये यह तीन आने रुपया जो छूट दी गई थी वह वापस ले ली गई। यह किसानों के साथ अन्याय किया है क्योंकि अन्न के साथ किसानों के वर्तने की चीजों के भी दाम बढ़ गये हैं। मैं संकोच के साथ कहना चाहता हूं कि विदेशी गोरे बनिये तो कुछ डरकर लूटते थे लेकिन आज ये देशी बनिये बड़ी बेरहमी के साथ किसान का खून चूसते हैं। मंत्री महोदय, किसान की सूखी हड्डियों से तेल न निकालिये। चरबीदार आदमियों को देख लीजिये। उनसे थोड़े से आदमियों से बहुत सा तेल निकल आयेगा। श्रीमन्, कितना समय मेरा और है?

श्री अध्यक्ष---एक मिनट आपका और है।

श्री रघुवीरसिंह---श्रीमन्, कुछ और समय मुझे दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अच्छा, दो मिनट और ले लीजिये।

श्री रघुवीरसिंह---बाढ़ के विषय में मुझे यह कहना है कि हमारे एटा जिले में एक लोअर गंगा कैनाल है। पहले तो यह उलटी ही निकाली गई है। नदी बह रही है पश्चिम से पूरब को और नहर निकाली गई उत्तर से दक्षिण को। इस कारण से उस नहर को नदियों के ऊपर से होकर निकाला गया। मेरे अकेले क्षेत्र में चार नदियां, सिसी, पुरिन्द, ईशन और करों ऐसी हैं जिनके ऊपर से यह लोअर गंगा कैनाल बहती है और जहां-जहां पर यह नदियों के ऊपर होकर बहती है वहां-वहां पर साइफन बनाये गये हैं। आज हालत यह है कि सैकड़ों नाले इन नदियों में डाल दिये गये हैं जिससे अब नदियों को पहले की अपेक्षा चौगुना पंचगुना और दसगुना तक पानी ले जाना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में कैसे वह इतना पानी ले जा

पायेंगी। नतीजा यह होता है कि वह बाढ़ का कारण बनती हैं। मैंने पिछले सालों में भी कई बार माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी दी कि इन नदियों से हमारा जिला नष्ट-भ्रष्ट हुआ जा रहा है, इनकी सफाई कराइये, परन्तु मंत्री महोदय ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने यह भी सुझाव दिया कि जो साइफन हैं उनमें इतनी मिट्टी जमी हुई है कि वह प्रति वर्ष साफ भी नहीं हो पाती है। जून के महीने में ठेकेदार पहुंचता है। साइफन में दोनों तरफ पानी भरा हुआ रहता है। कुछ सफाई नहीं हो पाती। केवल कागजी कार्यवाही हो जाती है कि सफाई हो गई। अरथरा के पास ईशन नदी का एक साइफन है। उसकी तो यह हालत है कि जिटौली गांव जो अर्थरा साइफन के पास है ईशन नदी की बाढ़ से उसके एक चौथाई मकान हर साल बैठ जाते हैं। नदी में पानी वेग से आता है। साइफन में मिट्टी जमी हुई होती है, वह मिट्टी पीछे को पानी को उभाड़ देती है जिससे उस गांव के मकान ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिये इन चारों नदियों पर बने हुये साइफनों को प्रतिवर्ष साफ कराने की अत्यन्त आवश्यकता है। अगर इनकी ठीक से सफाई नहीं हुई तो जितने पीछे के गांव है उनकी आधी या एक तिहाई जमीन करीब-करीब हर साल बाढ़ से प्रभावित होती रहेगी।

श्रीमन्, सरकार ने अपने दिये हुये आश्वासनों को भी निभाने की चेष्टा नहीं की। सरकार ने यह आश्वासन दिया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कि रामगंगा योजना को पूरा कर दिया जायगा। मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी वह पूरी हो पायेगी या नहीं। हमारी आंखें इस पर जमीं हुई थीं, हम लोग सोच रहे थे कि रामगंगा योजना सफल हो जाने पर हमारे पश्चिमी जिलों को भी पानी मिलेगा और हम भी अपना उत्पादन बढ़ा सकेंगे, लेकिन उसके पूरे होने की कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती।

प्रचार करने में हमारी सरकार बड़ी दक्ष है। आपने भी श्रीमन्, देखा होगा कि बसों के पीछे लिखा रहता है कि "गांव-गांव में बिजली खेत-खेत में पानी", यह कर भी सकेंगे या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। तो जब कर नहीं सकते हैं तो ऐसी बातों का आश्वासन देने की क्या आवश्यकता है? पहले से एक बड़ी बात को कह देना और उस बड़ी बात को न निभाना यह सरकार के लिये लज्जा की बात है। ऐसा करके सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। सरकार इससे बरी नहीं हो सकती। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस सिंचाई विभाग को उदासीनतापूर्वक न देखती तो आज किसानों की आय बहुत बढ़ गई होती और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन सफल हो गया होता तथा बहुत से व्यर्थ के होने वाले खर्चे बच गये होते। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जितना रुपया सिंचाई विभाग में प्रस्तावित हुआ था उतना भी क्या खर्च हुआ? मुझे जानकारी है कि करोड़ों रुपया उसमें लैप्स हो गया। तो इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि बाढ़ की समस्या के कार्यों के साथ-साथ इन बातों की ओर भी वह ध्यान दें, अन्यथा सैकड़ों एकड़ जमीन हर साल जल-प्लावित होती रहेगी।

श्री राजदेव (जिला देवरिया)––माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिंचाई संबंधी जो इस समय अनुदान चल रहा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही सिंचाई विभाग की जो खामियां हैं उनकी तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अच्छा तो यह होता सरकार के लिये कि यह सिंचाई विभाग और साथ ही साथ कृषि विभाग यह दोनों विभाग किसी एक ही मंत्री के जिम्मे किये जाते। सिंचाई और कृषि विभागों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है और यह दोनों विभाग अगर हमारे प्रदेश और देश में ठीक हो जायं तो हमारे देश के किसानों की हालत बहुत अच्छी हो जाय और किसान आज जिस संकट और मुसीबत में चल रहा है उससे उसका उद्धार होने का रास्ता मिल जाय।

[श्री राजदेव—]

मैं समझता हूं कि सिंचाई विभाग में जितना भी पैसा आज खर्च किया जा रहा है, बहुत कुछ अंश तक वह पैसा बड़े-बड़े अफसरों की पाकेट में जाता है। ठीक तरीके से जिन बांधों पर पैसा लगना चाहिये वह उन बांधों पर नहीं लग पाता है वरना यदि वे बांध उस प्रगति से बनते तो बहुत कुछ परिवर्तन अब तक हो गया होता। मैं मानता हूं कि सिंचाई विभाग के हमारे मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं और कई सालों से यह विभाग उनके अन्डर में है और सिंचाई के कार्य करने का उनको बहुत कुछ मौका भी मिला है। यह भी सही है कि हमारे प्रदेश में सिंचाई से सूखे हुये एरिया को बहुत कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी प्रदेश में सूखे की दशा को सुधारने के लिये और सूखे के कष्ट को दूर करने के लिये सरकार को बहुत कुछ कार्य करना है और उस कार्य में जितनी तेजी के साथ प्रगति की जाय उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा मेरा अपना विचार है।

मैं पूर्वी और पश्चिमी के संवाद को लेकर नहीं चल रहा हूं, किन्तु पूर्वी अंचल की जो दशा है वह अच्छी नहीं है। पश्चिमी जिलों की हालत अच्छी है और धनी मानी जिले हैं। प्रदेश का पूर्वी अंचल बहुत गरीब है और वहां पर घनी आबादी है और किसानों के पास खेती भी कम है खेती के साधन खाद, बीज और पानी का प्रबन्ध भी अच्छा नहीं है जो कि होना चाहिये। कृषि कार्य को ठीक करने के लिये जिन साधनों की जरूरत है वह साधन पूर्वी जिलों में उपलब्ध नहीं हैं। बांगर के इलाके में जहां किसान कुआं खोदता है, जेठ की दुपहरी में उस कुयें से पानी निकालकर मुश्किल से ८,१० गट्ठा सींच पाता है और यह भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। जेठ की दुपहरी में जब कि बड़े-बड़े सरमायेदार, बड़े-बड़े आफिसर बहुत बड़ी हैसियत के लोग महलों में अपना जीवन बिताते हैं, खुशी का जीवन बिताते हैं और ऐशो-आराम में अपना जीवन बिताते हैं उस समय वह सूखे प्रदेश का रहने वाला किसान कुआं खोदकर अपना खेत सींचता है। आज वह बड़ी कठिनाई की हालत में है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पूर्वी जिलों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यदि आप वहां पर जायं तो आपको चारों तरफ सूखा ही सूखा नजर आयेगा और सूखे प्रदेश में ही वह अपना जीवन काटता है। कुछ हिस्से में वहां पर ट्यूबवेल लगाये गये हैं लेकिन वहां कुछ बांगर का एरिया है जहां पर सिंचाई के कोई साधन प्राप्त नहीं है और चेष्टा करने पर अभी तक सिंचाई के साधन नहीं मिल पाये हैं।

बड़ी गंडक की बात भी कई साल से सुनी जा रही है, लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं पाता कि वह बड़ी गंडक की कार्यवाही कब से शुरू होगी। मैं अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान बड़ी गंडक की कैनाल की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि उससे पूर्वी जिलों को बहुत कुछ राहत मिल पायेगी। साथ ही साथ वह नारायणी जो ब्रम्हपुत्र के बाद भारत में अपना स्थान रखती है, वह पहाड़ों को तोड़ती हुई, मरोड़ती हुई बहती है। वह कई हजार गांवों को प्लावित करती है और लाखों गांव उसकी धारा में विलीन हो चुकी है। उसमें गति के नियंत्रित किये बगैर देवरिया जनपद का कल्याण नहीं है। और लाखों एकड़ खेत किसानों का उस एरिया में उस धारा में विलीन हो गया है वह भी किसानों को मिल जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बड़ी गंडक कैनाल की ओर दृष्टि डालें और इस कार्यवाही को वे जितनी जल्दी करा सकें उतना ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये अच्छा होगा, क्योंकि वह देवरिया, सलेमपुर, हाटा और पडरौना के बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई का प्रश्न है। इसलिये वह कार्यवाही शुरू होनी चाहिये।

दूसरी बात, उसी देवरिया जनपद की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक तरफ सरयू दूसरी तरफ बड़ी गंडक, तीसरी ओर से छोटी गंडक, और चौथी ओर से बांसी, इन ५,६ नदियों की धाराओं के बीच में वह जनपद बसा हुआ और जब बाढ़ शुरू होती है तो उस समय वहां के किसानों का जीवन बड़ा संकटमय हो जाता है। इस बार बाढ़ के जमाने में माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त को हमारे वहां जाने का मौका मिला था। उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि यह वह इलाका है जो पानी में डूब जाता है, लाखों एकड़ जमीन किसानों की पानी के धरातल में चली गई है, सारी फसल उनकी बरबाद हो गयी है और वह खाने के लिये

मुहताज हो रहे हैं। गांव की भराई की बात इधर बहुत सुनाई दी है। बहुत सुन्दर है। लेकिन क्या मैं यह समझूं कि उस क्षेत्र में यह काम बरसात के पहले ही शुरू हो जायगा? ऐसा तो नहीं है कि जब पानी बरसना शुरू हो रहा है तो दूसरी तरफ से भराई का काम शुरू हो रहा है। इस तरह से कार्य आरम्भ करने से जनता की गाढ़ी कमाई के सारे पैसे का अपव्यय होता है, ठेकेदार अपना काम करते हैं लेकिन गांवों की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च होने के बाद काम नहीं हो पाता। इसलिये बड़ी गंडक और छोटी गंडक के किनारे गांव भराई का काम बरसात से पहले आरम्भ हो जाना चाहिये। साथ-साथ खड्डा शुगर फैक्ट्री और बुलिहवा शुगर फैक्ट्री जो नारायणी के तट पर बसी हुई है उसके किनारे के हजारों गांव विशेष कर अडिहवा, बुलहवा, सालीकपुर, ज्वालापुर, भैंसहा, बुढ्वा, गैनडी, बदनपुर, मेंडिहारी हनुमानगंज, लालीपार, डुमरी स्वांगी पट्टी, अकटहा आदि जो इनके किनारे बसे हुये हैं वह बरबाद हो रहे हैं। जो बांध बना हुआ है वह बांध भी उस समय नहीं रह जायगा कटाव के कारण, और उस जनपद के गांवों के किसानों के लिये संकटमय हो जायगा। इसलिये समय रहते बाढ़ आने के पहले, नारायणी में बाढ़ आने से पहले उस पर कार्य आरम्भ हो जाना चाहिये। पारसाल मैं उस क्षेत्र में गया था, मेरे साथ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे। हजारों एकड़ जमीन धारा में चली गयी। इंजीनियर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह सारी की सारी कोशिश बेकार गयी और इसलिये मैं कहता हूं कि उस काम को कटाव की दृष्टि से, शुगर फैक्ट्री की दृष्टि से, पूर्वी जनपद की दृष्टि से, सूखे की हालत बाढ़ की समस्या के कारण जहां के किसान सूखा, बाढ़, बीमारी, मुसीबत और विपत्तियों के शिकार होते हैं, जितनी जल्दी आप उधर ध्यान दे सकें उतनी जल्दी पूर्वी जनपद की दशा अच्छी हो सकती है और किसानों की हालत ठीक हो सकती है।

इसके साथ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अब तक सूखा ही सूखा नजर आता है। जहां न कोई ट्यूबवेल्स हैं, न कुयें हैं, न पानी का और कोई इंतिजाम है। वह बावैन का इलाका है। उस इलाके में पानी मिलने का विशेष तरीके से कोई इंतिजाम नहीं हो पाया। जहां पर २०, २५, ३० हाथ नीचे से पानी किसान हाथों से रस्सी के जरिये खींच कर निकालता है और वह भी जेठ की दोपहरी में, इस तरह से वह मुसीबत का शिकार हो जाता है। इसलिये हम पूर्वी जनपद के लोग मंत्री जी के आभारी होंगे अगर वह इस दुष्काल का, इस मुसीबत की हालत को दूर कर सकेंगे। गांवों के भरने का कार्य आप जितनी जल्दी शुरू कर सकें उतनी जल्दी अच्छा हो। ऐसा न हो कि एक तरफ बाढ़ आवे और दूसरी तरफ गांवों की भराई शुरू हो। इन सुझावों के साथ मैं सिंचाई विभाग के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—श्रीमन्, सिंचाई विभाग द्वारा जो पुस्तिका वितरित हुई है वह मुझे केवल एक दो घंटे पहले मिली है और उसका मैं अध्ययन नहीं कर पाया हूं, परन्तु मेरे पास पहले से एक पुस्तिका है, जिसका नाम "एग्रीकल्चर स्टेटिक्स" है यह ब्यूरो आफ एग्रीकल्चरल इनफार्मेशन से प्रकाशित होती है। इस प्रदेश में प्रत्येक वर्ष कितनी जमीन में सिंचाई होती है, वह सारे आंकड़े उसमें दिये गये हैं। इसके अन्दर यह भी दिया हुआ है कि सिंचाई के विभिन्न साधनों से अलग-अलग कितनी जमीन पर सिंचाई होती है, यह आंकड़े सन् १९५३-५४ से लेकर सन् १९५९-६० तक के हैं। जितने एरिया में सिंचाई होती है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसमें जो मुख्य बातें हैं, उनको मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। सन् १९५३-५४ में इस प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्रफल १ करोड़ २५ लाख एकड़ था, जो ६ वर्षों के बाद सन् १९५९-६० में कुल १ करोड़ २६ लाख एकड़ हुआ। श्रीमन्, लगभग ५० करोड़ रुपया सिंचाई योजना पर, जैसे नयी नहरें बनाने और नये ट्यूबवेल्स बनाने में खर्च

[श्री भानुप्रतापसिंह---]

हुआ, उस का अन्तिम परिणाम यह निकला कि केवल एक लाख एकड़ अधिक सिंचाई हुई। यह बात जरूर है कि सरकार ने नहरें बनायीं, ट्यूबवेल्स बनाये और उनसे सिंचाई भी हुई, इस अवधि में नये-नये साधनों का विकास तो हुआ, लेकिन जो पुराने साधन थे उनका ह्रास हुआ। मैं उदाहरण के लिये कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। सन् १९५३-५४ में निजी नहरों से ४१ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हुई और वह ६ वर्ष के बाद केवल ११ हजार एकड़ रह गयी। निजी कुओं से जो ५३ लाख एकड़ की सिंचाई होती थी वह भी घट कर ४७ लाख रह गयी। जो सिंचाई तालाबों से होती थी वह भी घट गयी। इन सब आंकड़ों को पेश करने का मतलब यह है कि यह जाहिर हो जाय कि आप सिंचाई के नये साधन तो बनाते रहे और इस पर करोड़ों रुपया भी व्यय हुआ, लेकिन साथ में पुराने साधनों की उपेक्षा होती रही है। आपने नहरों और ट्यूबवेल्स पर करोड़ों रुपया तो खर्च कर दिया, लेकिन उससे कोई अधिक लाभ देखने को नहीं मिला। नये साधनों से सुविधा मिलने के कारण किसानों ने पुराने साधनों को छोड़ दिया, क्योंकि नये साधनों को अपनाना सरल था।

हम इस बात को मानते हैं कि नये तरीके से सिंचाई करना सरल हो जाता है, लेकिन वास्तव में कोई विशेष लाभ नहीं होता। पहले किसान स्वयं अपने सिंचाई के साधन प्राप्त करते थे, अब उन को सरकार के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। सरकार उनको पूरी तरह से सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाती, जिस से लाखों और करोड़ों रुपया व्यय करने के बाद भी लोगों में असंतोष रहता है और साथ ही साथ सरकार को भी घाटा हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो ट्यूब वेल्स बनाये जाते हैं और जो काफी सफल भी नहीं कहे जा सकते, उन को रोक कर अगर कुये बनाये जायं और उन में तीन इंच वाली बोरिंग करायी जाय तो अधिक अच्छा होगा और इससे लाभ भी होगा। सरकार यदि एक ट्यूबवेल बनाती है या नहर बनाती है तो उसका करीब ६० हजार रुपया या ८० हजार रुपया खर्चा होता है, लेकिन अगर हम एक कुआं बना कर उस में तीन इंच की बोरिंग करा देते हैं तो उसमें एक हजार रुपया खर्च होता है और उससे अधिक लाभ भी होगा। इस से किसान को संतोष भी होगा और वह अधिक आत्म निर्भर होगा। तो मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और इन-ट्यूबवेल्स के बनाने के स्थान पर छोटे-छोटे कुवें बनवायें जो कि किसान स्वयं बना सकते हैं और सरकार उन कुओं में छोटी बोरिंग करने का प्रबन्ध करे।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब उनका विभाग व्यवसायिक दृष्टि से नहीं चलाया जाता। श्रीमन्, यदि उनका तात्पर्य यह है कि इन योजनाओं से उनके विभाग और सरकार को लाभ नहीं होता, इसमें बहुत वेस्टेज है और नुक्सान हो रहा है, तो कहा जा सकता है कि शायद उनका कहना सही है कि उन्होंने व्यावसायिक दृष्टिकोण छोड़ दिया है। परन्तु यदि उनका तात्पर्य यह है कि ये योजनायें किसानों के हित में चलाई जाती हैं, तो मैं इससे सहमत होने के लिये तैयार नहीं हूं और उसका कारण यह है, कि जिस क्षेत्र में सरकारी ट्यूबवेल्स बनाये जाते हैं उस क्षेत्र में निजी ट्यूबवेल्स बनाने के लिये और उनको बिजली देने की इजाजत नहीं है। यदि सरकार के दृष्टिकोण में व्यावसायिक बात नहीं है, तो सरकार अपने ट्यूबवेल्स के लिये फिर इस तरह से इजारेदारी क्यों कायम कर रही है। जब सरकार का दृष्टिकोण बदल गयी है, तो फिर वह इजारेदारी क्यों करती है? जो लोग निजी ट्यूबवेल्स बनाना चाहते हैं उनको इजाजत क्यों नहीं देती और बिजली क्यों नहीं देती? जब तक इस तरह की बात है, मैं तब तक मान नहीं सकता हूं कि सरकार ने व्यावसायिक दृष्टिकोण छोड़ दिया है।

(लाल बत्ती होने पर)

अब ५ ही मिनट बाकी हैं, मुझे बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---इधर बोलने वाले बहुत हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह---चूंकि समय कम है, इसलिये मैं दो सुझाव दे कर समाप्त कर दूंगा। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम पूर्वी जिलों के लिये जिस हद तक

सिंचाई की आवश्यकता है, उससे कम वहां ड्रेनेज की नहीं है। पूर्वी जिलों में ऐसे बड़े-बड़े क्षेत्रफल हैं, जहांकि पानी का निकास न होने के कारण फसलें खराब हो रही हैं, उनकी पैदावार कम हो गई है और विशेष कर बहुत से ऐसी झीलें हैं जैसा कि राय साहब ने बतलाया जिनसे पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे बड़े-बड़े तालाबों के ड्रेनेज के लिये विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई और कृषि विभाग का निकट सम्बन्ध हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज इन दो विभागों में निकट का सम्बन्ध नहीं है और इसी के कारण कृषि विभाग की बहुत सी योजना फेल हो जाती हैं। सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों को जो कार्य करना होता है, अगर उनका आपस में ज्यादा सम्बन्ध रहे और दोनों विभागों में ज्यादा से ज्यादा सम्बन्ध स्थापित हो सके और सामन्जस्य रहे, तो अच्छा होगा।

*श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत अनुगृहीत हूं कि आप ने मुझे इस महत्वपूर्ण विभाग के सम्बन्ध में बोलने का अवसर प्रदान किया। सिंचाई से हमारे प्रदेश में खेती का कार्य अधिक होता है। इस सम्बन्ध में मान्यवर, जो अनुदान सदन में प्रस्तुत हुये हैं, अभी तक उस सम्बन्ध में मुझे माननीय सदस्यों के विचार सुनने का अवसर मिला। मैं ऐसा समझता हूं कि अधिकांश सदस्यों ने यह भावना प्रकट की कि जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा ही सिंचाई का अधिकतर कार्य किया जाता है, तो उसमें गड़बड़ी है और मैं भी इस राय से सहमत हूं। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, जो हमारे प्रदेश के उच्च अधिकारी हैं वे भी इस तरह की गड़बड़ी में भाग ले रहे हैं। मैं इसके लिये आप के सामने यह बात विचार के लिये रखना चाहता हूं कि जिन नीचे स्तर के कर्मचारियों का ठेका होता है, वह उस रेश्यो से काम नहीं करते हैं, जैसा कि उनके मैनुअल में दिया हुआ है। आप गांव में जा कर स्वयं देखते हैं कि जिस चैनल में पानी छोड़ा जाता है वह चैनल टूट जाती है और पानी बह जाता है। मैं सरकार का ध्यान आप के द्वारा इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी कमियों को रोकने के लिये लेबर कोआपरेटिव मूवमेंट चलाया जाना चाहिये ताकि यह ठेकेदारी की प्रथा का अन्त हो सके। और दूसरी तरफ जहां तक सरकारी पैसे का प्रश्न है उसका नीचे के लोग खूब दुरुपयोग करते हैं और जनता को कोई फायदा होता नहीं। गांवों में जो ट्यूबवेल पर आपरेटर्स रहते हैं वह किसान की जितनी सिंचाई होती है उसका सही पर्चा उसे नहीं देते। जब रेवेन्यू विभाग से वसूली की बात आती है तो ५ रुपये की सिंचाई के लिये ५०, ५० रुपये तक की मांग होती है ऐसी शिकायतें सुनने में आयी हैं।

श्री अध्यक्ष—सदन का समय ५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री रणबहादुरसिंह—आप के द्वारा अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिये किसान को उसकी सिंचाई के तुरन्त बाद ही परची मिल जानी चाहिये ताकि वह उसे देख सके, पढ़वा सके कि उसने उतनी सिंचाई ली है या नहीं।

इसके अतिरिक्त दो तीन बातों की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब नहर वाले पानी बन्द कर देते हैं तो लोग तालाब या गढ़ैया से पानी ले लेते हैं लेकिन इर्रीगेशन मैनुअल में है कि वे उसे काट कर ही रसीद देते हैं। पिछली बार मीटिंग में मैं भी था और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसमें प्रेसाइड कर रहे थे। उसमें इंजीनियर इर्रीगेशन भी थे। उन्होंने बतलाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रणबहादुरसिंह—]

कि हमारे रास्ते में दिक्कतें हैं। चाहे किसान थोड़ा ही पानी ले, हम उतना ही रूल्स के हिसाब से चार्ज करेंगे। इस गड़बड़ी की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार के रूल्स को बदल देना चाहिये।

समय की कमी है, फिर भी दो तीन बातें मैं आप की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं बाढ़ के सम्बन्ध में। मेरा क्षेत्र बस्ती जिले में है जो घाघरा के किनारे पर पड़ता है। वहां लगातार कई सालों से बाढ़ आ रही है। जहां और कार्यों के लिये सरकार की प्रशंसा होनी चाहिये वहां यह कहते हुए मुझे दुख भी होता है कि वहां कई बांध पिछले सालों में टूट गये हैं और उनके द्वारा राप्ती के किनारे के सैकड़ों गांव बह गये। मेरे क्षेत्र में पिछले साल एक बांध टूटा जिसके कारण ७३५ गांव ३४ दिन तक लगातार पानी में डूबे रहे। सरकार का ध्यान दिलाया गया और मैं आप से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि चीफ इंजीनियर, बाढ़ अनुसंधान विभाग भी वहां गये थे। उस समय यहां असेम्बली चल रही थी, किन्तु मैं इसे छोड़ कर उन के साथ गया और वहां जा कर उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देख कर कहा कि मैं अपनी ओपीनियन सरकार को भेज दूंगा। मान्यवर, मैं नहीं समझता कि जब दूसरी बाढ़ आने में १ महीना रह गया है, उसी समय उनकी ओपीनियन का क्या फायदा वहां के लोगों को हो सकता है? मैं चाहूंगा कि उस बघुआपार बांध की ओर जो कि हरैया तहसील में पड़ता है सरकार का ध्यान जाना चाहिये। उस बांध के टूटने से ७३५ गांव प्रभावित हुए थे जो बस्ती तथा हरैया तहसील में पड़ते हैं। मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि १ लाख ८२ हजार रुपया उस एरिया में इस बांध के टूटने से तकावी बांटी गयी थी, ३५,००० रुपया डिस्ट्रेस रिलीफ का दिया गया, २०,००० रुपया नमक और कोयले के रूप में दिया गया सहायता का और मकान आदि की मरम्मत के लिये ३०–३५ हजार रुपया दिया गया। तो यह उस के टूटने पर खर्च हुआ। क्या सरकार उसकी मरम्मत के लिये २०–२५ हजार रुपया नहीं खर्च कर सकती? यह तमाम विवाद पैदा हुआ और यहां पर मैं और कोई बात नहीं रखना चाहता, केवल एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि दो मिनट का समय रह गया है।

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख हुआ पिछली बार जब समिति की बैठक हुई थी तो उसमें मैं गया था और वहां अपोजीशन के ४ मेम्बर भी थे। वहां एक सदस्य ने जिला एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह कहा कि मैं दो बार उनसे मिलने गया और वे सोते हुये मिले। तो अगर इस तरह से सरकारी अधिकारी सोते रहे तो जो हमारी बड़ी बड़ी जन-कल्याणकारी योजनायें हैं वे नहीं चल सकतीं। उन्हीं ने यह भी बताया कि उन्होंने एक पत्र भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इर्रीगेशन, को लिखा मगर कोई जवाब नहीं मिला। वहां जिला मजिस्ट्रेट ने भी यह कहा कि यह नहीं होना चाहिये, अगर मेम्बर प्रश्न करते हैं तो उसे देखना चाहिये पिछले वर्षों में मैं चीफ इंजीनियर से जब जब भी मिलने गया, उनके अन्दर ऐसी भावना नहीं आई। लेकिन जिला स्तर पर जो लोग होते हैं उनके लिये कुछ सख्त ऐसे आदेश होना चाहिये जिससे कि वे सोते न मिलें और अपना कार्य किया करें।

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
७ मई, १९६२।

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ १५९ पर।]

साफ्ट कोक के लाइसेन्सियों की सूची

क्र० सं०	लाइसेन्सी का नाम		पता
१	सर्वश्री कन्हैयालाल जमुना प्रसाद	..	गाजीपुर सिटी
२	सर्व श्री प्रेम हितैषी, कोआपरेटिव कन्जूमर्स स्टोर्स	..	गाजीपुर सिटी
३	सर्वश्री राम अधार सिंह	..	औरिहर सैदपुर
४	सर्वश्री प्रेमबन्धु	..	यूसुफपुर मुहम्मदाबाद
५	सर्वश्री चिरन्जी लाल जमुना प्रसाद	..	जमनिया रेलवे स्टेशन
६	सर्वश्री राम सकल राम	..	दिलदार नगर,

कोयला चूर के स्थायी लाइसेन्सियों की सूची

क्र० सं०	स्थायी भट्टे वालों का नाम		पता
१	अन्नपूर्णा भन्डार	..	सैदपुर
२	बलदेव राम हजारी राम	..	गाजीपुर शहर
३	श्री चीरंजी लाल जमुना प्रसाद	..	जमनिया रेलवे स्टेशन
४	श्री कुंजीलाल	..	जमनिया रेलवे स्टेशन
५	श्री राम अवध राय	..	गाजीपुर शहर
६	श्री रजब अली अंसारी	..	गाजीपुर शहर
७	श्री सीताराम एन्ड सन्स	..	गाजीपुर शहर
८	श्री सत्तन सिंह	..	गहमर
९	श्री विश्वनाथ सिंह सूबेदार	..	गहमर
१०	श्री विन्देश्वरी राय	..	दुहिया
११	श्री प्रहलाद राय	..	रेवतीपुर
१२	श्री शिवप्रसाद राम	..	मनिया
१३	श्री भगवती प्रसाद कनौरिया	..	दिलदार नगर
१४	सालिक सिंह राय बहादुर सिंह	..	ढकवा सैयदपुर
१५	श्री जमुना राम	..	रौजा गाजीपुर
१६	श्री विन्देश्वरी सिंह एल० सी० शर्मा	..	भदौरा
१७	श्री शमी उस्मानी	..	कबीरपुर मुहम्मदाबाद
१८	श्री मुहम्मद जहूर	..	युसुफपुर
१९	श्री मुकन्द लाल	..	गाजीपुर शहर।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५९ पर।]

घरेलू कोयले और हार्ड कोक की जिलेवार एलाटमेंट और प्राप्ति की तालिका

(संख्यायें वैगनों में)

क्रम संख्या	जिला		१९५८		१९५९		१९६०		१९६१	
			एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०
१	देहरादून	..	४०८	२८९	४१०	३५५	४९६	३०२	४९६	२१२
२	सहारनपुर	..	४०८	३५२	४१२	२८८	४३०	२०५	४३०	२०७
३	मुजफ्फरनगर	..	२१६	२१५	२२२	२१५	२२०	१२४	२२०	११७
४	मेरठ	..	११५२	१०५५	११८०	१०२२	१२४०	६३४	१२४०	५८८
५	बुलन्दशहर	..	१९२	१७३	१९४	१२७	२३४	९५	२३४	४४९
६	अलीगढ़	..	५०४	४९४	५०८	२९६	५४०	२३३	५४०	१५८
७	मथुरा	..	२४०	१९०	२४०	११८	२८०	१२८	२८०	१७८
८	आगरा	..	१२४८	१४१४	१२७२	११८७	१३९६	७६१	१३९६	४४१
९	मैनपुरी	..	९६	७२	९७	७०	१२०	४६	१२०	७१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१०	एटा	..	१२०	९६	१२१	६५	१४०	६०	१४०	८५
११	बरेली	..	३३६	२१७	३४०	२२५	३५०	१८२	३५०	१७६
१२	बिजनौर	..	७२	५८	७२	३३	८०	२५	८०	३७
१३	बदायूं	..	९६	५०	९६	३१	१००	४०	१००	७०
१४	मुरादाबाद	..	४०८	३४०	४१२	२५७	४५६	२३६	४५६	२३७
१५	शाहजहांपुर	..	१४४	९०	१२९	४८	१३०	४६	१३०	६०
१६	पीलीभीत	..	७२	२३	७२	२७	८०	८४	८०	२५
१७	रामपुर	..	१६८	१२२	१६३	५७	१४०	३७	१४०	५०
१८	फर्रुखाबाद	..	२१६	१७७	२१८	१७५	२४६	१०२	२४६	१४०
१९	इटावा	..	१२०	९७	१२०	६७	१३०	९७	१३०	१०२
२०	कानपुर	..	२११६	१६५३	२१४८	२०९४	२१९०	१३९७६	२१९०	१५९३
२१	फतेहपुर	..	४८	४०	४८	२२	७०	३०	७०	९५
२२	इलाहाबाद	..	१२४८	१०२३	१२६२	७३३	१३५८	४०१	१३५८	५५३
२३	बांदा	..	४८	२३	४८	२६	६०	२०	६०	२१
२४	हमीरपुर	..	४८	१८	४४	१०	५०	२६	५०	१
२५	झांसी	..	९६	६४	९७	६३	१००	५५	१००	३०
२६	जालौन	..	४८	३७	४८	२८	६८	२७	६८	२१
२७	वाराणसी	..	१२४८	९६९	१२७२	९०७	१३७०	८३५	१३७०	५३२
२८	मिर्जापुर	..	१४४	१७३	१२५	१०८	१२०	८१	१२०	१०२
२९	जौनपुर	..	१२०	९६	१२०	८४	१५६	९१	१५६	७१
३०	गाजीपुर	..	१२०	५२	१२०	५७	११०	४७	११०	६९
३१	बलिया	..	९६	९६	९७	८२	११०	७८	११०	३२

अतः प्रकाशनार्थ

(संख्यायें बैगनों में)

क्रम-संख्या	जिला		१९५८		१९५९		१९६०		१९६१	
			एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०
३२	गोरखपुर	..	२१६	१४५	२१८	१७२	२३०	१००	२३०	१२७
३३	बस्ती	..	७२	६६	७२	४८	१००	३६	१००	२०
३४	आजमगढ़	..	९६	६७	९८	५७	१२०	७४	१२०	७१
३५	देवरिया	..	१४४	१२४	१४५	१४२	२०४	१०२	२०४	६४
३६	नैनीताल	..	१२०	८०	१३०	७३	१९०	३७	१९०	१४१
३७	अल्मोड़ा	..	..	..	१	..	१०	..	१०	४
३८	गढ़वाल	..	३२	२२	३१	१५	४०	१९	४०	२९
३९	टेहरी-गढ़वाल	..	२४	१	१३	..	१०	१	१०	८
४०	लखनऊ	..	१३९२	१३०८	१४१८	६३५	१५९४	५९५	१५९०	९४१
४१	उन्नाव	..	७२	२६	७२	२६	८०	३०	८०	३२
४२	रायबरेली	..	७२	४५	७२	२६	८२	१७६	८२	३३
४३	सीतापुर	..	९६	६०	९७	५२	१०८	३०	१०८	६९
४४	हरदोई	..	९६	६५	१४७	६४	१२०	५८	१२०	५४
४५	खीरी	..	७२	१६	७२	१०	६४	२७	६४	२७
४६	फैजाबाद	..	२४०	१३२	२४०	११८	२६०	११४	२६०	९७
४७	गोंडा	..	७२	११	७२	७	८०	१६	८०	१०२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४८	बहराइच	..	७२	४९	७२	५४	८०	४२	८०	३२
४९	सुल्तानपुर	..	७२	३२	७२	३०	१०४	५४	१०४	२९
५०	प्रतापगढ़	..	४८	४४	४८	१८	५०	१७	५०	२७
५१	बाराबंकी	..	९६	६७	९७	४१	१००	४२	१००	२२२
५२	शुगर मिल्स	..	..	..	१४१	..	८	..	८	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कोयले चूर की जिलेवार एलाटमेंट और प्राप्ति की तालिका

(संख्या में वैगनों में)

क्रम-संख्या	जिला	१९५८		१९५९		१९६०		१९६१	
		एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	देहरादून ..	२७८	१६६	४५३	२४४	३७०	११०	२२९	११७
२	सहारनपुर ..	६३४	६००	९३९	१२४०	६९२	४३५	६३५	२३०
३	मुजफ्फरनगर ..	६७३	५१३	१०९०	१०२४	६५३	३४२	५४८	१२५
४	मेरठ ..	२०९९	१५३६	३०२६	३६७१	१६५९	१०००	१२७४	९४१
५	बुलन्दशहर ..	१६६१	५६६	१९४८	४२९	६५६	२०६	६३७	१९७
६	अलीगढ़ ..	१६०३	५९८	२०१७	१९२७	६३०	२७०	६०३	६५५
७	मथुरा ..	४२८	२५५	९०३	२२४	३५९	९१	३५६	१९४
८	आगरा ..	७०८	६०७	२२०२	१८५४	१०१२	२८१	९३८	६०१
९	मैनपुरी ..	५२२	२५७	७०१	८६०	३७०	२८५	२६९	१८४
१०	एटा ..	७६५	३१४	९७७	११६३	४७०	१३८	२५९	११७
११	बरेली ..	६२७	२५४	८९२	९९७	४८५	७३	४५८	१९६
१२	बिजनौर ..	५०२	२०८	७७३	६०	५२७	७२	४५६	१२६
१३	बदायूं ..	४८०	१८३	६६२	५६०	३४०	८८	२८०	९९

अविशोधित

१४	मुरादाबाद	..	९६२	३४८	१४२३	७६१	९८०	२२४	८४९	१९१
१५	शाहजहांपुर	..	३६५	८१	५०६	२८३	३९२	७०	२०९	१४४
१६	पीलीभीत	..	३२२	५४	४४८	४०	१७०	२८	११५	३७
१७	रामपुर	..	३३५	२०८	५२६	५४३	३२२	७०	२०४	१७०
१८	फर्रुखाबाद	..	४७०	१७६	६२७	२८४	४०४	१०५	२८८	७३
१९	इटावा	..	४०५	२३६	५९९	८८८	३८८	२३९	२०९	४१८
२०	कानपुर	..	११४३	८४७	२१३४	१२५२	१९७९	७८७	१८११	६३३
२१	फतेहपुर	..	१३४	१३६	२५४	१७५	१८५	७४	१३४	९७
२२	इलाहाबाद	..	५८२	५४६	१०२१	५००	१०१२	२५५	८२९	४८०
२३	बांदा	..	३७	७२	९४	५८	१०२	१५	५७	४१
२४	हमीरपुर	..	७२	५०	१३९	१९	८५	४	८५	..
२५	झांसी	..	२४	२१	२३	२९	९८	१	८१	१५
२६	जालौन	..	५२	७२	१०२	१५४	९८	६५	७७	८१
२७	वाराणसी	..	७३३	५८४	११६८	५५४	९८६	९९	८४६	१३१
२८	मिर्जापुर	..	११३	७६	१७६	८२	१९०	५२	१२०	४९
२९	जौनपुर	..	३९७	१९८	५३९	३२०	३१०	५०	२६१	१०
३०	गाजीपुर	..	१९५	१५९	३६०	९१	४३०	८३	२८५	७९
३१	बलिया	..	७९९	२७०	१०३०	१७१	४००	४८	३१२	१४
३२	गोरखपुर	..	६०६	२७१	९०५	११५५	४७९	४७१	५५१	१४४
३३	बस्ती	..	५४३	२८४	८४१	२९५	३६०	८५	२७२	५
३४	आजमगढ़	..	६२७	१९१	९६७	२२६	५७२	१४६	४५७	१६१
३५	देवरिया	..	६४३	१६७	८६५	३५०	४०४	१०३	२९९	२९०

अनंत प्रकाशन संस्था

(संख्या में बैगनों में)

क्रम-संख्या	जिला		१९५८		१९५९		१९६०		१९६१	
			एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति	एलाटमेंट	प्राप्ति
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०
३६	नैनीताल	..	१४६	१२	१७२	४२	६५	९	४२	३
३७	अल्मोड़ा	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३८	गढ़वाल	..	३६	२१	२२	१७	२०	..	२५	१
३९	टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..	..	..	..	..	..
४०	लखनऊ	..	९९४	४४१	१४६९	१४९	११२०	७१	१४३५	८४०
४१	उन्नाव	..	१७७	८०	२५५	२४१	१४०	४२	९५	४३
४२	रायबरेली	..	१०५	११८	२२५	८२	२३३	१८४	१८२	७३
४३	सीतापुर	..	३९७	१४७	६०५	१७६	३७०	६९	२३६	४०
४४	हरदोई	..	५२२	१००	६१३	२२५	१६०	५७	१४०	४३
४५	खीरी	..	२९३	६२	४०८	८२	२१६	२०	१९०	४४
४६	फैजाबाद	..	४७०	२१४	७९९	५५७	४६०	१७९	३६५	१३३
४७	गोंडा	..	२२०	१६३	३६३	१६७	२८१	१२२	२८५	९५
४८	बहराइच	..	१२६	७६	३०५	१७३	२२०	८०	१८५	३४
४९	सुल्तानपुर	..	८२	४७	२००	१२५	१५०	५६	७२	१०
५०	प्रतापगढ़	..	२६३	६४	३४१	१३२	१२४	३६	११४	४२
५१	बाराबंकी	..	३६८	१७४	५९०	५५८	३४२	१५१	२७९	५४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

१९६१–६२ में नगरमहापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं को आवास हेतु दिये गए धन का विवरण

नगरमहापालिका का नाम	नगरपालिका का नाम	अल्प आय वर्ग ऋण की धनराशि जो स्वीकृत की गई	गृह निर्माण योजना, ऋण की धनराशि जो मुक्त की गई	मध्यम वर्ग, ऋण की धनराशि जो स्वीकृत की गई	गृह निर्माण योजना, ऋण की धनराशि जो मुक्त की गई	गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना			
						ऋण जो स्वीकृत किया गया	ऋण जो मुक्त किया गया	अनुदान जो स्वीकृत किया गया	अनुदान जो मुक्त किया गया
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
नगर महापालिका	कानपुर ..	..	५,००,०००	६,८८,०००	६,८८,०००	२४,२३,०००	२०,००,०००	१८,११,२५०	१८,११,२५०
"	इलाहाबाद ..	४,००,०००	२,००,०००	..	..	..	..	..	..
"	वाराणसी ..	१०,००,०००	४,००,०००	४,००,०००	४,००,०००	..	..	..	..
"	आगरा ..	..	..	..	..	..	६०,०००	१,२०,०००	१,२०,०००
"	लखनऊ ..	४,००,०००	४,००,०००	*१०,००,०००	१०,००,०००	..	..	..	..
नगरपालिका	रामपुर ..	..	४०,०००	३,२०,०००	२,००,०००	..	..	..	..
"	मुरादाबाद ..	१,४२,०८०	३६,०००	५६,०००	५६,०००	..	..	..	..
"	शामली मुजफ्फर नगर ..	१,११,६००	५०,०००	..	..	..	..	..	..
"	रुड़की ..	..	४२,४००	..	..	..	..	..	..
"	फैजाबाद ..	..	..	३६,०००	३६,०००	..	..	..	..
"	हरिद्वार ..	३,२०,०००	४८,०००	..	..	..	..	..	..
	योग ..	२३,७३,६८०	१७,२६,४००	२५,००,०००	२३,८०,०००	२४,२३,०००	२०,६०,०००	१९,३१,२५०	१९,३१,२५०

*यह धनराशि पिछले वर्षों में स्वीकृत किए गए ऋणों की किश्त के रूप में है।

१० एस० यू० पी०—ए० पी०—७५ एल० ए०—१९६२—८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा